

Volume 10, Issue 1. January-March 2024

ISSN : 2395-7468

THE Equanimist

A peer reviewed refereed journal

Volume Editor

Dr. Kuldeep Kumar Pandey

(Editorial Associate, hindisamay.com, M.G.A.H.V., Wardha)

The Equanimist

... A peer reviewed refereed journal

Editorial Advisory Board

- Prof. U.S. Rai** (University of Allahabad)
Prof. Devraj (M.G.A.H.V., Wardha)
Prof. R. N. Lohkar (University of Allahabad)
Prof. V.C.Pande (University of Allahabad)
Prof. D.P.Singh (TISS, Mumbai)
Prof. Anand Kumar (J.N.U.)
Prof. D.V. Singh (S.R.M. University)
Prof. D.A.P. Sharma (University of Delhi)
Prof. P.C. Tandon (University of Delhi)
Prof. Siddarth Singh (Banaras Hindu University)
Prof. Anurag Dave (Banaras Hindu University)

Editor in Chief

Dr. Nisheeth Rai (M.G.A.H.V., Wardha)

Associate Editors

- Dr. Manoj Kr. Rai** (M.G.A.H.V., Wardha)
Dr. Virendra P. Yadav (M.G.A.H.V., Wardha)
Dr. Pradeep Kr. Singh (University of Allahabad)
Dr. Shaileendra.K.Mishra (University of Allahabad)
Dr. Ehsan Hasan (Banaras Hindu University)

Editorial / Refereed Board Members

- Dr. Ravi S. Singh** (University of Delhi)
Dr. Roopesh K. Singh (M.G.A.H.V., Wardha)
Dr. Tarun (University of Delhi)
Dr. Dhirendra Rai (Banaras Hindu University)
Dr. Ajay Kumar Singh (Jammu University)
Dr. Shree Kant Jaiswal (M.G.A.H.V., Wardha)
Dr. Kuldeep Kumar Pandey (M.G.A.H.V., Wardha)
Dr. Abhisekh Tripathi (M.G.A.H.V., Wardha)
Dr. Shiv Gopal (M.G.A.H.V., Wardha)
Dr. Vijay Kumar Kanaujiya (V.B.S.P.U., Jaunpur)
Dr. Jitendra (M.G.A.H.V., Wardha)
Dr. Shiv Kumar (K.U., Bhawanipatna)
Mr. Ambuj Kumar Shukla (M.G.A.H.V., Wardha)

Managerial Board

- Mr. K.K.Tripathi** (M.G.A.H.V., Wardha)
Mr. Rajat Rai (State Correspondent, U.P. India Today Group)

S.NO.	Content	Pg. No.
1.	Implementation of Human Resource Management Practices in the Organization P. Sardar Singh	1-10
2.	ओटीटी प्लेटफार्मों का उद्धव और इसका सामाजिक प्रभाव सुशील	11-17
3.	स्वतंत्रोत्तर भारत में पर्यावरण नीति : एक अवलोकन अभिषेक सिंह	18-24
4.	वेदों में पर्यावरण एवं बन्यजीव संरक्षण राम कृपाल	25-29
5.	भक्ति आंदोलन में संत तुकाराम का सामाजिक-सांस्कृतिक अवदान सुनील कुमार सुधांशु	30-35
6.	शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के अध्येताओं की व्हाट्सऐप संलग्नता की तीव्रता एवं प्रकृति का अध्ययन जेस्पेंदर सिंह एवं सारिका राय शर्मा	36-46
7.	प्रगतिशील चेतना के आलोक में हिंदी कविता देवीलाल	47-52
8.	“मातंगी का मशाल” (मातंगी दिवटगी) कन्ड की दलित आत्मकथा महादेवी प. कणवी	53-58
9.	भारतीय ज्ञान परंपरा : निर्वचन और अनुवाद अंजू	59-64
10.	भारत की सांस्कृतिक एवं भाषिक एकता में हिंदी का योगदान ओमप्रकाश प्रजापति	65-70
11.	हिंदी शिक्षण में रचनावादी दृष्टिकोण की उपयोगिता कु. प्रीति दुबे	71-75
12.	भरतमनि की अभिनय प्रशिक्षण पद्धति में यौगिक व्यायाम शिवकांत वर्मा	76-82
13.	भारत में शैलीबद्ध अभिनय : शिल्प एवं सौंदर्य सुनील कुमार	83-88
14.	Women Discourse in 21 st Century Hindi Literature : Rewriting Narratives of Identity and Resistance Akanksha Mohan	89-96
15.	Climate Change and Multidimensional Poverty in India : A Comparative Study of Coastal vs. Uttarakhand Vulnerabilities Bhavya Bhagat	97-106

Manuscript Timeline

Submitted : January 03, 2024 Accepted : February 02, 2024 Published : March 31, 2024

Implementation of Human Resource Management Practices in the Organization

P. Sardar Singh¹

Abstract

Human Resource Management (HRM) practices play a vital role in shaping the organizational culture, driving employee engagement, and ultimately contributing to the success of an organization. This article delves into the significance of implementing HRM practices in organizations, exploring key strategies for successful implementation, challenges that may arise, the role of the HR department in driving these efforts, methods for measuring effectiveness, and showcasing best practices through case studies. By understanding and effectively implementing HRM practices, organizations can create a thriving work environment that fosters growth, innovation, and employee satisfaction.

1. Introduction to Human Resource Management Practices

Defining Human Resource Management (HRM) : Human Resource Management (HRM) is the strategic approach to managing an organization's most valuable asset - its people. It involves the coordination of various activities such as recruitment, selection, training, development, performance evaluation, and compensation to ensure that the organization attracts, retains, and motivates employees to achieve its goals and objectives. HRM is essential for the success of any organization as it directly impacts the productivity, morale, and overall performance of its workforce. One of the key functions of HRM is recruitment and selection. This involves identifying the staffing needs of the organization, sourcing candidates, and selecting the most qualified individuals to fill various positions. HRM plays a crucial role in finding the right fit for the organization by assessing the skills, qualifications, and cultural fit of potential candidates. Effective recruitment and selection processes can help the organization build a talented and diverse workforce that can contribute to its growth and success.

Another important aspect of HRM is training and development. This involves identifying the training needs of employees, designing and delivering training programs to enhance their skills and competencies, and creating opportunities for career growth and development. Training and development programs not only help employees stay current with industry trends and

¹ Research Scholar, Gitam School of Business Management, Gitam University.
Email : ps.singh@yahoo.co.in, Contact: 9970070616.

technologies but also increase their job satisfaction and motivation, leading to higher retention rates and improved performance. Performance evaluation is another critical function of HRM. It involves setting clear performance expectations, providing regular feedback, and evaluating employee performance against predetermined goals and objectives. Performance evaluations help identify top performers, provide opportunities for coaching and development, and address performance issues before they escalate. By recognizing and rewarding high-performing employees while addressing underperformance, HRM helps create a high-performance culture within the organization.

Compensation and benefits are also essential components of HRM. A competitive compensation package that includes salary, bonuses, benefits, and perks can attract top talent and motivate employees to perform at their best. HRM plays a key role in designing and implementing fair and equitable compensation and benefits policies that align with the organization's goals and objectives while also considering market trends and industry standards. In conclusion, Human Resource Management is a strategic function that focuses on managing the organization's most valuable asset - its people. By effectively recruiting, training, developing, evaluating performance, and compensating employees, HRM ensures that the organization has the right talent in place to achieve its goals and objectives. HRM plays a key role in creating a positive work environment, fostering employee engagement and motivation, and driving organizational success.

Evolution of HRM Practices in Organizations : Human Resource Management (HRM) practices have evolved significantly over the years as organizations have realized the importance of effectively managing their workforce. In the early days, HRM practices were mainly focused on administrative tasks such as payroll, recruitment, and compliance with labor laws. However, with the changing dynamics of the business world and the increasing competition in the market, organizations started to recognize the need for strategic HRM practices that could help them attract, retain, and develop the best talent. One of the key factors driving the evolution of HRM practices in organizations is the shift towards a more strategic approach to managing human resources. Today, HRM is seen as a critical function that contributes to the overall success and sustainability of the organization. HRM practices have evolved to include talent management, employee engagement, performance management, and organizational development. By aligning HRM practices with the organization's strategic goals, HR managers can ensure that the workforce is equipped to meet the challenges of a rapidly changing business environment.

Another factor influencing the evolution of HRM practices is the rise of technology and data analytics. HRM practices have become increasingly data-

driven, with organizations using HR metrics and analytics to make informed decisions about their workforce. Technology has also revolutionized recruitment processes, training and development programs, and performance management systems. By embracing technology and data analytics, organizations can improve the efficiency and effectiveness of their HRM practices, ultimately leading to better organizational outcomes.

In conclusion, the evolution of HRM practices in organizations has been driven by the need for a more strategic approach to managing human resources and the advancements in technology and data analytics. HR managers play a crucial role in developing and implementing HRM practices that align with the organization's strategic goals and help drive business success. By embracing new trends and best practices in HRM, organizations can create a competitive advantage in the market and ensure long-term sustainability.

2. Importance of Implementing HRM Practices in Organizations

Enhancing Employee Engagement and Satisfaction : Employee engagement and satisfaction are crucial factors that can greatly impact the success of an organization. When employees are engaged and satisfied with their work, they are more likely to be productive, motivated, and committed to the company's goals. This can ultimately lead to higher levels of employee retention, increased job satisfaction, and improved overall performance. One way to enhance employee engagement and satisfaction is by providing opportunities for professional growth and development. Investing in training and development programs can help employees to enhance their skills, knowledge, and abilities, ultimately leading to a more engaged and satisfied workforce. Additionally, offering opportunities for career advancement can also help to increase employee satisfaction and engagement, as employees are more likely to be motivated and committed to their work when they see a clear path for career progression within the organization.

Another important factor in enhancing employee engagement and satisfaction is creating a positive work environment. This includes fostering a culture of open communication, trust, and recognition. When employees feel valued, appreciated, and supported, they are more likely to be engaged and satisfied with their work. Recognizing and rewarding employees for their contributions and achievements can also help to boost morale and motivation, leading to higher levels of engagement and satisfaction within the organization. In conclusion, by investing in opportunities for professional growth and development, and creating a positive work environment that values and recognizes employees, organizations can enhance employee engagement and satisfaction, leading to improved performance and overall success.

Supporting Organizational Growth and Success : Supporting organizational growth and success is essential for the longevity and prosperity of any business. One key aspect of achieving growth and success is fostering a strong organizational culture that is conducive to innovation, collaboration, and employee engagement. Creating a positive work environment where employees feel valued, empowered, and respected can lead to increased productivity, creativity, and motivation. By investing in initiatives such as team-building activities, professional development opportunities, and employee recognition programs, organizations can cultivate a strong sense of unity and purpose among their workforce, driving them towards achieving collective goals and objectives.

Another crucial factor in supporting organizational growth and success is strategic planning and execution. Setting clear goals and objectives, developing a roadmap for achieving them, and regularly monitoring progress and adjusting strategies according to market trends and changing circumstances are essential components of a successful growth strategy. Additionally, investing in research and development, expanding market reach, and continuously innovating products and services are key drivers of sustained growth and market competitiveness. By adopting a proactive and forward-thinking approach to business operations, organizations can position themselves as industry leaders, attract top talent, and secure long-term success in an increasingly competitive market landscape.

Effective HRM practices support organizational growth by aligning employee skills with business objectives, fostering talent development, and creating a culture of continuous improvement. A well-implemented HRM strategy can drive innovation, efficiency, and sustainable growth.

3. Key HRM Strategies for Successful Implementation

Recruitment and Selection Processes : Developing robust recruitment and selection processes is essential for attracting top talent that aligns with the organization's values and goals. Utilizing innovative sourcing methods, conducting thorough interviews, and assessing candidate fit are critical aspects of successful recruitment.

Training and Development Programs : Investing in employee training and development programs is crucial for enhancing skills, improving performance, and fostering career growth. Providing opportunities for continuous learning and upskilling helps employees stay motivated, adaptable, and equipped to meet evolving job demands.

4. Challenges in Implementing HRM Practices

Resistance to Change from Employees : One of the common challenges in implementing HRM practices is resistance from employees who may be hesitant to

adapt to new processes or ways of working. Effective communication, stakeholder involvement, and change management strategies are essential to address resistance and encourage buy-in.

Lack of Resources and Budget Constraints : Limited resources and budget constraints can hinder the effective implementation of HRM practices. Organizations must prioritize investments in HR initiatives, streamline processes, and find creative solutions to overcome financial barriers while maximizing the impact of HRM strategies. Implementing HRM practices requires a strategic approach, a focus on employee well-being and development, and a commitment to overcoming challenges to drive organizational success. By prioritizing HRM strategies, organizations can create a positive work culture, enhance performance, and achieve sustainable growth.^{# 5.}

Role of HR Department in Driving Implementation Efforts When it comes to implementing Human Resource Management (HRM) practices in an organization, the HR department plays a crucial role. Let's dive into how they can make it happen:

Building a Strong HR Team : Having a capable and dedicated HR team is essential for successful implementation. This includes having individuals who not only understand HRM practices but are also passionate about driving positive change within the organization. After all, they're the ones leading the charge on the HR frontlines.

Creating a Culture that Supports HRM Practices : Creating a culture that supports Human Resource Management (HRM) practices is crucial for the success and growth of any organization. A supportive culture ensures that HR policies and practices are understood and embraced by employees at all levels. This can be achieved through effective communication, training, and leadership. When employees feel that HRM practices are fair and consistent, they are more likely to engage with their work, take ownership of their responsibilities, and contribute positively to the overall success of the organization.

Furthermore, a culture that supports HRM practices also fosters a positive and productive work environment. By promoting transparency, trust, and open communication, organizations can build a strong foundation for employee engagement, satisfaction, and retention. When employees feel valued and supported, they are more likely to be motivated, committed, and loyal to the organization. This can lead to higher levels of productivity, creativity, and innovation, ultimately driving the organization towards its goals and objectives. In conclusion, creating a culture that supports HRM practices is essential for building a successful and sustainable organization that can adapt and thrive in today's increasingly competitive business landscape.

5. Measuring the Effectiveness of HRM Practices

Measuring the effectiveness of human resource management (HRM) practices is crucial for organizations to ensure that they are achieving their desired outcomes and driving business success. There are various methods that can be used to measure the effectiveness of HRM practices, such as employee surveys, performance evaluations, turnover rates, and financial metrics. Employee surveys can provide valuable insights into employee satisfaction, engagement, and morale, which are key indicators of the effectiveness of HRM practices. Performance evaluations can help organizations assess the impact of HRM practices on employee productivity, performance, and development. Additionally, turnover rates can be used to monitor employee retention and turnover, which can indicate the effectiveness of HRM practices in attracting and retaining top talent. Financial metrics, such as return on investment (ROI) or cost per hire, can also be used to assess the impact of HRM practices on the organization's bottom line.

Measuring the effectiveness of HRM practices is essential for organizations to identify areas of improvement and ensure that their HR strategies are aligned with their business goals. By regularly evaluating the impact of HRM practices, organizations can identify strengths and weaknesses in their HR processes and make informed decisions to drive better business outcomes. Furthermore, measuring the effectiveness of HRM practices can help organizations benchmark themselves against industry standards and best practices, allowing them to stay competitive and innovative in a rapidly changing business environment. Overall, effective measurement of HRM practices can provide valuable insights that enable organizations to optimize their human capital and drive sustainable business success.

Key Performance Indicators for HRM Success : Tracking key performance indicators (KPIs) related to HRM can provide valuable insights into how well these practices are working. Metrics like employee turnover rate, performance ratings, and training participation rates can help measure the impact of HRM initiatives.

Feedback Mechanisms and Continuous Improvement : Feedback is key to improvement. Establishing feedback mechanisms, such as employee surveys or performance reviews, allows organizations to collect valuable input on HRM practices. This feedback can then be used to continuously refine and improve HRM strategies.

6. Best Practices and Case Studies in HRM Implementation

One of the best practices in HRM implementation is having a clear and well-defined strategy that aligns with the overall goals and objectives of the organization. This involves conducting a thorough analysis of the current

workforce, identifying gaps and areas for improvement, and developing targeted initiatives to address these issues. By taking a strategic approach to HRM implementation, organizations can ensure that their human capital is properly utilized and that the right talent is in place to drive business success. Additionally, regular monitoring and evaluation of HRM practices is essential to ensure that they are effective and making a positive impact on the organization.

Case studies have shown that organizations that prioritize employee engagement and satisfaction tend to perform better and have higher rates of retention. By investing in programs and initiatives that promote a positive work environment and support the well-being of employees, organizations can enhance their overall performance and productivity. For example, companies like Google and Zappos have implemented innovative HRM practices, such as flexible work arrangements and employee empowerment programs, that have resulted in high levels of employee satisfaction and a strong corporate culture. These case studies serve as examples of how effective HRM implementation can lead to tangible benefits for both employees and the organization as a whole.

Case Study : Successful Implementation of Performance Management System

In this case study, we'll explore how a company successfully implemented a performance management system, highlighting the strategies and tactics that led to its success. By drawing lessons from this case study, organizations can gain valuable insights into effective HRM implementation. Performance management is a critical component of any organization's success, as it ensures that employees are working towards the company's goals and objectives. In a case study of a successful implementation of performance management, a manufacturing company significantly improved its overall productivity and profitability by effectively tracking and evaluating employee performance. The company implemented a performance management system that clearly identified key performance indicators, set clear expectations, and provided regular feedback to employees. This led to increased accountability, motivation, and collaboration among employees, ultimately resulting in higher levels of productivity and improved quality of work.

Furthermore, the successful implementation of performance management also had a positive impact on employee satisfaction and retention. By providing employees with clear goals, feedback, and opportunities for growth and development, the company was able to create a more engaged and motivated workforce. Employees felt empowered and valued, knowing that their efforts were recognized and rewarded based on their performance. As a result, the company experienced lower turnover rates, increased employee loyalty, and improved morale within the organization. Overall, this case study highlights the importance of

effective performance management in driving organizational success and creating a positive work environment for employees.

Lessons Learned and Recommendations for Organizations

Reflecting on past experiences and lessons learned is crucial for growth. This section will offer key takeaways and recommendations for organizations looking to enhance their HRM practices based on the best practices and case studies discussed. It's all about continuous learning and improvement in the world of HRM implementation! In conclusion, the implementation of Human Resource Management practices is not just a necessity but a strategic imperative for organizations looking to thrive in today's competitive landscape. By embracing and effectively executing HRM strategies, organizations can cultivate a culture of success, empower their employees, and achieve sustainable growth. As HR departments continue to evolve and adapt to changing dynamics, the commitment to implementing best practices and continuously improving HRM processes will be essential for long-term success.

In today's ever-changing business landscape, organizations are constantly faced with challenges and opportunities that test their ability to adapt and grow. One of the most important lessons that organizations can learn is the value of continuous learning and development. By investing in the professional development of their employees, organizations can ensure that they are well-equipped to navigate the complexities of the modern business world and stay ahead of the competition. Employees who are engaged in ongoing learning are more likely to innovate, collaborate, and contribute to the success of the organization.

Another crucial lesson for organizations to learn is the importance of fostering a culture of transparency, accountability, and trust. When employees feel valued and respected, they are more likely to be motivated and committed to their work. Organizations that prioritize open communication, feedback, and recognition create a positive work environment that encourages teamwork and collaboration. By fostering a culture of transparency and trust, organizations can build strong relationships with their employees, customers, and stakeholders, leading to increased loyalty and long-term success.

Lastly, organizations should prioritize diversity and inclusion in their hiring and retention practices. In today's globalized world, having a diverse workforce is not only the right thing to do but also a competitive advantage. Organizations that embrace diversity and inclusion are able to tap into a wide range of perspectives, experiences, and ideas that can drive innovation and creativity. By building a diverse and inclusive workforce, organizations can better understand and serve the needs of their customers, improve decision-making, and create a more vibrant and

dynamic workplace culture. To achieve this, organizations should implement policies and practices that promote diversity and inclusion at all levels of the organization, from recruitment and hiring to leadership development and promotion.

REFERENCES :-

1. Groen, B., van der Voordt, T., Hoekstra, B. and van Sprang, H. (2019), "*Impact of employee satisfaction with facilities on self-assessed productivity support*", *Journal of Facilities Management*, Vol. 17 No. 5, pp. 442-462. <https://doi.org/10.1108/JFM-12-2018-0069>
2. Huang, Y.-T., Rundle-Thiele, S., & Chen, Y.-H. (2019). *Extending understanding of the internal marketing practice and employee satisfaction relationship: A budget Chinese airline empirical examination*. *Journal of Vacation Marketing*, 25(1), 88–98. <https://doi.org/10.1177/1356766718757270>
3. BHATT, R.; SHARMA, M. *Employee Engagement: A Tool for Talent Management, Retention and Employee Satisfaction in the It/Ites Companies in India*. *CLEAR International Journal of Research in Commerce & Management*, [s. l.], v. 10, n. 8, p. 19–22, 2019. Disponível em: <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=buh&AN=138535554&site=ehost-live>. Acesso em: 30 nov. 2022.
4. Ali, B. J., & Anwar, G. (2021). *Work Engagement: How Does Employee Work Engagement influence Employee Satisfaction?* *International Journal of Advanced Engineering, Management and Science*, 7(6), 10–21.<https://doi.org/10.22161/ijaems.76.2>
5. Ali, Bayad Jamal and Anwar, Govand, *An Empirical Study of Employees' Motivation and Its Influence Job Satisfaction* (April 8, 2021). Ali, B. J., & Anwar, G. (2021). *An Empirical Study of Employees' Motivation and its Influence Job Satisfaction*. *International Journal of Engineering, Business and Management*, 5(2), 21–30. <https://doi.org/10.22161/ijebm.5.2.3>, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3822723>
6. Babu, F. and Thomas, S. (2021), "Quality management practices as a driver of employee satisfaction: exploring the mediating role of organizational image", *International Journal of Quality and Service Sciences*, Vol. 13 No. 1, pp. 157-174. <https://doi.org/10.1108/IJQSS-10-2019-0124>
7. Zhen Yan, ZurainaDatoMansor, Wei Chong Choo, Abdul Rashid Abdullah. (2021) *How to Reduce Employees' Turnover Intention from the Psychological Perspective: A Mediated Moderation Model*. *Psychology Research and Behavior Management* 14, pages 185-197.
8. Caillier, J. G. (2020). *The Impact of Workplace Aggression on Employee Satisfaction With Job Stress, Meaningfulness of Work, and Turnover*

- Intentions. Public Personnel Management.*
<https://doi.org/10.1177/0091026019899976>
9. Cho, Youngsam, and Yongduk Choi. 2021. "When and How Does Sustainable HRM Improve Customer Orientation of Frontline Employees? Satisfaction, Empowerment, and Communication" *Sustainability* 13, no. 7: 3693. <https://doi.org/10.3390/su13073693>

Manuscript Timeline

Submitted : January 03, 2024 Accepted : February 02, 2024 Published : March 31, 2024

ओटीटी प्लेटफार्म का उद्घव और इसका सामाजिक प्रभावसुशील¹**सारांश**

ओटीटी (OTT) का अंग्रेजी में पूर्ण अर्थ “ओवर द टॉप” (*Over the Top*) है जिसका हिंदी अनुवाद “सबसे शीर्ष पर” होता है। ओटीटी के उद्घव को सूचना क्रांति के इस दौर में मनोरंजन के क्षेत्र में हुई एक अभूतपूर्व क्रांति कहा जा सकता है। आज जिस तरह से भारत में लोगों के रहन-सहन का स्तर बढ़ा है, उससे उसके मनोरंजन के साधनों में भी बदलाव आया है। एक दौर था जब मनोरंजन के नाम पर भारत में पहले रेडियों और उसके बाद टीवी का चलन हुआ। टीवी के नाम पर भी हमारे पास शुरूआत में सिर्फ एक और उसके कुछ वर्षों बाद दो चैनल हुआ करते थे। फिर समय आया केबल टीवी और उसके बाद शुरूआत हुई डिश टीवी की। मनोरंजन के क्षेत्र में इस प्रतिस्पर्धा को देखते हुए बड़े-बड़े व्यापारिक घरानों ने ओटीटी के क्षेत्र में निवेश करना शुरू किया। आज हम ओटीटी के माध्यम से मनोरंजन के एक नए युग में प्रवेश कर गए हैं। जिसमें हम सिर्फ भारत में ही नहीं अपितु सारे विश्व में प्रदर्शित होने वाली फिल्मों को देख सकते हैं। इसके साथ ही हम ओटीटी पर विभिन्न समाचार चैनलों और अन्य चैनलों को भी लाईव देख सकते हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में ओटीटी के उद्घव और समाज पर इसके प्रभाव (सकारात्मक और नकारात्मक) की विस्तृत चर्चा की गई है।

मुख्य शब्द :- ओटीटी, सूचना क्रांति, मनोरंजन, प्रतिस्पर्धा, सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव।

प्रस्तावना-

ओटीटी प्लेटफार्म आज वैश्विक स्तर के मनोरंजन और सूचना के एक साधन के रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं। ओटीटी के उद्घव से पूर्व विश्व मनोरंजन के लिए अन्य साधनों का प्रयोग करता रहा है। प्रारंभ में लोग मनोरंजन के लिए खेल, जादू-तमाशा, नाच-गाना, पशु-पक्षियों की लड़ाई, कुश्ती आदि का सहारा लेते थे। उसके बाद 24 दिसम्बर 1906 कीशाम कनाडाई वैज्ञानिक रेगिनाल्ड फेसेंडेन ने जब अपना वॉयलिन बजाया और अटलांटिक महासागर में तैर रहे तमाम जहाजों के रेडियो ऑपरेटरों ने उस संगीत को अपने रेडियो सेट पर सुना, वह दुनिया में रेडियो प्रसारण की शुरूआत थी। इससे पहले जगदीश चन्द्र बसु ने भारत में तथा गुल्येल्मो मार्कोनी ने सन 1900 में इंग्लैंड से अमरीका बेतार संदेश भेजकर व्यक्तिगत रेडियो संदेश भेजने की शुरूआत कर दी थी, पर एक से अधिक व्यक्तियों को एक साथ संदेश भेजने या ब्रॉडकास्टिंग की शुरूआत 1906 में फेसेंडेन के साथ हुई। रेडियो में विज्ञापन की शुरूआत 1923 में हुई। इसके बाद ब्रिटेन में बीबीसी और

¹ पत्रकार, अमर उजाला, रोहतक एवं जूनियर रिसर्च फैलोशिप धारक।

ई-मेल:- Sushildarak25@gmail.com, मो.- 8607095048.

अमरीका में सीबीएस और एनबीसी जैसे सरकारी रेडियो स्टेशनों की शुरुआत हुई। 1927 तक भारत में भी ढेरों रेडियो क्लबों की स्थापना हो चुकी थी। 1936 में भारत में सरकारी 'इम्पेरियल रेडियो ऑफ इंडिया' की शुरुआत हुई जो आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी बन गया।

चूंकि रेडियो की एक सीमा थी, ये केवल दूर बैठे व्यक्ति की आवाज को हम तक पहुंचा सकता था। वहाँ के लाइव दृश्य को यह दिखाने में असमर्थ था। इसी जिज्ञासा ने रेडियो के बाद टेलीविजन के आविष्कार को दिशा प्रदान की और रेडियो के बाद टेलीविजन का आविष्कार संभव हो सका था। जॉन लोगी बेर्यर्ड ने दुनिया को सबसे पहले टेलीविजन की सौगात दी थी। उन्होंने 1925 में पहला मेकेनिकल सिस्टम आधारित ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन बनाया था। जिसके कारण उन्हें टेलीविजन का आविष्कारक और फादर ऑफ टेलीविजन कहा जाता है। इसके उपरांत वर्ष 1927 में पहला इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन बना। इसका आविष्कार फिलो फार्न्सवर्थ ने किया। इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन बनाने के बाद इसका सार्वजनिक प्रदर्शन प्रदर्शन 3 सितंबर, 1928 को किया गया। भारत में प्रथम टेलीविजन प्रसारण 15 सितंबर, 1959 को किया गया था। तत्कालिक राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने इसका उद्घाटन आकाशवाणी भवन, नई दिल्ली में किया था। इसके बाद भारत में रंगीन टेलीविजन की शुरुआत वर्ष 1982 एशियाई खेलों के सजीव प्रसारण के साथ हुई थी। वर्ष 1982 में ही भारत के उपग्रह इनसेट-1ए के माध्यम से दूरदर्शन पर कार्यक्रमों का प्रसारण होने लगा। वर्ष 1995 में सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया कि "वायु तरंगों पर भारत सरकार का एकाधिकार नहीं हो सकता है।" इसके बाद भारत में निजी और क्षेत्रीय चैनलों का विकास शुरू हो गया था। इसके बाद के दशकों में देश में निजी चैनलों की बाढ़ सी आ गई। वर्तमान में देश में 1000 से ज्यादा सरकारी, निजी और क्षेत्रीय चैनल मौजूद हैं।

मनोरंजन के साधनों के विकास के क्रम में टेलीविजन के उपरांत उद्भव होता है, ओटीटी प्लेटफॉर्म का। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जो टेलीविजन के साथ-साथ मोबाइल पर ही वेबसीरीज, फिल्में, और सीरियल उपलब्ध करा देता है। हर तरह का कंटेंट आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मिल जाता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म इंटरनेट की मदद से चलते हैं।

कोरोना महामारी के दौर में डिजिटल वर्ल्ड में एक गजब की क्रांति हुई। शहर से गांव तक ओटीटी प्लेटफॉर्म का चलन बढ़ गया। मोबाइल पर ही लोगों को मनपसंद वेबसीरीज, फिल्में और शो मिलने लगा। अब उन्हें कहीं जानें की जरूरत नहीं थी, पेनड्राइव में मूवी लाने की आवश्यकता नहीं थी। थिएटर में तीन घंटे बिताने की भी चाह नहीं रह गई। दो साल से भी कम वक्त में 'ओटीटी' हर किसी के जीवन का अभिन्न अंग बन गया और मनोरंजन तक लोगों की पहुंच आसान बन गई।

ओटीटी का उद्भव और विकास-

दुनिया में यूं तो सबसे पहले ओटीटी की शुरुआत में साल 1997 में हुई थी। अमेरिकी शख्स रीड हेस्टिंग्स ने 26 साल पहले नेटफिल्म्स की शुरुआत के साथ दुनिया के सामने ओटीटी को पेश किया था।

भारत का पहला ओटीटी प्लेटफार्म नेटफिलक्स या अमेजन नहीं, बल्कि बिगफिलक्स था। इसकी शुरुआत साल 2008 में रिलायंस एंटरटेनमेंट ने की थी। रिलायंस एंटरटेनमेंट ने भारत में सबसे पहले ओटीटी प्लेटफार्म बिगफिलक्स (Bigflix) को लॉन्च किया था। हालांकि, बाद में साल 2010 में डिजिवाइव ने NEXG TV नाम से ओटीटी मोबाइल एप लॉन्च किया, जिसमें वीडियो ऑन डिमांड के साथ टीवी भी देखा जा सकता था।

ओटीटी प्लेटफार्म पर फ़िल्म रिलीज या स्ट्रीमिंग के लिए ओटीटी प्लेटफार्म फ़िल्मों के अधिकार खरीदता है। इसके लिए निर्देशक को पैसे दिए जाते हैं। यह डील एक ही फ़िल्म के अलग-अलग भाषा के वर्जन के लिए अलग-अलग होती है। कुछ फ़िल्में ओटीटी प्लेटफार्म ही बनवाते हैं। इसकी भी डील की जाती है।

पॉपुलर ओटीटी प्लेटफार्म की बात करें तो इनमें नेटफिलक्स, अमेजन प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस हॉस्टस्टार, जी5, सोनी लिव, एमएक्सप्लेयर, आल्ट बालाजी, वूट, होईचोई और इरोजनाउ के नाम प्रमुखता से आते हैं।

ओटीटी के प्रकार-

- ओटीटी प्लेटफार्म्स को इनके उपयोग के आधार पर तीन भागों में बांटा जा सकता है-
- **TVOD (Transactional Video on Demand)-** इसमें दर्शक को प्लेटफार्म से कुछ मनोरंजन सामग्री डाउनलोड करने के लिए भुगतान करना होता है।
 - **SVOD (Subscription Video on Demand)-** इसमें दर्शक महीने-भर या कुछ दिन के लिए भुगतान कर कर सबस्क्रिप्शन लेता है और अपनी पसंदीदा सामग्री देखता है।
 - **AVOD (Advertising Video on Demand)-** यह बिल्कुल मुफ्त होता है। इसमें दर्शकों को कोई भुगतान नहीं करना होता है। हालांकि बीच-बीच में कई बार प्रचार यानी एड आते हैं। इन्हें स्किप नहीं किया जा सकता। इन एड से भी ओटीटी प्लेटफार्म्स की अच्छी-खासी कमाई होती है।

ओटीटी प्लेटफार्म का सामाजिक प्रभाव-

बीते पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन मनोरंजन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा वृद्धि देखी गयी है। नेटफिलक्स, अमेज़नप्राइम, डिज्नी हॉस्टस्टार, आदि जैसी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सेवाओं के मिलने और तेज़, सस्ती इंटरनेट सेवाओं की शुरुआत होने से भारत में ओटीटी सामग्री की बहुत बड़ी मात्रा में खपत हो रही है। भारत में बहुत सारे लोग ओटीटी सामग्री के उपयोगकर्ता बन गए हैं। पीडब्ल्यूसी के मीडिया एंड एंटरटेनमेंट आउटलुक 2020 के अनुसार भारत का ओटीटी बाजार 2024 तक दुनिया का छठा सबसे बड़ा बाजार बनने की ओर अग्रसर है। सबसे पहले हम ओटीटी प्लेटफार्म के समाज पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव की चर्चा करेंगे-

➤ ओटीटी प्लेटफार्म का सकारात्मक प्रभाव-

आज ओटीटी प्लेटफार्म जिस तरह से सभी वर्ग के बच्चों और युवाओं के मध्य मनोरंजन के एक विशेष साधन के रूप में उभरा है, वह बच्चों और युवाओं के मानसिक विकास और सामाजिक समझ को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है क्योंकि ओटीटी प्लेटफार्म पर हमें ऐसी सामग्री भी देखने को मिल रही है जिसे सिनेमा के माध्यम से प्रस्तुत करने की शायद किसी निर्माता-निर्देशक की हिम्मत नहीं होती। परंतु ओटीटी प्लेटफार्म पर किसी भी सामग्री के प्रस्तुतिकरण के लिए किसी प्रमाणीकरण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ओटीटी प्लेटफार्म के अन्य सकारात्मक प्रभावों को निम्नानुसार समझा जा सकता है:-

- मीडिया का लोकतंत्रीकरण -** ओटीटी उद्योग भारत में बड़ी संख्या में ऐसे छोटे कॉन्टेंट निर्माताओं और कलाकारों को लाभान्वित करता है, जिन्होंने अपने शिल्प में महारत हासिल की है। यह देश भर में और साथ ही साथ विश्व स्तर पर क्षेत्रीय फ़िल्मों तक पहुँच को भी सुगम बनाने में मदद करता है।
- दबाव रहित सर्टिफिकेशन -** ओटीटी पर सिनेमा की तरह किसी भी प्रकार का कोई सर्टिफिकेशन का कोई दबाव नहीं है, जिसे जैसी सामग्री प्रस्तुत करनी है वह वैसी सामग्री प्रस्तुत कर सकता है। इससे कई बार हमें ऐसी सामग्री भी देखने को मिल जाती है, जिसे शायद सिनेमा में सर्टिफिकेशन की समस्या के कारण प्रस्तुत करना लगभग असम्भव हो।
- सकारात्मक वातावरण का निर्माण -** वर्तमान में हर आयुर्वर्ग के लोग ओटीटी का प्रयोग कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखकर ही समाज में सकारात्मक वातावरण के निर्माण को ध्यान में रखते हुए ओटीटी आधारित सामग्री तैयार करने की आवश्यकता महसूस होने लगी है। ओटीटी पर शुरू में आनेवाली फ़िल्में और वेब सीरीज को परिवार के सभी सदस्यों के साथ बैठकर देखना अत्यंत कठिन था। किंतु पिछले कुछ समय में ऐसी बहुत-सी फ़िल्में और वेब-सीरीज अनेकों अनेकों ओटीटी आधारित प्लेटफार्मों पर प्रदर्शित हुई हैं।
- विचारों की सीधी पहुँच -** ओटीटी के द्वारा किसी भी विचार को सीधे सामान्य नागरिक तक पहुँचाया जा सकता है और पहुँचाया भी जा रहा है। किंतु जैसे-जैसे समय के साथ ओटीटी का चलन बढ़ रहा है उस पर नकारात्मक सामग्री भी बड़ी तेजी से फैल रही हैं।
- पसंदीदा सामग्री के चयन की स्वतंत्रता -** ओटीटी प्लेटफार्मों के माध्यम से लोगों को अपने मन मुताबिक कार्यक्रम देखने और समय के अनुसार बदलने की स्वतंत्रता मिल चुकी है। इसके साथ ही इसमें प्रत्येक दर्शक को पूर्ण रूप से निजता मिल रही है। वहीं बढ़ते दर्शकों के साथ-साथ आज प्रत्येक ओटीटी प्लेटफार्म पर अलग तरह या यूँ कहा जाए कि लोगों की पसंद के आधार पर विभिन्न प्रकार की सामग्री भी वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफार्मों पर साझा की जा रही है।

➤ ओटीटी प्लेटफार्म का नकारात्मक प्रभाव-

किसी भी उभरती हुई व्यवस्था के दो पहलू होते हैं। जहाँ एक तरफ ओटीटी प्लेटफार्म के सकारात्मक प्रभाव हैं वहाँ दूसरी तरफ इसके बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव भी है। ओटीटी प्लेटफार्म के नकारात्मक प्रभावों को निम्नलिखित प्रस्तुत समस्याओं के माध्यम से समझा जा सकता है:-

1. **वेब सीरीज की लत -** आज लोगों को ओटीटी प्लेटफार्मों पर दिखाई जाने वाली वेब सीरीजों की लत सी लग गई है। वह अपना अधिकतर समय ओटीटी प्लेटफार्म के माध्यम से मनोरंजन में व्यतीत कर रहे हैं। लोग फ़िल्मों/वेब सीरीज के किरदार को अधिकतर समय अपने सामने देख रहे हैं, उसे महसूस कर रहे हैं। कहीं न कहीं जब तक हम सारे एपिसोड पूरे न देख लें, उसके पात्र और कहानी हमारे मन-मस्तिष्क में चलती रहती है, जिसके कारण समाज और उनके लोगों में किसी न किसी प्रकार का बदलाव आने की संभावना बढ़ जाती है।
2. **भड़काऊ सामग्री की प्रस्तुति -** इन दिनों अधिकतर ओटीटी प्लेटफार्मों पर बोल्ड और भड़काऊ सामग्री भी परोसी जा रही है। साथ ही उनके संवादों में गाली-गलौच से लिंगसूचक, जातिसूचक और व्यक्तिगत टिप्पणी का शामिल होना अब जैसे सामान्य हो गया है। इसका एक बड़ा नकारात्मक प्रभाव यह है कि इस तरह की सामग्री आज के उस युवा वर्ग का अधिक ध्यान आकर्षित कर रही हैं, जिनके कंधों पर कल के समाज की जिम्मेदारी है।
3. **सिनेमा युग का समापन -** एक समय थिएटर में होने वाली नाट्य प्रस्तुति ही मनोरंजन का साधन हुआ करती थी। समय के साथ सिनेमा ने थिएटर की जगह ले ली और टॉकीज शुरू हुए और उनमें फ़िल्मों का प्रदर्शन होने लगा। सिंगल स्क्रीन से लेकर बड़े मल्टीप्लेक्स शहरों में स्थापित हुए। लेकिन ओटीटीप्लेटफार्मों के आगमन से अगले कुछ वर्षों में सिनेमा युग का भी समापन होने की संभावना है।
4. **मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव -** ओटीटी प्लेटफार्मों पर दिखाई जाने वाली सामग्री दर्शकों के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। ये सामग्री हिंसा, ड्रग्स, सेक्स और अपराध की संवेदनशीलता को बढ़ा रही हैं जिससे लोगों का मानसिक स्वास्थ्य नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है और सोशल स्किल में गिरावट हो रही हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म की लोकप्रियता के पीछे सबसे बड़ा कारण मनोरंजन है। स्मार्टफोन, लैपटॉप आदि जैसे गैजेट्स की उपलब्धता और इंटरनेट सेवाओं की पहुंच आसान होने से ओटीटी सामग्री को कभी भी, कहीं भी देखने की सुविधा मिल जाती है। युवा, विशेष रूप से ताजा सामग्री, दिलचस्प प्लॉट्स और किरदारों और परिस्थितियों की यथार्थवादी प्रस्तुतियों (रियल रिप्रेजेंटेशन) के प्रतिनिधित्व से ओटीटी सामग्री को ज्यादा देख रहे हैं। इन सामग्रियों के साथ वे खुद को जोड़कर देखते हैं। कुछ सामग्री शिक्षाप्रद और सूचनात्मक है, जबकि कुछ हिस्क, अश्लील सामग्री को इस तरह से दिखाया जा रहा है जो दर्शकों के मानसिक स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित कर रही है।

5. भय और चिंता में बढ़ोत्तरी - क्रूर, हिंसक शो या फिल्मों को बार-बार देखने से दर्शकों में भय और चिंता बढ़ सकती है, और यहां तक कि इससे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। अध्ययनों के अनुसार आपदाओं, विशेष रूप से आतंकवाद को देखने से डिप्रेशन, स्ट्रेस, एनजाईटी और यहां तक कि नशीले पदार्थों के सेवन के मामलों में वृद्धि हो सकती है।
6. युवाओं और बच्चों के व्यवहार में आक्रामकता में वृद्धि - युवाओं और बच्चों में किसी के व्यवहार को खुद में नकल करने की ज्यादा संभावना होती है क्योंकि वे आसानी से ऑनलाइन वेब शो और अन्य वीडियो सामग्री पर दिखाई जाने वाली चीजों से जुड़े हो सकते हैं। इसका असर यह हो रहा है कि आज के युवाओं में बहुत सारे व्यवहार परिवर्तन लक्षण पैदा हो रहे हैं। यह न केवल उन्हें उनके व्यवहार और उनके विचारों दोनों में आक्रामक बनाता है, बल्कि उनमें धूम्रपान, शराब पीने, ड्रग्स, न्यूडिटी और अश्लीलता जैसी नियमित रूप से देखी गई चीजों से भी प्रभावित होने की संभावना को बढ़ा देता है। ये सब चीजें कई ऑनलाइन वेब शो में अक्सर दिखाए जाते हैं। ये कंटेंट आगे चलकर कम उम्र के लोगों में अस्वस्थ आदतों को विकसित कर सकते हैं। कई अध्ययनों में पाया गया है कि हिंसक शो देखने और बच्चों द्वारा हिंसक व्यवहार में वृद्धि के बीच संबंध है। इस बात की पुष्टि 1000 से ज्यादा अध्ययनों में हो चुकी है। बहुत ज्यादा हिंसक चीजें देखने से व्यवहार आक्रामक हो जाता है, यह चीजें खासकर लड़कों में ज्यादा देखने को मिलती है।
7. बिंज-वाचिंग (किसी कंटेंट को लगातार देखना) से उत्पन्न समस्या - बिंज-वाचिंग अपेक्षाकृत एक नई घटना है, लेकिन निश्चित रूप से पिछले कुछ सालों में ओटीटी दर्शकों के बीच यह एक लोकप्रिय ट्रैंड बन गया है। कई अध्ययनों से पता चला है कि जो लोग बिंज-वाचिंग करते हैं, उनमें खराब नींद और अनिद्रा से पीड़ित होने की संभावना ज्यादा होती है। मनोवैज्ञानिक रूप से एक वेबसीरीज एक व्यक्ति को घंटों तक बांधे रह सकती है, इस दौरान वह व्यक्ति सोना भी भूल सकता है। ओटीटी शोज के ड्रामा, टेंशन, सस्पेंस और एक्शन से लोग खूब मनोरंजित होते हैं, लेकिन ये हार्टरेट रुकने, ब्लडप्रेशर और एड्रेनालाइन को भी बढ़ाते हैं। जब कोई व्यक्ति इन्हे देखने के बाद सोने की कोशिश करता है तो यह अनुभव एक तनावपूर्ण या हल्का दर्दनाक जैसा महसूस हो सकता है, जो सोने में परेशानी पैदा कर सकता है। नींद में यह व्यवधान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। कई अध्ययनों में पाया गया है कि नींद की कमी की समस्या ध्यान, काम करने की याददाशत और भावनात्मक व्यवहार जैसे मानसिक कामों को आसानी से नुकसान पहुंचा सकते हैं। लंबे समय तक अनिद्रा से पीड़ित रहने पर डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर का ज्यादा खतरा पैदा हो सकता है। बहुत ज्यादा बैठे रहना भी मोटापे और इससे संबंधित समस्याओं जैसे डायबिटीज और हृदय की बीमारियों के खतरे को बढ़ाता है।

निष्कर्ष-

मनोरंजन के अन्य पूर्व साधनों की उत्पत्ति और विकास यात्रा से होते हुए हमने ओटीटी प्लेटफार्म के समाज पर पड़ने वाले सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव को समझा है। ओटीटी प्लेटफार्म के समाज पर

सुशील. (2024, जनवरी-मार्च). ओटीटी प्लेटफार्म का उद्भव और इसका सामाजिक प्रभाव. *The Equanimist*, वाल्यूम 10, अंक 1. पृ. सं. 11-17.

पड़ने वाले सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव को समझने के उपरांत हम यह कह सकते हैं कि यदि ओटीटी प्लेटफार्म पर दिखाई जाने वाली सामग्री से जहाँ एक और हम ज्ञानवर्धन कर सकते हैं तो वहाँ दूसरी ओर ओटीटी प्लेटफार्म पर ज्यादा वक्त बिताने से हम बहुत-सारी मानसिक और शारीरिक बीमारियों से भी ग्रस्त होते जा रहे हैं। इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि किसी भी आदत की अति हमारे लिए बहुत-सारी समस्याओं को लेकर आती हैं। वहीं अगर हम सिर्फ मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के लिए ही ओटीटी प्लेटफार्म का उपयोग करते हैं तो यह हमारे और हमारी आने वाली पीढ़ी के सर्वांगीण विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. <https://ndtvlin/web-series/ott-a-to-z-of-over-the-top-platforms-how-they-earn-free-ott-platforms-top-ott-platforms-3295575>
2. <https://wwwlamarujalalcom/photo-gallery/entertainment/bollywood/bigflix-was-the-first-ott-platform-of-india-launched-in-2008-by-reliance-entertainment?pageId=4>
3. <https://wwwloppennaukrilcom/who-invented-television/>
4. <https://enlwikipedialorg/wiki/Television>
5. <https://enlwikipedialorg/wiki/Radio>
6. https://enlwikipedialorg/wiki/Over-the-top_media_service
7. <https://jankritilcom/web-series-ott/>
8. <https://wwwlichowklin/cinema/ott-platform-ignore-social-and-public-health-issues-netflix-amazon-prime-video-disney-plus-hotstar-icea/story/1/27980lhtml>
9. <https://wwwlgrihshobhalin/society/crime/impact-of-ott-platforms>
10. <https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/over-the-top-challenge>

Manuscript Timeline**Submitted : January 15, 2024 Accepted : February 13, 2024 Published : March 31, 2024****स्वतंत्रोत्तर भारत में पर्यावरण नीति : एक अवलोकन****डॉ. अभिषेक सिंह¹****सारांश**

पर्यावरण संरक्षण न केवल नैतिक कर्तव्य है अपितु विधिक जिम्मेदारी भी है। भारत में पर्यावरण को संवैधानिक मान्यता देते हुए इसे सरकार के कार्यों से जोड़ा गया है। भारत विश्व का प्रथम देश है जहाँ पर्यावरण संरक्षण विषय संविधान में सम्मिलित किया गया है। यह शोध पत्र में स्वाधीन भारत के संवैधानिक प्रावधानों एवं भारत सरकार की पर्यावरण नीतियों, कार्यक्रमों तथा इन नीतियों के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं के विश्लेषणात्मक अध्ययन पर आधारित है।

भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 15 (2), 21 एवं 24 है। अनुच्छेद 15 (2) के अनुसार नागरिक को किसी भी आधार पर राज्य द्वारा पूर्णतः या अंशतः पोषित कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों के उपयोग से रोका नहीं जा सकता है।¹ इसी प्रकार अनुच्छेद 21 में व्यक्ति के जीवन के अधिकार का वर्णन है जो स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण में ही संभव है। अनुच्छेद 24 बाल-श्रम का विरोध करता है। इसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक या बालिका को किसी कारखाने या खनन में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।²

भारतीय संविधान में वर्णित नीति निदेशक तत्व गांधीवादी अवधारणा से प्रेरित नैतिकता के वे सूत्र हैं जो देश में स्वस्थ एवं वास्तविक प्रजातंत्र की स्थापना के उद्देश्य से संविधान में सम्मिलित किए गए हैं। अनुच्छेद 47 के अनुसार ‘राज्य नागरिकों के पोषण एवं जीवन स्तर को ऊँचा करने का प्रयास करेगा’। इसमें लोक स्वास्थ्य की उन्नति के अंतर्गत पर्यावरण की रक्षा एवं उन्नति भी सम्मिलित है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन से सम्बन्धित है।³ इसी प्रकार भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य पर्यावरण के प्रति नागरिकों के कर्तव्यों को सुनिश्चित करते हैं।⁴

भारत की संघवादी व्यवस्था के अंतर्गत शक्तियों के विभाजन की व्यवस्था में पर्यावरणीय प्रावधान सुनिश्चित किये गये हैं। भारतीय संविधान में पर्यावरण से जुड़े विषयों को तीन श्रेणियों में सूचीबद्ध किया गया है- संघ सूची, समवर्ती सूची एवं राज्य सूची।

संघ सूची के 52वें शीर्षक में उद्योग, 53वें शीर्षक में तेल क्षेत्रों, तथा खनिज तेल स्रोतों के विनियम एवं विकास, तथा 54वां शीर्षक खानों के विनियम व खनिज विकास से संबंधित है। इसी क्रम में 55 वाँ

¹ सहायक प्रोफेसर, राजनीतिशास्त्र विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र)।मो.- 9670448411, ई-मेल.- abhisinghbhu9@gmail.com

शीर्षक खानों एवं तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा विनियम से संबंधित है। 14वाँ शीर्षक कृषि की कीड़ों से सुरक्षा तथा पौधे की बीमारियों व उनके बचाव, 17वाँ शीर्षक जल सिंचाई व नहरी जल विकास तटबंध और जल भंडारण तथा 18वाँ शीर्षक भूमि विकास सुधार से सम्बन्धित है। समवर्ती सूची के शीर्षक 17(अ) में वनों को स्थान दिया गया है, जबकि 7(ब) वन्य पशुओं और पक्षियों के संरक्षण से संबंधित है। मूल संविधान में नदी संरक्षण राज्य सूची का विषय था किन्तु राज्यों के मध्य बढ़ते नदी जल विवादों के कारण 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नदी को समवर्ती सूची में सम्मिलित कर दिया गया।⁵

इसी क्रम में सन 1950 से लेकर वर्तमान तक भारत की विभिन्न सरकारों द्वारा लागू की गई प्रमुख पर्यावरण नीतियों का अध्ययन निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है-

भारत की पर्यावरण नीतियाँ (1950 से 1970 तक)

उपर्युक्त कालावधि में कार्यरत विभिन्न केंद्र सरकारों द्वारा मुख्यतः लोक स्वास्थ्य, पोषण, जनआरोग्य तथा जलापूर्ति एवं आवास जैसे विषयों पर ध्यान केन्द्रित किया गयाथा। यद्यपि इस समय पर्यावरण संरक्षण सरकारों का केन्द्रीय विषय नहीं रहा था, तथापि सरकार वन विकास, मृदा संरक्षण जैसे विषयों पर नीतियों का संचालन कर रही थी। इस सन्दर्भ में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति महत्वपूर्ण है। इसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं- अनियंत्रित तथा अत्यधिक चराई का विनियमितिकरण, भूमि के सर्वाधिक उत्पाद एवं कम हास हेतु सन्तुलित एवं सम्पूरक व्यवस्था का मूल्यांकन, वनों से कृषि योग्य भूमि के विस्तार पर नियंत्रण तथा वन-भू क्षरण नियंत्रण।⁶ इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा लागू किए गए नदी जल संरक्षण अधिनियम 1956 के प्रमुख प्रावधान निम्नवत हैं –

उद्योगों एवं नगरीय अपशिष्टों के सीधे जल स्रोतों में विसर्जन पर प्रतिबंध, कृषि में रसायनों एवं कीटनाशकों का सन्तुलित मात्रा में उपयोग, घरेलू अपशिष्टों एवं वाहित मल का उपचार सुनिश्चित करना। सामान्य जन मानस को जल प्रदूषण एवं इससे उत्पन्न खतरों के सम्बन्ध में जागरूक करना इत्यादि।⁷

इन नीतियों एवं अधिनियमों के अतिरिक्त तत्कालीन सरकार द्वारा औद्योगिक विकास अधिनियम 1954 भी पारित किया गया था। स्पष्ट है कि भारत में पर्यावरण नीतियों का निर्माण एवं क्रियान्वयन स्वाधीन भारत के आरम्भिक दो दशकों में प्रारम्भ हो गया था लेकिन इस दिशा में शासकीय एवं प्रशासकीय स्तरों पर और ठोस प्रयासों की आवश्यकता थी।⁸

भारत की पर्यावरण नीतियाँ (1970 से 1990 तक)

वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण हेतु किए जा रहे प्रयासों के अंतर्गत आयोजित स्टाकहोम सम्मेलन (1972) ने पर्यावरण प्रदूषण जैसे दिनों-दिन गम्भीर होते जा रहे विषय पर संपूर्ण विश्व का ध्यान आकृष्ट किया। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। उन्होंने इस सम्मेलन में गरीबी उन्मूलन के माध्यम से पर्यावरण विकास पर भारत के दृष्टिकोण से विश्व को अवगत कराया। भारत में 1970 के दशक एवं उसके बाद की पर्यावरण नीतियाँ स्टाकहोम सम्मेलन के प्रावधानों से प्रेरित रहीं

हैं। जैसे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974, 1977, वन संरक्षण अधिनियम, (1980), वायु प्रदूषण एवं नियन्त्रण अधिनियम 1981, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 1986 तथा ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण एवं निवारण अधिनियम 1987 इत्यादि। इसी क्रम में सन् 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 48-क, और अनुच्छेद 51-क जोड़े गये थे।⁹

उपर्युक्त वर्णित अधिनियमों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है- वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम (1972) के द्वारा विलुप्त होती वन्य जीव प्रजातियों के संरक्षण का प्रावधान किया गया तथा इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कठोर सजा एवं जुर्माने का प्रावधान किया गया था। इस अधिनियम के प्रावधानों में विलुप्त होती वन्य प्राणियों की सूची तैयार करना तथा उनके शिकार पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगाना, विलुप्त होते पौधों एवं वनस्पतियों को संरक्षण प्रदान करना, राष्ट्रीय वन्य विहार, चिड़ियाघर एवं अभयारण्यों की प्रबन्ध व्यवस्था को बेहतर बनाना, शिक्षा के माध्यम से वन्य जीवों के लाभों का प्रचार-प्रसार करना इत्यादि प्रमुख हैं।¹⁰

इसी प्रकार जल संरक्षण हेतु तत्कालीन सरकार ने वर्ष 1969 में एक विधेयक संसद में प्रस्तुत किया था। तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने इस विधेयक की आवश्यकता पर बल देते हुए सदन को अवगत कराया था कि जनसंख्या वृद्धि एवं शहरीकरण की बढ़ती समस्या के कारण जल संसाधनों का दोहन बढ़ गया है। इसके कारण हाल के वर्षों में पेयजल एवं नदी प्रदूषण की समस्या बढ़ गई है। अतः शुद्ध पेयजल की उपलब्धता एवं जल प्रदूषण नियन्त्रण के उद्देश्य से जल प्रदूषण (निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 संसद द्वारा पारित किया गया। यह अधिनियम शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के संदर्भ में भारत की पर्यावरण विधि के क्षेत्र में प्रथम व्यापक प्रयास था।¹¹

इसी क्रम में वन संरक्षण अधिनियम(1980) का मुख्य उद्देश्य वनों के विनाश एवं वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों के उपयोग पर नियन्त्रण करना था। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति बगैर केन्द्र सरकार की अनुमति के वन सम्पदा का उपयोग नहीं कर सकता है।¹² इसी प्रकार वायु प्रदूषण नियन्त्रण अधिनियम (1981) में प्रावधान है कि राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की पूर्व अनुमति के बिना वायु प्रदूषण नियन्त्रण क्षेत्र में कोई भी औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं की जा सकती है।¹³

इसी क्रम में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, (1986) भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए लागू की गयी महत्वपूर्ण नीतियों में से एक है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाले घातक विषैले रसायनों की वृद्धि को नियन्त्रित करना एवं पारिस्थितकीय तंत्र की रक्षा करना था।¹⁴

उपर्युक्त वर्णित अधिनियमों के अतिरिक्त पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सरकारों द्वारा अन्य शासकीय प्रयास भी किए जाते रहे हैं, जैसे कि तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 1980 में नारायण दत्त तिवारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण विषय पर सुझाव देने हेतु किया गया। तिवारी समिति ने पोषणीय विकास हेतु पर्यावरण विभाग एवं आद्रभूमि आयोग की स्थापना तथाप्रत्येक राज्य में वन विभाग की

स्थापना की सिफारिश की थी। तिवारी समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए तत्कालीन राजीव गांधी सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन हेतु वर्ष 1986 में पर्यावरण मंत्रालय का गठन किया था एवं गंगा नदी संरक्षण हेतु वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान- I की शुरुआत की।¹⁵

तिवारी समिति ने पर्यावरणीय विधियों की कमियों को ध्यान में रखकर अनेक विधायी उपायों की भी सिफारिश की जैसे- चारागाह भूमि संरक्षण हेतु विधान, संकट ग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण हेतु विधान, जैवमण्डल संरक्षण पर विधान, भूमि के वैज्ञानिक प्रयोग सम्बन्धी विधि, ध्वनि प्रदूषण निवारण विधि आदि।¹⁶

भारत में 1970 से 1990 तक की पर्यावरण नीतियों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु किए गए उपरोक्त शासकीय-प्रशासकीय प्रयासों का प्रभाव बहुत सकारात्मक नहीं रहा। विभिन्न अध्ययनों में यह तथ्य सामने आता है कि पर्यावरण प्रदूषण फैलाने वाले व्यक्तियों एवं संस्थानों के विरुद्ध दण्डात्मक कारबाई के तौर पर बहुत कम धनराशि निर्धारित की गयी, इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों ने आर्थिक दंड कम होने के कारण प्रदूषण से बचाव की अपेक्षा अर्थ दंड देना अधिक लाभप्रद माना। इसके अतिरिक्त, ये पर्यावरण नीतियां उत्पादन प्रक्रिया अथवा कच्चे माल में परिवर्तन हेतु औद्योगिक इकाइयों को व्यवहारिक अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए प्रेरित नहीं कर सकी। पर्यावरण नीतियों का एक अन्य आलोचनात्मक पक्ष यह भी है कि इन नीतियों के बीच उचित संतुलन कायम करने का प्रयास सरकारों द्वारा नहीं किया गया।¹⁷

भारत की पर्यावरण नीतियां (1991 से 2013)

नब्बे का दशक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आर्थिक नीतियों में व्यापक परिवर्तन का दशक था। भूमंडलीकरण, उदारीकरण तथा बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था के वैश्विक परिवर्तन के परिणामस्वरूप भारत में भी तत्कालीन सरकार द्वारा आर्थिक विकास में क्रमशः नवीन आयामों का समावेश किया गया।¹⁸

पर्यावरण प्रदूषण एवं निदान की दृष्टि से यदि वर्ष 1991 से 2013 तक की अवधि का अध्ययन किया जाए तो विभिन्न अनुसन्धानों में यह पाया गया है कि भारत में वैश्वीकरण एवं उदारीकरण का प्रभाव पर्यावरणीय सुरक्षा की दृष्टि से सकारात्मक नहीं रहा है। इस अवधि में विकास एवं पर्यावरण के मध्य द्वंद्व ने पूर्वनिर्मित पर्यावरण नीतियों के सफल क्रियान्वयन पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया। परिणामस्वरूप भारत में पर्यावरण नीतियों के अस्तित्व में रहने के बावजूद भी पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भारत की राजनीतिक-सामाजिक व्यवस्था में गंभीर चुनौती बनकर सामने आयी। इस अवधि में कई महत्वपूर्ण पर्यावरण नीतियों का निर्माण तथा पूर्व नीतियों को और प्रभावकारी बनाने के उद्देश्य से इनमें संशोधन भी किए गए।¹⁹ इन प्रमुख नीतियों का संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रासंगिक है-

ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन व संचालन) अधिनियम 1992, खतरनाक रसायनों का उत्पादन, भण्डारण एवं आयात अधिनियम 1992, सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1995, प्लास्टिक उत्पादन विक्री एवं प्रयोग नियम 1999, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं संचालन) अधिनियम 2000, बैट्री (प्रबन्धन एवं संचालन) अधिनियम 2001, जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं संचालन) अधिनियम 2004, ठोस

अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं संचालन) अधिनियम संशोधन 2008, प्लास्टिक उत्पादन बिक्री एवं प्रयोग अधिनियम (संशोधन) 2012, वनाधिकार अधिनियम (संशोधन) 2013²⁰

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (2010)

इन पर्यावरणीय अधिनियमों के साथ-साथ डॉ मनमोहन सिंह के नेतृत्व में तत्कालीन केन्द्र सरकार ने अक्टूबर 2010 में पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन तथा व्यक्तियों एवं संपत्ति के नुकसान के लिए सहायता और पर्यावरण संरक्षण तथा वनों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी निस्तारण हेतु 'राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण' का गठन किया। न्यूजीलैण्ड एवं आस्ट्रेलिया के पश्चात भारत तीसरा देश है जिसने पर्यावरणीय लोकतंत्र की स्थापना के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जैसी संस्था का गठन किया है। यह एक विशिष्ट निकाय है जो पर्यावरण संरक्षण के मामलों के निस्तारण के लिए आवश्यक विशेषज्ञता द्वारा सुसज्जित है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के माध्यम से संचालित होता है। यद्यपि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की शक्तियाँ, स्वायत्तता एवं क्रियाकलाप अलग अध्ययन एवं विश्लेषण की विषय वस्तु हैं, तथापि प्रस्तुत शोध के सन्दर्भ में इनका संक्षिप्त विवरण देना आवश्यक है²¹

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने अपनी स्थापना के बाद से ही पर्यावरण संरक्षण एवं लोक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कई दूरगामी महत्व के निर्णय दिये हैं। वर्ष 2015 एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायाधिकरण ने दिल्ली में 15 वर्ष से पुराने पेट्रोल चालित वाहनों और 10 वर्ष पुराने डीजल चालित वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगा दिया था²²

इसी प्रकार न्यायाधिकरण ने एक अन्य जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 'मैली सी यमुना रिवाइटलाइजेशन प्रोजेक्ट 2017' को लेकर जारी दिशा-निर्देशों को सही तरीके से लागू न करने पर दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि, "आप हमें दंडात्मक कार्यवाही करने के लिए प्रेरित न करें"।²³

राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006

इसी क्रम में वर्ष 2006 में भारतीय संसद द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरण नीति पारित की गयी। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख इस प्रकार है-पर्यावरणीय संसाधनों का संरक्षण एवं संवर्धन करना, समस्त पर्यावरणीय संसाधनों पर सभी के समान अधिकारों को सुनिश्चित करना, संसाधनों का न्यायोचित उपयोग करना ताकि आने वाली पीढ़ियों की भी आवशकताओं की पूर्ति हो सके, पर्यावरणीय संसाधनों के प्रबन्धन में उत्तरदायित्व एवं भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए स्थानीय संस्थाओं को शक्तिशाली बनाना इत्यादि।

इसी क्रम में वनाधिकार अधिनियम 2006 वन संरक्षण एवं शताब्दियों से जंगलों में रह रहे आदिवासी लोगों के साथ हुए अन्याय की भरपाई का एक प्रयास था। यह अधिनियम जंगलों में निवास करने वाले या जंगलों पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर अनुसूचित जनजातियों की रक्षा करता है।²⁴

भारत की पर्यावरण नीतियाँ (2014 से वर्तमान तक)

वर्ष 2014 में सोलहवीं लोकसभा चुनाव के पश्चात नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीस वर्षों के पश्चात राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार सत्ता में आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान पर्यावरण संरक्षण एवं गंगा प्रदूषण का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। सत्ता में आने के पश्चात नरेंद्र मोदी सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन एवं नमामि गंगे जैसी योजनाओं की शुरुआत की। नरेंद्र मोदी सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण अधिनियमों को पारित एवं पुराने अधिनियमों में संशोधन किया जो निम्नलिखित हैं—प्रतिपूरक वनारोपण निधि विधेयक (संशोधित) 2015, प्लास्टिक कचरा प्रबन्धन अधिनियम 2016, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं संचालन) संशोधन अधिनियम 2018, इण्डस्ट्रीज (डेवलपमेंट एण्ड रेगुलेशन) संशोधन अधिनियम 2019 इत्यादि²⁵ हालांकि नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में भी गंगा प्रदूषण की स्थिति में कोई विशेष सुधार दृष्टिगोचर नहीं होता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. दीवान, श्याम. (2005). पर्यावरणीय कानून एवं नीतियाँ। नई दिल्ली : नेशनल बुक ट्रस्ट. पृष्ठ 36.
2. वही, पृष्ठ 37.
3. वही, पृष्ठ 40.
4. गुप्ता, विश्वाजीत. (2013). एनवायरनमेंट एंड लॉ। नई दिल्ली : एपीएच पब्लिकेशन. पृष्ठ 26.
5. कुमार, विजय. (2017). भारत में पर्यावरणीय अभिशासन। नई दिल्ली : द कैपिटल पब्लिकेशन। पृष्ठ 129.
6. शास्त्री, एस.सी. (2015). एनवायरनमेंटल लॉ। लखनऊ : सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन। पृष्ठ 92.
7. कुमार, विजय. (2017). भारत में पर्यावरणीय अभिशासन। नई दिल्ली : द कैपिटल पब्लिकेशन। पृष्ठ 153.
8. वही, पृष्ठ 186.
9. विश्वनाथन, एस. (2019). ग्रेविंग अवेरेनेस अबाउट एनवायरनमेंट। नई दिल्ली : सेज पब्लिकेशन। पृष्ठ 114.
10. कुमार, कृष्णा. (2002). पर्यावरण प्रदूषण और कानून। जयपुर : राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी। पृष्ठ 91.
11. वही, पृष्ठ 112.
12. वही, पृष्ठ 139.
13. उपाध्याय, जयराम. (2001). पर्यावरण विधि। इलाहाबाद : सेंट्रल लॉ एजेंसी। पृष्ठ 229.
14. सिक्का, पवन. (2016). एनवायरनमेंटल लाज इन इंडिया। नई दिल्ली : उप्पल पब्लिकेशन। पृष्ठ 276.

15. कुमार, विजय. (2017). भारत में पर्यावरणीय अभिशासन. नई दिल्ली : द कैपिटल पब्लिकेशन. पृष्ठ 216.
16. वही, पृष्ठ 219.
17. नेपाल, पदम. (2006). भारत में पर्यावरणीय आंदोलन. नई दिल्ली : पेंगुइन बुक्स. पृष्ठ 58.
18. वही, पृष्ठ 84.
19. रंगराजन, महेश. (2007). एनवायरनमेंटल इशूज इन इंडिया. यूके : पियरसन बुक. पृष्ठ 365.
20. उपाध्याय, जयराम. (2001). पर्यावरण विधि. वाराणसी : सेंट्रल लॉ एजेंसी. पृष्ठ 185.
21. वर्मा, नीरज. (2015). एनवायरनमेंटल लॉ. नई दिल्ली : सीरियल पब्लिकेशन. पृष्ठ 249.
22. भरुचा, झराक. (2018). पर्यावरणीय अध्ययन. हैदराबाद : टाटा मैक्सा हिल. पृष्ठ 141.
23. वही, पृष्ठ 184.
24. कुमार, विजय. (2017). भारत में पर्यावरणीय अभिशासन. नई दिल्ली : द कैपिटल पब्लिकेशन. पृष्ठ 258.
25. विश्वनाथन, एस. (2019). ग्रेविंग अवरनेस अबाउट एनवायरनमेंट. नई दिल्ली : सेज पब्लिकेशन. पृष्ठ 144.

Manuscript Timeline

Submitted : January 18, 2024 Accepted : February 13, 2024 Published : March 31, 2024

वेदों में पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षणडॉ. राम कृपाल¹**सारांश**

भारतीय सभ्यता व संस्कृति के प्राचीनतम धरोहर वेद हैं। भारतीय-मनीषा के अद्यतन उपलब्ध प्रमाणों में वेदों का स्थान सर्वोपरि है। इसलिये आधुनिक विषयों का प्रवर्तन भले ही नया दिखाई देता है, परंतु उनके मूल स्वरूप हमें वेदों में प्राप्त होते हैं। साहित्य जगत में संपूर्ण वेद वाड़मय अतिविशिष्ट एवं विश्व को विविध प्रकार के उपदेश प्रदाता रहा है। भारतीय साहित्य में नास्तिकों ने वेद की निंदा भले ही की हो परंतु साहित्य और जन सामान्य का बहुसंख्यक वर्ग उसकी प्रशंसा मुक्त कंठ से करता रहा है। क्योंकि वेद भारतीय धर्म के उत्स कहे गये हैं। 'परस्परोपग्रहोरु जीवानाम्' अर्थात् सृष्टि का हर जीव परस्पर एक दूसरे के लिये है न कि घात (हानि) के लिये। वन्य जीवों की उपयोगिता के कारण इनका संरक्षण भारतीय-संस्कृति का विशिष्ट और अभिन्न अंग है। उपग्रह पर सभी पौधों एवं पशु जो कि मानव द्वारा पाले नहीं जाते, वे वन्य-जीवों की श्रेणी में आते हैं। अथर्वदीय ऋषियों ने शुद्ध तथा समृद्ध पर्यावरण को मानव-जीवन के विकास के लिए महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य माना है। वेदों का शास्त्रीय महत्व जो भी रहा हो परंतु प्राचीन भारतीय इतिहास एवं वन्य जीव संरक्षण विभिन्न रूपों में वेदों भी दिखाई देता है।

बीज शब्द – औषधयः, समृद्ध पर्यावरण, बीजरूप, पशु पक्षी, वैदिक साहित्य एवं संस्कृति।

शोध प्रविधि - प्रस्तुत शोध आलेख में विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक शोध पद्धति का उपयोग कर निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है।

वेदों में पर्यावरण एवं वन्यजीवों संरक्षण से तात्पर्य धरती पर जीवन के अस्तित्व को बनाये रखने के लिए पर्यावरण संरक्षण एवं बचाव बहुत आवश्यक है। पर्यावरण का तात्पर्य वायु, जल, भूमि तथा मानवीय स्तर पर संबंधों से ही है। वन्य जीव की उपयोगिता के कारण इनका संरक्षण भारतीय संस्कृति एवं पर्यावरण अभिन्न अंग रहा है। पशु पक्षी पाले नहीं जाते हैं वे वन्य जीवों की श्रेणी में आते हैं –

त्रीणिच्छन्दासि कवयो वि येतिरे पुरुस्पं दर्शतं विश्वक्षणम्।
आपो वाता ओषयस्तान्येकस्मिन् भुवन आर्पितानि॥¹

¹ सहायक प्रोफेसर, भारतीय भाषा विभाग (संस्कृत भाषा), महात्मा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र)- 442001. मो.- 9452466249, ई-मेल:- drramkripalv@gmail.com

आपः यानि जल, वातः यानि वायु तथा औषधयः यानि पेड़-पौधोः; इन सभी ने संसार को आच्छादित कर रखा है। इसी कारण बन्य जीव स्वथ्य एवं सुन्दर प्रतीक होते हैं और जंगल हरियाली से मनोहारी एवं सुरम्य प्रतीक होते हैं -

अन्तर्धिर्देवानां परिधिर्मनुव्याणाम्²

अर्थात् प्रकृति के प्रत्येक कण में अन्तर्धि, आन्तरिक शक्ति जो कि गति एवं ऊर्जा तथा परिधि बाह्य शक्ति जो कि रक्षा प्रदान करती है कहने का तात्पर्य है कि सुरक्षा चाहे पर्यावरण की हो अथवा बन्यजीव-संरक्षण की; वैदिक साहित्य में इसके पर्याप्त साक्ष्य मौजूद दिखायी पड़ते हैं -

तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः।³

ऋग्वेद जब पृथ्वी को माता तथा आकाश को पिता कहता है जो वह संपूर्ण पारिस्थितिकी को संरक्षण की अप्रत्यक्ष प्रेरणा भी देता है। इसके बाद यजुर्वेद पृथिवी, जल तथा औषधियों की हिंसा करने का निषेध करता है, जब हम न तो पृथ्वी के प्रति हिंसा करें और न ही औषधियों के प्रति हिंसा करें। इन वेद वाक्यों से यह स्पष्ट है कि न केवल पृथ्वी अपितु बनोषधियों एवं बन्य प्राणियों की भी रक्षा किया जाना अत्यावश्यक है। वे संपूर्ण तन्त्र अर्थात् पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश को संरक्षित करने का न केवल उपदेश देते हैं अपितु प्रयत्न भी करते हैं -

अप्स्वन्तरमृतमप्सु भैषजम्।⁴

अर्थात् जलों में अमृत एवं रोग-निवारण की क्षमता होती है। बन्य-जीव जंगलों की सुन्दरता को बनाये रखते हैं, वन जलों को आकृषित कर जल बरसाते हैं। मेघ को 'वानस्पत्य' यानि वनस्पति के निमित्त से उत्पन्न होने वाला कहा गया है। वनस्पति वायु को शुद्ध करते हैं। इसका वेदों में भी उल्लेख है -

ओषं धयेति तरुः औषधयः सम्भवन्⁵

यानी औषधियाँ प्रदूषकों का अवशोषण करती हैं। मैत्रायणीसंहिता भी कहती है 'वायु गोपा वै वनस्पतयः' 3.9.41 अर्थात् वायु वनस्पतियों की रक्षक होती है। इस प्रकार पूरा पारिस्थितिकी तंत्र यथावत् बना रहे; इसके लिए वैदिक ऋषियों ने भरपूर प्रयास किये। अथर्ववेद में सभी प्रकार के प्राणियों के लिए ब्रह्म अर्थात् परमपिता उनके जीवन की रक्षा करता है; यह कहकर इस तथ्य को प्रमाणित किया है -

**सर्वो वै तत्र जीवति गौरशः पुरुषः पशुः।
यत्रेदं ब्रह्म क्रियते परिधिर्जीवनाय कम्॥⁶**

ईश्वर सभी जीवों को जीने का समान अधिकार प्रदान करता है। वैदिक-ऋषि चाहते थे कि न तो किसी औषधि यानि पेड़-पौधों और न ही किसी प्राणि मात्र की हिंसा की जानी चाहिए। तभी प्रकृति का संतुलन एवं पर्यावरण की शुद्धता भी बनी रहती है। जैसा कि यजुर्वेद में कहा गया है -

‘द्या मा लेखी अन्तक्षि मा हिंसी वनस्पते शतवाशमें विरोट’

घने जंगल बन्यजीवों के लिये आवास एवम् अनुकूल वातावरण निर्मित करते हैं, वहीं बन्य-जीव जंगलों की सुन्दरता को बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शेर, चीता, भालू एवं अन्य हिंसक बन्य-प्राणियों की जंगलों में उपस्थिति के कारण ग्राम्य-पशु एवं मानव हानि के डर से वनों में प्रवेश नहीं करते हैं, जिससे उनकी हरियाली यथावत् बनी रहती है। रात्रि में हिंसक बन्य-जीव के शक्ति प्रदर्शन के कारण ग्राम्य-पशुओं के भागने एवं मनुष्यों के भयभीत होने के कारण चीखने-पुकारने का वर्णन मिलता है -

अरण्यानिर्हन्ति।⁷

यानि अरण्यगत बन्य-जीव किसी की भी बिना कारण हिंसा नहीं करते और निर्भीक-रूप से अपना जीवन-यापन करते हैं।

अन्यश्चेन्नाभिगच्छति।⁸

मानव पर्यावरण के महत्व और बन्य-प्राणियों के योगदान से भलीभाँति परिचित थे, इसलिये उन पर प्रहार नहीं करते थे। इस तरह की अहिंसा की भावना वैदिककाल से चली आ रही है। हमारे ऋषियों ने प्राणिमात्र में परमात्मा और पूज्यभाव एवं आत्मभाव बतलाया है। मानव एवं पशु के मध्य समुचित सन्तुलन स्थापित करने के लिए बन्य-प्राणियों को भी अनेक सूक्तों का देवता व ऋषियों के नाम से नामकरण किया। अर्थवेद के विभिन्न मंत्रों में श्रृंगालः गृधः वयः वृश्चिकादयः तक्षकः पशुः तथा व्याघ्रः इत्यादि को विभिन्न सूक्तों का देवता और कपिंजल व गरुडमान् आदि को ऋषि माना गया है। ऋब्रेद के अनुसार पशुओं को तीन हिस्सों में विभक्त किया गया है -

पशूस्तांश्के वायव्यानारण्यान्ग्राम्याश्च ये।⁹

- 1- वायव्यान् -- वायु में विचरण करने वाले।
- 2- आरण्यान् -- वनों में विचरण करने वाले।
- 3- ग्राम्यान् -- गाँवों में विचरण करने वाले।

अर्थवेद 11/2/24 एवं 11/2/25 के अनुसार बनों के हित के लिये मृग, हंस इत्यादि बन्य-जीव आवश्यक हैं तथा मानव इन बन्य-प्राणियों को स्वयं नहीं मारता था क्योंकि उन पर पशुपति महादेव का अधिकार समझता था तथा वे आपस में लड़कर मरते थे या परमात्मा द्वारा स्वयं जीवों में सन्तुलन स्थापित किया जाता था। मनुष्य बन्य-जीवों से डर के कारण रात्रि में उनसे सुरक्षित रहने के उपाय किया करते थे और रात्रि से प्रार्थना करता था कि हे रात्रि ! आप सभी हमारी हिंसक जीव-जन्तुओं से रक्षा करना। अकल्याणकारी हिंसक बन्य-जीव मानव-बस्ती से दूर रहें तथा कल्याणकारी जीव ही हमारे पास आने दें। मानव-बन्य प्राणियों का वध नहीं करने का प्रयास करता था एवम् उनकों अपने क्षेत्र में प्रवेश को असफल करता था। इस प्रकार अश्विनीकुमारों द्वारा भेड़ियों के मुँह के अन्दर से बटेर निकालने का वर्णन मिलता है।

अर्थवेद में कई मंत्रों में बन्य-प्राणियों एवं औषधीय महत्व का बहुधा वर्णन मिलता है। पर्यावरण तथा मानव के लिये बन्य-प्राणियों की महत्ता को अनेक मंत्रों में वर्णित किया गया है एवं प्रार्थना की गई है कि हे सूर्य ! आप मुझको अनेक रूप वाले पशुओं से पूर्ण करें। जो हिंसक है बन्य-जीव मानव के लिये घातक होते थे उनको अन्य विकल्प के अभाव में मार डालने के प्रायः उल्लेख मिलता है।

आर्यों ने अर्थवेद में बन्य-जीवों के पर्यावरण की शुद्धता तथा तन्तुलन में विशेष भूमिका मानी जाती है। उन्होंने उनके संरक्षण की सुस्पष्ट नीति निर्धारित कर रखी थी। जिससे मानव एवं बन्य जीव दोनों सुरक्षित थे उसका उल्लेख अर्थवेद में प्राप्त होता है।

येषां जातानि बहुधा महान्ति तेभ्यः सर्वेभ्यो नमंसा विधेम।¹⁰

वे विषधर सर्पों को भी नमन करते थे। यजुर्वेद एवं ऋग्वेद में बन्य पशु-पक्षियों के वध पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। इस दुष्कृत्य-कर्ता को यातुधान कहा गया है ; साथ ही राजा को दुष्कृत्य कर्ता को दण्डित करने की सलाह भी दी गई है। मानव-जाति का धरा पर अस्तित्व एवं पारिस्थितिक-सन्तुलन बना रहे, उसके लिये बन्य-जीवों का संरक्षण अति आवश्यक है। देश में बन्य-प्राणियों की संख्या की लगातार कमी के कारण प्रकृति में परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगे हैं कुछ जीव-संख्या संकटापन्न की स्थिति में पहुँच गये हैं। इसलिये सन्तुलित पर्यावरण के लिये बन्य-जीवों की रक्षा आवश्यक है। बन्य-प्राणियों का संरक्षण दो प्रकार से कर सकते हैं -

- 1. स्वस्थान में संरक्षण** – इसमें बन्य-प्राणियों का संरक्षण प्राकृतिक स्थान पर ही होगा जो। अधिक प्रभावशाली होगा। यहाँ पर संरक्षित प्राणी स्वस्थ एवं स्वभाव में विकृति रहित होंगे।
- 2. अन्यत्र स्थान पर संरक्षण** - इसमें बन्य-प्राणियों का संरक्षण उनके मूल स्थान से दूर किसी उद्यान, चिंडियाघर या कृत्रिम घरों में होगा। यहाँ संरक्षण अधिक उपादेय नहीं होगा।

बन्य-प्राणियों का संरक्षण एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है और विलुप्त प्राणियों की सुरक्षा हेतु 1962 में विश्वव्यापी एक कोष की गई थी परंतु आशाजनक परिणाम प्राप्त नहीं हुए। भारत सरकार ने बन्यजीव-संरक्षण हेतु 1952 में बन्यजीव बोर्ड की स्थापना की तथा राष्ट्रीय पार्क एवं अभ्यारण्य बनाये गये। बन्यजीव-सुरक्षा के लिये 1972 में सुरक्षा-अधिनियम बनाकर शिकार का निषेध किया गया है।

निष्कर्ष -

वन प्राकृतिक सम्पदा है जो शुद्ध व समृद्ध पर्यावरण के द्योतक हैं। किसी भी राष्ट्र की अच्छी अर्थव्यस्था के लिये उसके कुल भू-भाग का 33 प्रतिशत भाग जंगलों से ढँका रहना चाहिए, जबकि भारत का 18 प्रतिशत भाग की बनावृत्त है। अर्थवेद, 12.11.1 के अनुसार वर्णों से आच्छादित तलहटियों से युक्त धरा सबसे सुख देती है। अर्थवेद, 12.1.27 में बतलाया गया है कि जिस धरा पर वृक्ष व बनस्पतियाँ हमेशा खड़ी रहती हैं वह भूमि समस्त प्राणियों का भरण-पोषण करने में सक्षम होती है। बन्य-जीव किसी भी देश की आय का साधन होती है। भारत जैसा विकासशील देश अपनी पृथक् पर जंगलों में इको पर्यटन-स्थल स्थापित कर

विदेशी-मुद्रा अर्जित करने का साधन बना रहा हैं। बन्य-प्राणी मानव-जाति के लिये मनोरंजन एवम् आनन्दित होने का माध्यम भी हो रहे हैं।

मानव वेदों के बताये गये मार्ग पर चलकर, सन्तुलित, शुद्ध व समृद्ध पर्यावरण बन्य-प्राणियों का संरक्षण करते हुए, मानव-जाति अपना कल्याण कर सकती है, साथ ही अपने देश के आर्थिक-विकास में योगदान दे सकती है।

संदर्भ ग्रंथ –

1. अथर्ववेद – 18.1.17
2. अथर्ववेद – 12.2.44
3. अथर्ववेद - 1.4.4
4. ऋग्वेद – 1.89.4
5. शतपथब्राह्मण 2.2.4.5
6. अथर्ववेद – 8.2.25
7. ऋग्वेद – 10.146.5
8. ऋग्वेद – 10.146.5
9. ऋग्वेद – 10.90.8
10. अथर्ववेद – 10.4.23

Manuscript Timeline

Submitted : January 28, 2024 Accepted : February 13, 2024 Published : March 31, 2024

भक्ति आंदोलन में संत तुकाराम का सामाजिक-सांस्कृतिक अवदानडॉ. सुनील कुमार सुधांशु¹

संत तुकाराम महाराज, जिन्हें तुकाराम के नाम से भी जाना जाता है, 17वीं सदी के भारतीय कवि, दार्शनिक और संत थे। उन्हें महाराष्ट्र के सबसे महान आध्यात्मिक विद्वानों में से एक और भक्ति आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति माना जाता है। तुकाराम की भक्ति, ज्ञान और काव्य कौशल का महाराष्ट्र के धार्मिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ा है। यह व्यापक निबंध संत तुकाराम महाराज के जीवन, शिक्षाओं और उनकी स्थायी विरासत का विस्तृत विवरण प्रदान करेगा। तुकाराम का जन्म 1608 में भारत के वर्तमान महाराष्ट्र में पुणे के पास स्थित देहू गाँव में हुआ था। उनका जन्म किसानों के एक साधारण परिवार में हुआ था और उनके माता-पिता बोल्होबा और कनकई थे। तुकाराम का नाम तुकाराम विल्होबा आम्बे था और वह चार भाई-बहनों में सबसे छोटे थे। छोटी उम्र से ही तुकाराम में आध्यात्मिकता के प्रति गहरा झुकाव और भक्ति की प्रबल भावना दिखाई दी। उन्होंने अपने छंदों के माध्यम से गहन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि व्यक्त करने के लिए असाधारण काव्य प्रतिभा और प्राकृतिक स्वभाव का प्रदर्शन किया। हालाँकि, उनका प्रारंभिक जीवन चुनौतियों से रहित नहीं था, क्योंकि युवावस्था में उन्हें व्यक्तिगत त्रासदियों और संघर्षों का सामना करना पड़ा।

विवाह और पारिवारिक जीवन

तेरह साल की उम्र में तुकाराम ने रखुमाबाई से शादी की और उनके तीन बेटे और एक बेटी हुईं। तुकाराम के पारिवारिक जीवन ने उन्हें आध्यात्मिक रूप से सीखने और बढ़ने के कई अवसर प्रदान किए। उन्होंने ईश्वर के प्रति गहरी भक्ति बनाए रखते हुए एक पति और पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को अपनाया। हालाँकि, तुकाराम को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उनके व्यवसाय में घाटा हुआ, जिसके कारण अंततः उन्हें सांसारिक गतिविधियों को त्यागना पड़ा और खुद को पूरी तरह से अपने आध्यात्मिक पथ पर समर्पित करना पड़ा। इस निर्णय ने उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया और उनके गहन आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए मंच तैयार किया।

हम तुकाराम कालीन संरचना को देखें तो तत्कालीन संरचना के बीच जनसंख्या का एक बड़ा भाग हाशिए पर था। रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मौलिक आवश्यकताओं से वंचित था। स्वयं तुकाराम ने भी अपने पदों से इस तरह की वंचना को स्वीकार किया है। यहाँ तुकाराम संत रविदास के साथ खड़े दिखते हैं। तुकाराम ने अपनी जाति को कभी भी नहीं छुपाया, बल्कि अपने कई पदों में उन्होंने अपने को शूद्र के रूप में स्वीकार किया है। संत तुकाराम का जीवन आर्थिक रूप से बहुत अधिक समृद्धिशाली नहीं था। इनके परिवार

¹ सहायक प्रोफेसर, हिंदी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय।ई-मेल:- sunilsudhanshu.du@gmail.com, मोबाइल : 8383804523.

में महाजनी जैसा व्यवसाय था। उसी महाजनी व्यवसाय को संत तुकाराम ने भी आगे बढ़ाया। व्यवसाय में संलिप्त होने के बावजूद भी भगवान बिठ्ठल की भक्ति में तल्लीन रहते थे। भगवान बिठ्ठल का मंदिर पंढरपुर में था। इनके घर से मंदिर की दूरी काफी थी। इसके बावजूद भी वे पंढरपुर की यात्रा (यात्रा) नहीं भूलते थे। यहाँ तक कि वे प्रत्येक सप्ताह में पंढरपुर की यात्रा करने लगे। इनकी भक्ति और साधना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने इन्हे स्वप्न में आदेश दिया कि तुम अपने घर के बगल में खुदाई करो, वहाँ मेरी मूर्ति मिलेगी। संत तुकाराम ने खुदाई किया और सचमुच भगवान बिठ्ठल की मूर्ति मिली। तुकाराम ने उसी स्थान पर भगवान बिठ्ठल की उस मूर्ति को स्थापित कर एक भव्य मंदिर बनवाया। अब स्वयं अपने बीच, अपने पास भगवान बिठ्ठल को पाकर उनके प्रति उनकी श्रद्धा और बढ़ती गयी। संत तुकाराम अब भगवान बिठ्ठल की साधना में तल्लीन होकर गाने लगे। इस तरह उन्होंने सात हजार से अधिक 'अभंग' लिखा। इनकी बढ़ती ख्याति से दुखी होकर कुछ कर्मकाण्डियों ने इनके सभी 'अभंग' को गंगा में डूबा दिया। इस कृत्य से दुखी होकर संत तुकाराम भगवान बिठ्ठल के प्रति और समर्पित हुए। घर-परिवार छोड़कर अनवरत बिठ्ठल सेवा में समर्पित रहने लगे। भगवान बिठ्ठल प्रसन्न होकर उन्हें स्वप्न दिया एवं कहा कि तुम्हारे सभी अभंग तुम्हें मिल जायेंगे। सुबह संत तुकाराम के लिखे सभी अभंग गंगा में बहते हुए पुनः प्राप्त हो गये। इस स्थिति के बाद उनका जीवन और ख्यातिपूर्ण हुआ। अपने 'अभंग' के माध्यम से संत तुकाराम ने सामाजिक परिवर्तन का शंखनाद किया एवं भक्ति आंदोलन की यात्रा को आगे बढ़ाया। इस तरह संत तुकाराम महाराष्ट्र के प्रमुख दलित संत के रूप में अपनी उपस्थिति लोकाजन के बीच दर्ज कराया। महाराष्ट्र की संत परंपरा के संदर्भ में आचार्य परशुराम चतुर्वेदी कहते हैं कि "संत" शब्द का प्रयोग किसी समय विशेष रूप से, केवल उन भक्तों के लिए ही होने लगा था जो विठ्ठल या वारकरी संप्रदाय के प्रधान प्रचारक थे और जिनकी साधना निर्गुण-भक्ति के आधार पर चलती। इन लोगों में ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ व तुकाराम जैसे भक्तों के नाम लिए जाते हैं जो सभी महाराष्ट्र प्रांत से संबंध रखते थे।" संत तुकाराम का जीवन भगवान बिठ्ठल की श्रद्धा में सदैव गोते लगाता रहता था। बिठ्ठल सेवा में ही ये संवत 1907 को ब्रह्मलीन हुए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि संत तुकाराम संघर्षों के साथ मानवतावादी कार्यों हेतु सदैव समर्पित रहे। उनका पूरा का पूरा जीवन मानवतावादी समाजशास्त्र के रूप में देखा जा सकता है।

आध्यात्मिक जागृति और यात्रा

भगवद् गीता पर संत ज्ञानेश्वर महाराज की टिप्पणी, जिसे ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है, का समाना करने के बाद तुकाराम की आध्यात्मिक यात्रा ईमानदारी से शुरू हुई। पाठ में निहित गहन ज्ञान और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि ने तुकाराम को गहराई से प्रभावित किया, जिससे उन्हें उच्च आध्यात्मिक सत्य की तलाश करने और ईश्वर के साथ सीधा संबंध बनाने के लिए प्रेरणा मिली। तुकाराम की आध्यात्मिक प्रथाएँ मुख्य रूप से भगवान के नाम (भजन), भक्ति गायन (कीर्तन), और भजन और छंदों के पाठ के आसपास केंद्रित थीं। इन प्रथाओं के माध्यम से, तुकाराम ने ईश्वर के साथ आनंद और एकता की गहन अवस्था का अनुभव किया, जिसने उनकी काव्यात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा दिया और उनकी भक्ति को और गहरा कर दिया।

तुकाराम के साहित्यिक योगदान को महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन की सबसे बड़ी विरासतों में से एक माना जाता है। मराठी में रचित उनकी कविता, जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को प्रभावित करती थी और सामाजिक और धार्मिक सीमाओं से परे थी। तुकाराम के पद भक्ति, करुणा और मानवीय स्थिति की गहरी समझ से ओत-प्रोत थे। उनकी कविता ईश्वर के साथ मिलन की उनकी तीव्र लालसा को दर्शाती है, और आध्यात्मिक सच्चाइयों को व्यक्त करने के लिए वे अक्सर रूपकों और ज्वलंत कल्पनाओं का उपयोग करते थे। तुकाराम के छंदों में देवत्व की प्रकृति, आत्म-प्राप्ति का महत्व, सांसारिक लगाव की निरर्थकता और मुक्ति का मार्ग सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। तुकाराम की कविताएँ अभंग के रूप में एकत्र की गईं, जो मराठी भाषा में भक्ति गीत हैं। अभंग अत्यधिक लोकप्रिय हो गए और वे आज भी गाए जाते हैं और पूजनीय हैं। उनकी साहित्यिक कृतियों को विभिन्न संकलनों में संकलित किया गया है, जिनमें तुकाराम गाथा, तुकाराम चरित और अभंग गाथा शामिल हैं।

सामाजिक सांस्कृतिक अवदान

संत तुकाराम ने धर्म को अलग करके जीवन को नहीं समझा, बल्कि उसे एक हितकारी कर्म के रूप में स्वीकार किया। अतएव तुकाराम को एक क्रिया समाजशास्त्री के रूप में भी देखा जा सकता है। सत्संग, आध्यात्मिक जीवन, साधना और समाज सेवा को जीवन का आधार बनाया। संत तुकाराम तत्कालीन समय में समाज में व्याप्त समस्याओं के कारण नहीं गिनाये, बल्कि उसके समाधान का सार्थक प्रयास किया। संत तुकाराम का समाजशास्त्र काम, क्रोध एवं लोभ से दूर विरक्ति की ओर लेकर जाता है। इस संदर्भ में वे कहते हैं कि हमारे काम, क्रोध, लोभ आदि विकार जहाँ के तहाँ खत्म हो गए हैं। इस लिए हमें अब सारी सृष्टि आनंद रूप हो गयी है। संत तुकाराम के समाजशास्त्र को कुछ पन्नों में वर्णित करना असम्भव है एवं उनके अवदानों के प्रति अन्याय भी होगा।

सत्य और हितकारी कर्म की अवधारणा पर बल-कर्म की प्रधानता को संत समाज अनादिकाल से स्वीकार करते हुए गतिमान रहा है। संत परंपरा के बीच संत रविदास धर्म-कर्म को एक ही चश्मे से देखते हैं। कर्म के अभाव में जीवन व्यर्थ है, जैसी अवधारणा मानव को सामाजिक प्राणी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यहाँ हम संत तुकाराम की बात करें तो उन्होंने कर्म को जीवन के एक महत्वपूर्ण हथियार के रूप में स्वीकार किया है और कर्म की पवित्रता पर विशेष बल दिया है। इस संदर्भ में उनका एक पद बहुत प्रचलित है- "सत्य (वचन तथा कर्म) यही धर्म है। असत्य कर्म (पाप) है। इसके सिवाय और कुछ सार नहीं है।" उनका मानना है कि लोकजन को सदैव सत्य और हितकारी कर्म के साथ जीवन को गति देना चाहिए। सत्य और हितकारी कर्म की उनकी अवधारणा मानव जीवन को कल भी राह दिखा रही थी और आज भी राह दिखा रही है।

गृहस्थ जीवन के साथ भक्ति और साधना के नये स्वरूप की स्थापना गृहस्थ जीवन के साथ भक्ति और साधना के प्रयोग की अवधारणा के संदर्भ हमें अपने प्राचीनतम धर्मग्रन्थों में देखने को मिलते हैं, जहाँ

गृहस्थ जीवन के साथ भक्ति और साधना का समन्वय एक सर्वोत्तम जीवन के रूप में स्वीकार किया गया। हमारा पवित्र धर्म ग्रंथ 'गीता' भी गृहस्थ जीवन के साथ भक्ति और साधना के समन्वित स्वरूप को स्वीकार करता है। भक्ति और साधना के संदर्भ में रामविलास शर्मा कहते हैं कि "मन की साधना ही वास्तविक साधना है और भक्ति का सारात्मक प्रेम है।" 14वीं शताब्दी के भक्ति आन्दोलन के प्रमुख संत रविदास एवं संत कबीर ने गृहस्थ जीवन के साथ ईश्वर भक्ति और साधना को स्वीकार किया। भक्तिकालीन अधिकांश संतों की कड़ी में ही संत तुकाराम दलित संत परंपरा के एक प्रमुख संत हैं। संत तुकाराम के गृहस्थ जीवन और आध्यात्मिक जीवन के समन्वय के संदर्भ में जवाहिरलाल जैन कहते हैं कि "सामान्य गृहस्थ साक्षात्कारी संत कैसे बनेतुकाराम का चरित्र इसी का सविस्तार चित्रपट है! इसलिए हृदय को आकर्षित करता है।" इस तरह संत तुकाराम ने भी गृहस्थ जीवन के साथ भक्ति और साधना को स्वीकार किया। तुकाराम का मानना है कि गृहस्थ जीवन में भक्ति एवं साधना का समन्वय जीवन का वास्तविक मर्म है। इस संदर्भ में आचार्य श्रीराम शर्मा कहते हैं कि "सांसारिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों का इस उत्तमता के साथ समन्वय करने से ही वे महान संत बने।" इसके बाद गृहस्थ जीवन के साथ भक्ति एवं साधना का प्रचलन बड़े स्तर पर बढ़ा। आजआधुनिकता के पायदान पर संत परंपरा के बीच गृहस्थ जीवन के साथ भक्ति एवं साधना के स्वरूप देखे जा सकते हैं।

त्याग एवं समर्पण के नये स्वरूप की स्थापना- त्याग एवं समर्पण जीवन का एक महत्वपूर्ण क्रियापक्ष होता है, जो व्यक्ति को एक महान व्यक्तित्व की तरफ अग्रसर करता है। यदि बात करें हम भारत में संत परंपरा के बीच त्याग एवं समर्पण की तो भारतीय संत परंपरा त्याग एवं समर्पण की वैचारिकी के साथ अनादिकाल से गतिमान रही है। संत जीवन की प्रमुख विशेषता ही त्याग एवं समर्पण के साथ जीवन जीना रहा है। संत जीवन भौतिक आकांक्षाओं से दूर प्रेम, समन्वय जैसे जीवन के बीच त्याग और समर्पण के प्रति सदैव कटिबद्ध रहा है। संत तुकाराम के जीवन को हम देखें तो इनका जीवन भी त्याग और समर्पण से पूरी तरह प्रतिबद्ध रहा है। संत तुकाराम अपने दुश्मनों को भी उचित सम्मान और सहयोग देते हैं। इनका जीवन भगवान बिट्ठुल की सेवा में समर्पित रहा है। लेकिन कभी भी ये भगवान बिट्ठुल से कोई आकांक्षा नहीं रखे, बल्कि निस्वार्थ, त्याग एवं समर्पण के साथ बिट्ठुल सेवा में समर्पित रहे।

तुकाराम की शिक्षाएँ ईश्वर के प्रति भक्ति, प्रेम और समर्पण के मूल सिद्धांतों के इर्द-गिर्द घूमती थीं। उन्होंने अपने और प्रत्येक जीवित प्राणी के भीतर दिव्य उपस्थिति को पहचानने के महत्व पर जोर दिया। तुकाराम का मानना था कि जाति, पंथ और सामाजिक मानदंडों की सीमाओं को पार करते हुए, ईश्वर के साथ वास्तविक और हार्दिक संबंध के माध्यम से सच्ची आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। तुकाराम के दर्शन के केंद्र में मुक्ति के मार्ग के रूप में "भक्ति" या प्रेमपूर्ण भक्ति की धारणा थी। उन्होंने अपने अनुयायियों को अटूट विश्वास विकसित करने, निस्वार्थता का अभ्यास करने और सभी प्राणियों के साथ दया और करुणा का व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित किया। तुकाराम ने सतही रीति-रिवाजों और अनुष्ठानों को अस्वीकार कर दिया और ईश्वर के साथ सीधे और व्यक्तिगत संबंध की वकालत की। तुकाराम की शिक्षाओं में आत्म-चिंतन, विनम्रता और अपनी सीमाओं को पहचानने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। वह किसी के

अहंकार और इच्छाओं को दैवीय इच्छा के प्रति समर्पण करने की शक्ति में विश्वास करते थे, यह स्वीकार करते हुए कि सच्ची मुक्ति केवल स्वयं को ईश्वर की दिव्य योजना के साथ जोड़कर ही प्राप्त की जा सकती है।

महाराष्ट्र के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिदृश्य पर संत तुकाराम महाराज का प्रभाव अतुलनीय है। उनकी कविताएं और शिक्षाएं समय और पीढ़ियों से परे, लाखों लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शन करती रहती हैं। तुकाराम के काम का महाराष्ट्र में बाद की भक्ति और संत परंपराओं पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसने क्षेत्र के धार्मिक और सामाजिक ताने-बाने को आकार दिया। तुकाराम का भक्तिपूर्ण दृष्टिकोण, प्रेम और करुणा पर जोर और आध्यात्मिक एकता के उनके संदेश का भारतीय आध्यात्मिकता पर स्थापी प्रभाव पड़ा है। उनकी शिक्षाएँ ईश्वर की गहरी समझ और आत्म-प्राप्ति का मार्ग चाहने वाले लोगों के बीच गंजती रहती हैं। तुकाराम के साहित्यिक योगदान को सदियों से मनाया और संरक्षित किया गया है। उनके अभंगों को न केवल धार्मिक समारोहों में सुनाया और गाया जाता है, बल्कि प्रसिद्ध संगीतकारों और कलाकारों द्वारा भी प्रस्तुत किया जाता है, जिससे उनकी काव्य विरासत की स्थिरता सुनिश्चित होती है।

संत तुकाराम और महाराष्ट्र के उनके समकालीन संतों ने 'महाराष्ट्र धर्म' को स्थापित किया एवं बड़े स्तर पर उसका प्रचार-प्रसार किया। महाराष्ट्र धर्म का उद्देश्य लोकजन के बीच विविध स्तरों पर समानता स्थापित करना था। सहयोग, योगदान तथा प्रेम एवं समन्वय के साथ जीवन को गति देना था। संत तुकाराम एवं उनके अनुयायियों द्वारा इस धर्म के प्रचार-प्रसार में काफी समय दिया गया। कुछ हद तक विविध स्तरों पर भेद की वैचारिकी कमजोर पड़ी। लेकिन जिन उद्देश्यों को लेकर महाराष्ट्र धर्म को स्थापित किया गया, वह पूरी तरह से मूर्त रूप नहीं ले पाया। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र धर्म ने लोकजन को जीने का एक नया फलसफा जरूर प्रदान किया। मानवीय मूल्यों के साथ जीवन को गतिमान करना सिखाया। सेवा ही सर्वोपरि है, जैसी वैचारिकी को लोकजन के बीच आत्मसात् कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके बारे में कहा जाता है कि सारा महाराष्ट्र उनकी प्रसादिक वाणी से उन्नत हुआ।

संत तुकाराम महाराज को सम्मानित करने के लिए कई त्योहारों और सभाओं का आयोजन किया जाता है, जिनमें से सबसे उल्लेखनीय है तुकाराम बीज, जो देहू में उनके जन्मस्थान की वार्षिक तीर्थयात्रा है। यह तीर्थयात्रा महाराष्ट्र और उसके बाहर से हजारों भक्तों को आकर्षित करती है, जो संत को श्रद्धांजलि देने और आध्यात्मिक सांत्वना पाने के लिए आते हैं। लोकप्रिय संस्कृति में, तुकाराम के जीवन और शिक्षाओं को नाटकों, फिल्मों और साहित्य में चित्रित किया गया है, जिससे उनकी पहुंच और प्रभाव का और विस्तार हुआ है। उनकी जीवन कहानी भक्ति, प्रेम और आत्म-प्राप्ति का मार्ग चाहने वालों के लिए प्रेरणा का काम करती है।

निष्कर्ष

संत तुकाराम महाराज, अपनी गहन भक्ति, काव्य प्रतिभा और आध्यात्मिक ज्ञान के साथ, महाराष्ट्र के इतिहास और आध्यात्मिक परंपरा में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बने हुए हैं। उनका जीवन भक्ति की शक्ति, आत्म-साक्षात्कार की खोज और ईश्वर के साथ वास्तविक संबंध की परिवर्तनकारी प्रकृति के प्रमाण के रूप में कार्य

करता है। अपने अभिगांठों और शिक्षाओं के माध्यम से, संत तुकाराम समय, संस्कृति और धर्म से परे, लाखों लोगों के दिल और दिमाग को छूते रहते हैं। प्रेम, करुणा और एकता का उनका संदेश आज की दुनिया में दृढ़ता से गंजता है, जो हमें हमारे दिलों में मौजूद शाश्वत सत्य की याद दिलाता है। संत तुकाराम महाराज की विरासत आने वाली पीढ़ियों तक कायम रहेगी और सत्य के साधकों को उनकी आध्यात्मिक यात्राओं के लिए प्रेरित करेगी।

संदर्भ स्रोत

1. जैन, जवाहिरलाल. (1958). संत तुकाराम जीवनी. जयपुर : राजस्थान खादी संघ.
2. चतुर्वेदी, परशुराम. (2014). उत्तरी भारत की संत परंपरा. इलाहाबाद : साहित्य भवन प्राइवेट लिमिटेड.
3. शर्मा, रामविलास. (2009). भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश. नई दिल्ली : किताबघर प्रकाशन.
4. आचार्य, पं. श्रीराम शर्मा. 'सेवा और सहिष्णुता के उपासक-संत तुकाराम', गायत्री परिवार, http://literature.awgp.org/book/sant_tukaram/v2.1
5. दिवेकर, हरि रामचंद्र. (1950). संत तुकाराम. इलाहाबाद : हिंदुस्तानी एकेडेमी, उत्तर प्रदेश.
6. सेठ, रमेश. (1992). तुकाराम एवं कबीर एक तुलनात्मक अध्ययन. वाराणसी : साहित्य शोध संस्थान.
7. सिंह, रवींद्र कुमार. (2015). संत-काव्य की सामाजिक सामाजिक प्रासांगिकता. नई दिल्ली : वाणी प्रकाशन.
8. देवसरे, हरिकृष्ण. (2012). संत तुकाराम. नई दिल्ली : सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन.

Manuscript Timeline

Submitted : January 30, 2024 Accepted : February 13, 2024 Published : March 31, 2024

**शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के अध्येताओं की व्हाट्सएप संलग्नता की तीव्रता एवं
प्रकृति का अध्ययन**

जेस्पेंदर सिंह¹डॉ. सारिका राय शर्मा²**सारांश**

इस दुनिया में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं और ये परिवर्तन विभिन्न तरीकों से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं और ऐसी ही एक तकनीक है व्हाट्सएप मैसेंजर। यह एक अद्भुत एप्लिकेशन है और इसकी मदद से हम स्वयं को समाज और पूरी दुनिया से जोड़ सकते हैं। यह अपने उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट संदेश, वॉयस मैसेज भेजने, वॉयस और वीडियो कॉल करने, मीडिया फाइलों को साझा करने और समूह चैट में भाग लेने की अनुमति देता है। यह एप्लिकेशन हमारे लिए कई मायनों में फायदेमंद है जो हमारे दैनिक जीवन का एक बड़ा हिस्सा है। यह ऐप सूचनाओं और विचारों को साझा करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरा है। यहाँ तक कि युवाओं के जीवन पर इसके कुछ हानिकारक प्रभाव भी पड़ रहे हैं। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि इसका युवाओं के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। प्रस्तुत शोध का उद्देश्य शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के अध्येताओं की व्हाट्सएप संलग्नता की तीव्रता (*Intensity*) एवं प्रकृति का अध्ययन करना है। यह अध्ययन 80 और आकड़ों के संग्रहण हेतु गया किया पर आयोजित उत्तरदाताओं स्व-निर्मित मिश्रित प्रश्नावली का उपयोग किया गया था। अध्ययन से पता चला कि व्हाट्सएप संचार को आसान और तेज बनाने का एक माध्यम है। किन्तु अनुभवजन्य रूप से जांच करने पर यह भी पता चला कि व्हाट्सएप का युवाओं पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जिससे उनकी शिक्षा, व्यवहार और दिनचर्या पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यह छात्रों के अध्ययन के समय को बहुत बर्बाद करता है। इस ऐप को अत्यधिक नशे की लत वाला पाया गया है, जिसे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। यह प्रभाव इतना अधिक है कि उपयोगकर्ता अपनी वास्तविक दुनिया को छोड़ देते हैं और उनकी पूरी भावनात्मक भागेदारी व्हाट्सएप तक ही सीमित हो जाती है।

मूल शब्द : शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, व्हाट्सएप संलग्नता, एप्लिकेशन।

¹ शोधार्थी (शिक्षा विभाग), महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र

² सहायक प्रोफेसर (शिक्षा विभाग), महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र

प्रस्तावना-

हर एक शताब्दी अपने किसी चीज के लिए पहचानी जाती है। ऐसे ही 21वीं शताब्दी भी इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट्स के युग की शताब्दी मानी जा रही है क्योंकि 21वीं शताब्दी में सोशल नेटवर्किंग साइट्स का बहुत तेजी से विकास हुआ है। सोशल नेटवर्किंग साइट ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिनका उपयोग लोग अन्य लोगों के साथ सामाजिक संबंध बनाने के लिए करते हैं। पिछले कई दशकों से टेक्नोलॉजी का विकास तेजी से हुआ है। इससे सभी आयु वर्ग प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन विशेषतः युवा वर्ग में यह सबसे अधिक प्रचलित है। ऐसी ही टेक्नोलॉजी का एक माध्यम है व्हाट्सएप मैसेंजर, जिसे आमतौर पर व्हाट्सएप कहा जाता है जो हमारे दैनिक जीवन का एक बड़ा हिस्सा है। यह व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लिकेशन है जो उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट संदेश, वॉयस मैसेज भेजने, वॉयस और वीडियो कॉल करने, मीडिया फ़ाइलों को साझा करने और समूह चैट में भाग लेने की अनुमति देता है। इंटरनेट और स्मार्टफोन सप्ता होने से इसका ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफी तेजी से विस्तार हो रहा है।

अध्ययन की पृष्ठभूमि-

व्हाट्सएप जितना दिलचस्प है इसके पीछे की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। व्हाट्सएप का आविष्कार या निर्माण ब्रायन एक्टन और जान कौम ने वर्ष 2009 में मिलकर किया था। वे दोनों पहले Yahoo कंपनी में काम करते थे, लेकिन सितम्बर 2007 में दोनों Yahoo से नौकरी छोड़ कर दक्षिणी अमेरिका चले गए और उसी समय वे फेसबुक (Facebook) में नौकरी पाने के लिए गए लेकिन उन्हें वहां नौकरी नहीं मिली। उसके बाद उन्हें Yahoo से उनकी बचत के \$400,000 डॉलर मिले। इसके पश्चात जान कौम ने iphone के लिए एप बनाने की सोची और इसका नाम व्हाट्सएप रखा क्योंकि ये सुनने में “what’s up” के जैसा था और 24 फरवरी, 2009 में उन्होंने कैलिफोर्निया में whataspp.INC नाम से कंपनी बनायी लेकिन व्हाट्सएप का शुरुवाती संस्करण ज्यादा बढ़िया नहीं था। वह बार बार खराब हो जाता या रुक जाता था और इसीलिए जान कौम को लगा कि ये एप नहीं चल पायेगा। फिर भी उन्होंने इस एप को जारी रखा। जून 2009 में iphone में push notifications का फीचर आया और इसी के साथ व्हाट्सएप में भी एक फीचर आया। जब उसका कोई मित्र अपना स्टेटस बदलता तो उसके यूजर को सूचना मिल जाती और इसी के चलते अचानक से व्हाट्सएप के 250,000 यूजर बन गए। धीरे धीरे व्हाट्सएप अपने प्रत्येक संस्करण में सुधार करने के साथ-साथ उसमें नए नए फीचर भी जोड़ रहा है जिससे लगातार इसके उपभोक्ताओं में वृद्धि हो रही है। वर्तमान में, व्हाट्सएप के 180 से अधिक देशों में 2.78 बिलियन से अधिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं। अकेले भारत में इसके 535.8 मिलियन से अधिक मासिक यूजर हैं। अनुमान है कि वर्ष 2025 तक यह संख्या 3.14 बिलियन तक पहुंच जाएगी।

शोध का महत्व-

इस शोध का उद्देश्य शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के अध्येताओं की व्हाट्सएप संलग्नता की तीव्रता एवं प्रकृति का अध्ययन करना था। विद्यालय स्तर पर अध्ययनरत बच्चों में व्हाट्सएप के बढ़ते उपयोग को

संज्ञान में रखते हुए इस शोध अध्ययन द्वारा यह अंतर्दृष्टि विकसित करने का प्रयास किया गया कि बी.एड. एवं एम.एड. पाठ्यक्रम के अध्येताओं द्वारा व्हाट्सऐप का उपयोग उनके विद्यार्थियों की अर्थपूर्ण संलग्नता को कैसे बढ़ा सकता है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षक अपने छात्रों के साथ तेजी से और अधिक सहज रूप में सम्प्रेषण कर सकते हैं, विशेषकर कोरोना त्रासदी के दौरान व्हाट्सऐप तथा अन्य ऐप्प ने ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों को उनके शैक्षिक संस्थानों एवं शिक्षकों से जोड़ा है, ऐसे में इस शोध अध्ययन या इस तरह के किए जा रहे अन्य अध्ययन ऑनलाइन शिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि हेतु शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में सेवारत शिक्षकों लिए एक अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। इस शोध अध्ययन द्वारा यह भी पता करने का प्रयास किया गया कि अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में किस प्रकार से व्हाट्सऐप की संलग्नता द्वारा ब्लैंडेड अधिगम और फिलपड अधिगम के प्रतिशत को बढ़ाया जा सकता है। कक्षा स्तर पर समूह अधिगम को बढ़ावा देने के लिए किस तरह से हम व्हाट्सऐप की समूह चैट सुविधा को समूह चैट अधिगम के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यह शोध अध्ययन शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में क्रियान्वित पाठ्यक्रम में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार या अद्यतन हेतु उपयोग किया जा सकता है। यदि हम व्हाट्सऐप के प्रयोग करने के पैटर्न को जान लेते हैं कि वे व्हाट्सऐप क्यों प्रयोग कर रहे हैं तथा इसकी लत कितनी है तो हम उसके विकल्प की तलाश भी कर सकते हैं।

शोध का उद्देश्य -

- शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के अध्येताओं की व्हाट्सऐप संलग्नता की तीव्रता (Intensity) का अध्ययन करना।
- शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के अध्येताओं की व्हाट्सऐप संलग्नता की प्रकृति का अध्ययन करना।

शोध प्रश्न-

- शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के अध्येता अपने दैनिक जीवन में व्हाट्सऐप का कितना एवं किस प्रकार से प्रयोग करते हैं?
- शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में अध्ययनरत अध्येताओं की व्हाट्सऐप संलग्नता की प्रकृति कैसी है?

संबंधित साहित्य की समीक्षा-

भट्ट एवं अरशद (2016) द्वारा “इम्पैक्ट ऑफ व्हाट्सऐप ऑन युथ: अ सोशियोलॉजिकल स्टडी”। शोध अध्ययन आगरा (भारत) के 100 उत्तरदाताओं पर आयोजित किया गया था और एक साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग प्रदत्त संग्रह हेतु किया गया था। इस अध्ययन से पता चला कि व्हाट्सऐप का युवाओं पर भी गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। यह उनकी शिक्षा, व्यवहार और दिनचर्या पर प्रतिकूल प्रभाव डालता

सिंह, जेस्पेंदर. एवं शर्मा, सारिका राय. (2024, जनवरी-मार्च). शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के अध्येताओं की व्हाट्सएप संलग्नता की तीव्रता एवं प्रकृति का अध्ययन. *The Equanimist*, वाल्यूम 10, अंक 1. पृ. सं. 36-46.

है। यह छात्रों के अध्ययन के समय को बहुत बर्बाद करता है और उनकी वर्तनी कौशल और वाक्यों के व्याकरणिक निर्माण को खराब करता है।

शंमुगाप्रिया एवं प्रिया (2016) द्वारा किए गए शोध अध्ययन “अ स्टडी ऑन इम्पैक्ट ऑफ यूनिंग व्हाट्सएप ऑन रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस” को एक प्रश्नावली के साथ 400 उत्तरदाताओं पर आयोजित किया गया था। शोधकर्ता को अध्ययन के परिणामों से पता चला कि सोशल मीडिया एप्लिकेशन को सभी प्रकार के उपयोगकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए अपनी सेवाओं में सुधार करने की आवश्यकता है। व्हाट्सएप एक बेहतरीन एप्लिकेशन है जो ग्राहक को विभिन्न लाभ प्रदान करता है।

सितिन्काया (2017) द्वारा किए गए शोध अध्ययन “द इम्पैक्ट ऑफ व्हाट्सएप यूज ऑन सक्सेस इन एजुकेशन प्रॉसेस” का उद्देश्य शिक्षा के लिए व्हाट्सएप के उपयोग के प्रभावों का पता लगाना और प्रक्रिया के प्रति छात्रों की राय निर्धारित करना था। प्रस्तुत अध्ययन को शोधकर्ता द्वारा मिश्रित अनुसंधान मॉडल के रूप में डिज़ाइन किया गया था। जिसमें मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार के आंकड़े लिए गए थे। शोधकर्ता को आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि छात्रों ने अपने पाठ्यक्रमों में व्हाट्सएप के उपयोग के प्रति सकारात्मक राय विकसित की है। उन्होंने अपने अन्य पाठ्यक्रमों में भी यही अभ्यास करने की मांग की। उन्होंने बताया कि छवियों (images) के साथ संदेश उनके सीखने के लिए अधिक प्रभावी थे।

सरकार (2015) द्वारा किया गया शोध अध्ययन ‘‘इम्पैक्ट ऑफ व्हाट्सएप मैसेंजर ऑन द यूनिवर्सिटी लेवल स्टूडेंट्स : अ सोशियोलॉजिकल स्टडी’’ बेगम रोकिया विश्वविद्यालय, रंगपुर (बांग्लादेश) के 200 उत्तरदाताओं पर आयोजित किया गया था और एक साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग डेटा संग्रह के उपकरण के रूप में किया गया था। शोधकर्ता को इस अध्ययन से पता चला कि व्हाट्सएप संचार को आसान और तेज बनाने का एक माध्यम है जिससे लोगों में सूचना के प्रवाह को आसानी से बढ़ाया जा सकता है, विचार साझा किये जाते हैं और लोगों को आसानी से जोड़ा जाता है। अनुभवजन्य रूप से जांच करने पर यह भी पता चलता है कि व्हाट्सएप का युवाओं पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है जिससे उनकी शिक्षा, व्यवहार और दिनचर्या पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यह छात्रों के अध्ययन के समय को बहुत बर्बाद करता है। इस ऐप को अत्यधिक नशे की लत पाया गया है, जिसे नियन्त्रित करना मुश्किल हो जाता है। विद्यार्थी लगातार चैटिंग का जवाब देने और विचारों को साझा करने से खुद को नियन्त्रित नहीं कर सकते हैं। यह प्रभाव इतना अधिक है कि उपयोगकर्ता अपनी वास्तविक दुनिया को छोड़ देते हैं, उनकी पूरी भावनात्मक भागीदारी व्हाट्सएप तक ही सीमित हो जाती है।

कुमार एवं शर्मा (2016) ने अपने शोध “सर्वे एनालिसिस ऑन द यूसेज एंड इम्पैक्ट ऑफ व्हाट्सएप मैसेंजर” के लिए ऑनलाइन प्रश्नावली का प्रयोग किया था जिसमें केवल 136 उत्तरदाताओं ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए थे। शोधकर्ता द्वारा आंकड़ों का विश्लेषण करने पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि व्हाट्सएप के उसके उपयोगकर्ताओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। लगभग 66% व्हाट्सएप उपयोगकर्ता मानते हैं

कि व्हाट्सएप ने दोस्तों और परिवार के साथ उनके रिश्ते को बेहतर बनाया है। 63% से अधिक उपयोगकर्ताओं को लगता है कि यह उनके लिए हानिकारक नहीं है।

वीणा एवं लोकेश (2016) ने अपने शोध अध्ययन “इफेक्ट ऑफ व्हाट्सएप मैसेंजर यूसेज अमोंग स्टूडेंट्स इन मंगलोर यूनिवर्सिटी : अ केस स्टडी” के लिए मंगलोर विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में अध्ययनरत 200 छात्रों को प्रश्नावली दी थी जिनमें से केवल 188 के ही जवाब आये थे। शोधकर्ता को अध्ययन के निष्कर्षों से पता चला कि अधिकांश उपयोगकर्ता व्हाट्सएप मैसेंजर से परिचित हैं और वे शैक्षणिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं। संभवतः न केवल उच्च शिक्षा संस्थान के छात्र बल्कि सभी व्यक्ति व्हाट्सएप मैसेंजर का उपयोग कर लाभ उठा सकते हैं।

रौतेला, सिंघल एवं येरपुडे (2018) के शोध अध्ययन “एन इनसाइट इंटू द चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ कम्युनिकेशन : अ जेनेरिक स्टडी ऑफ अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स परसेप्शन ऑफ व्हाट्सएप एंड इट्स यूसेज” का मुख्य उद्देश्य व्हाट्सएप के अनुप्रयोग और युवाओं के बीच इसकी धारणा का अध्ययन करना था। इसके साथ ही इस अध्ययन के माध्यम से छात्रों में व्हाट्सएप की बढ़ती लोकप्रियता के कारणों का भी पता लगाने की कोशिश की गई। इस अध्ययन को 200 स्नातक छात्रों के बीच आयोजित किया गया था। प्रकृति में यह शोध वर्णनात्मक था। शोधकर्ताओं ने अध्ययन में पाया कि अधिकांश छात्रों को लगता है कि यदि इस संचार का उपयोग एक कुशल और प्रभावी तरीके से किया जाए तो संचार का यह माध्यम शैक्षिक उपकरण के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

कौर और हुसैन (2018) द्वारा “सामाजिक मीडिया का प्रचलन और युवाओं पर इनका प्रभाव” नामक शोध अध्ययन लखनऊ विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों पर किया गया था। इस अध्ययन के अंतर्गत शोधकर्ता ने पाया कि सामाजिक मीडिया का प्रयोग युवा वर्ग में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सोशल मीडिया के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पहलू सामने आ रहे हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि एक व्यक्ति इसका उपयोग किस प्रकार से कर रहा है। इनके सदुपयोग पर बल देने की आवश्यकता है।

शोध कार्यविधि-

शोध उपकरण-

प्रस्तुत अध्ययन मात्रात्मक शोध के अंतर्गत एक वर्णनात्मक शोध है। इस अध्ययन द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के अध्येताओं की व्हाट्सएप संलग्नता की तीव्रता (Intensity) एवं प्रकृति का पता लगाने के लिए शोधकर्ता ने स्वनिर्मित मिश्रित प्रश्नावली का प्रयोग किया जिसके दो भाग थे। पहले भाग में उत्तरदाता को अपने सम्बन्ध में कुछ जानकारी देनी थी। भाग दो में प्रश्नावली दी गयी थी जिसमें कुल प्रश्न 15 थे। इस प्रश्नावली में प्रतिबंधित एवं खुले दोनों ही प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया गया था। प्रश्नावली से सम्बंधित सभी निर्देश प्रश्नावली के प्रारंभ में ही दे दिए गए थे जिससे कि उत्तरदाता को प्रश्नावली भरते समय किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।

जनसंख्या एवं प्रतिदर्श-

प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता ने जनसंख्या के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य के वर्धा जिले में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय (महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय) के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के बी. एड. एवं एम.एड. पाठ्यक्रम की कक्षा के 80 अध्येताओं को न्यायदर्श के रूप में चुना था। प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता द्वारा सोहेश्यपूर्ण न्यादर्शन प्रविधि का उपयोग किया गया।

शोध का परिसीमन-

प्रस्तुत शोध महाराष्ट्र राज्य के वर्धा जिले में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय (महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय) के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के बी.एड. एवं एम.एड. पाठ्यक्रम में अध्ययनरत अध्येताओं तक सीमित है।

परिणाम-

उद्देश्य 1: शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के अध्येताओं की व्हाट्सऐप संलग्नता की तीव्रता का अध्ययन करना

प्रतिदिन व्हाट्सऐप के उपयोग के सन्दर्भ में 80 विद्यार्थियों में से 37.5% विद्यार्थी प्रतिदिन 1 से 2 घंटे, 35% विद्यार्थी 2 से 4 घंटे, 13.8% विद्यार्थी 4 से 6 घंटे और 5% विद्यार्थी 6 से 8 घंटे व्हाट्सऐप का उपयोग करते थे। इसके अलावा 9% विद्यार्थियों ने यह माना कि उनके द्वारा व्हाट्सऐप के उपयोग का कोई निर्धारित समय नहीं था; जब भी उन्हें समय मिलता था, वे आवश्यकतानुसार इसका उपयोग करते थे। प्राप्त प्रतिक्रियाओं के अनुसार 51.2% विद्यार्थी 6 महीने से कम समय से, 36.3% विद्यार्थी 1 वर्ष से अधिक समय से, 11.3% विद्यार्थी 3 वर्ष से अधिक समय से और मात्र 1% विद्यार्थी 5 वर्ष से अधिक समय से व्हाट्सऐप का उपयोग कर रहे थे। व्हाट्सऐप उपयोग की तीव्रता की जांच हेतु चयनित विद्यार्थियों से व्हाट्सऐप स्टेटस के सन्दर्भ में प्राप्त प्रदर्शों से यह पता चला कि 52.5% विद्यार्थियों ने पिछले 1 सप्ताह में केवल 1 दिन तक, 8.8% विद्यार्थियों ने 2 दिन तक एवं 6% ने लगातार 4 दिन तक व्हाट्सऐप स्टेटस चेक नहीं किया था। 32.7% विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने यह बताया कि उनके द्वारा व्हाट्सऐप स्टेटस प्रत्येक दिन चेक किया जाता था। चयनित प्रतिदर्श विद्यार्थियों के द्वारा यह भी बताया गया कि 1 घंटे में किसी महत्वपूर्ण काम या कक्षा के दौरान 27.5% विद्यार्थियों द्वारा हर बार सन्देश टोन बजने पर, 55% विद्यार्थियों द्वारा 3 बार से कम, 11.3% विद्यार्थियों द्वारा 3 से 6 बार एवं 6.2% विद्यार्थियों द्वारा 6 से अधिक बार व्हाट्सऐप स्टेटस चेक किया जाता था। वहीं खाली समय या घर पर 1 घंटे में व्हाट्सऐप स्टेटस चेक करने की आवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक पाई गई। 37.5% विद्यार्थियों द्वारा हर बार सन्देश टोन बजने पर, 36.2% विद्यार्थियों द्वारा 3 बार से कम, 18.8% विद्यार्थियों द्वारा 3 से 6 बार एवं 7.5% विद्यार्थियों द्वारा 6 से अधिक बार व्हाट्सऐप स्टेटस चेक किया जाता था। व्हाट्सऐप ग्रुप की सदस्यता के सन्दर्भ में प्राप्त प्रदर्शों से पता चला कि 40% विद्यार्थी 1 से 5 ग्रुप, 30% विद्यार्थी 5 से 10 ग्रुप, 18.8% विद्यार्थी 10 से 15 ग्रुप और मूल 11.2% विद्यार्थी 15 से 20 ग्रुप के सदस्य थे। वहीं जब विद्यार्थियों से व्हाट्सऐप समूहों (जिनमें वे एडमिन थे) में नियमित रूप से संदेशों की जांच करने पर प्रश्न पूछा गया तो ज्ञात हुआ कि 43.8% विद्यार्थी 2 ग्रुप, 21.3% विद्यार्थी 4 ग्रुप

की, 11.3% विद्यार्थी 6 घुप की और 10% विद्यार्थी नियमित रूप से संदेशों की जांच करते थे। इसके अलावा 13.6% विद्यार्थियों ने माना कि उनके द्वारा सन्देश जांचने का कोई निश्चित समय नहीं था, जिस भी ग्रुप में सन्देश आते थे उसे देख लिया जाता था क्योंकि कहा नहीं जा सकता कि कौन सा सन्देश कितना महत्वपूर्ण हो। व्हाट्सएप संदेशों को जांच करने की आवृत्ति के सन्दर्भ में प्राप्त प्रदर्शों से यह पता चला कि 23.8% विद्यार्थी प्रत्येक आधे घंटे में, 26.2% विद्यार्थी 1-1 घंटे के अंतराल में, 12.5% विद्यार्थी 2 घंटे में एक बार और 37.5% विद्यार्थी 3 घंटे के अंतराल में एक बार व्हाट्सएप संदेशों की जांच करते थे।

उद्देश्य 2: शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के अध्येताओं की व्हाट्सएप संलग्नता की प्रकृति का अध्ययन करना

व्हाट्सएप के उपयोग की प्रकृति के सन्दर्भ में 80 विद्यार्थियों से व्हाट्सएप को वरीयता दिए जाने पर प्रत्र करने पर प्राप्त प्रतिक्रियाओं से ज्ञात हुआ कि 80 विद्यार्थियों से 20% विद्यार्थी व्हाट्सएप को प्रयोग करने में आसान, 75% विद्यार्थी संचार करने का सशक्त माध्यम, 2.5% विद्यार्थी समय बचने वाला और 2.5% विद्यार्थी व्हाट्सएप को पैसे बचने वाला मानते थे। प्राप्त प्रतिक्रियाओं से यह भी ज्ञात हुआ कि 70% विद्यार्थियों ने व्हाट्सएप के उपयोग को आज के जीवन के लिए आवश्यक माना। वहीं मात्र 10% विद्यार्थियों ने व्हाट्सएप के उपयोग को आज के जीवन के लिए आवश्यक नहीं माना। इसके अलावा 20% विद्यार्थी संशय में थे कि व्हाट्सएप का उपयोग आज के जीवन के लिए आवश्यक है अथवा नहीं। शोध में यह बात भी सामने आयी कि विद्यार्थियों द्वारा व्हाट्सएप के टेक्स्ट मेसेज फीचर का सबसे अधिक उपयोग किया जाता था। अगर हम विद्यार्थियों द्वारा व्हाट्सएप के टेक्स्ट मेसेज फीचर का सबसे अधिक उपयोग किया जाता था। अगर हम विद्यार्थियों द्वारा व्हाट्सएप के टेक्स्ट मेसेज फीचर को क्रम 1, फ़ोटो शेयरिंग फीचर को 2, विडियो कॉल को क्रम 3, फॉरवर्ड मेसेज को क्रम 4, स्टेटस अपडेट को क्रम 5 और वॉयस मेसेज को क्रम 7 पर रखा गया। प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर विद्यार्थियों द्वारा व्हाट्सएप पर साँझा की जाने वाली जानकारी को एक क्रम प्रदान करें तो अकादमिक या व्यावसायिक सूचना को क्रम 1, न्यूज को 2, अकादमिक विषयवस्तु से सम्बंधित लिंक्स को 3, किसी विश्वविद्यालय या पत्रिका से जुड़ी खबर को 4, प्रेरणादायक उद्धरण को 5, अन्य लोगों के सन्देश को 6, विज्ञापन या व्यवसाय सम्बन्धी सूचना को 7, जोक्स को 8 और अंततः पहेलियों को 9 दिया गया। विद्यार्थियों द्वारा व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड (Forward) की गई सामग्री के सन्दर्भ में प्राप्त प्रदर्शों से यह पता चला कि 20% विद्यार्थियों ने माना कि उनके सभी संदेश कहीं और से भेजे गए थे, 75% विद्यार्थियों ने यह माना कि उनके कुछ संदेश कहीं और से भेजे गए थे और 2.5% विद्यार्थियों ने माना कि उनका कोई भी संदेश अन्यत्र से प्रेषित नहीं किया गया था। वहीं जब 80 विद्यार्थियों से व्हाट्सएप के प्रति उनकी व्यक्तिगत राय के सन्दर्भ में प्रश्न किया गया तो प्राप्त प्रतिक्रियाओं से ज्ञात हुआ कि 17.5% विद्यार्थी व्हाट्सएप के उपयोग को मजेदार एवं मनोरंजक, 17.5% विद्यार्थी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा, 52.5% विद्यार्थी डाटा साँझा करने में आसान एवं सुविधाजनक, 23.75% विद्यार्थी व्हाट्सएप को जानकारीपूर्ण मानते थे। वहीं हमें कुछ नकारात्मक प्रतिक्रियाएँ भी प्राप्त हुईं जिनमें 20% विद्यार्थियों द्वारा व्हाट्सएप को एकाग्रता भंग करने का माध्यम,

28.75% विद्यार्थियों द्वारा समय बर्बाद करने वाला एवं 8.75% विद्यार्थियों ने इसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना। व्हाट्सएप के नकारात्मक प्रभाव के सन्दर्भ में 32.5% विद्यार्थियों ने यह माना कि व्हाट्सएप का उपयोग उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है जबकि 27.5% विद्यार्थी यह नहीं मानते कि व्हाट्सएप का उपयोग उनके जीवन पर कोई नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। 40% विद्यार्थी संशय में थे कि व्हाट्सएप का उपयोग उनके जीवन पर कोई नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है अथवा नहीं 80 विद्यार्थियों से व्हाट्सएप अनइंस्टाल (Uninstall) करने के विचार के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रियाओं से ज्ञात हुआ कि 58.75% विद्यार्थियों ने यह बताया कि उनके मन में व्हाट्सएप अनइंस्टाल (Uninstall) करने का विचार आया। वहीं 41.25% विद्यार्थी यह नहीं मानते कि उनके मन में कभी भी व्हाट्सएप अनइंस्टाल (Uninstall) करने का विचार आया। जब उनसे व्हाट्सएप अनइंस्टाल (Uninstall) करने के कारणों पर प्रश्न किया गया तो प्राप्त प्रतिक्रियाओं से ज्ञात हुआ कि 12.5% विद्यार्थियों ने व्हाट्सएप अनइंस्टाल करने का कारण एकाग्रता भंग होने को माना जबकि 18.75% विद्यार्थियों ने यह माना कि व्हाट्सएप की वजह से उनका बहुत समय बर्बाद होता था। 6.25% विद्यार्थी अधिक संदेशों से परेशान होकर व्हाट्सएप अनइंस्टाल कर दिए थे। मात्र 2.5% विद्यार्थियों ने फ़ोन स्टोरेज भर जाने के कारण व्हाट्सएप अनइंस्टाल किया। 5% विद्यार्थियों ने उनके किसी परिजन से लड़ाई हो जाने को व्हाट्सएप अनइंस्टाल करने का कारण माना। 12.5% विद्यार्थियों ने गलत या नकारात्मक संदेशों से परेशान होकर व्हाट्सएप अनइंस्टाल किया। कुल मिलाकर 58.75% विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने किसी न किसी कारण से परेशान होकर व्हाट्सएप अनइंस्टाल किया या उनके मन में व्हाट्सएप अनइंस्टाल करने का विचार आया। केवल 41.25% विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने यह बताया कि उनके मन में कभी भी व्हाट्सएप अनइंस्टाल करने का विचार नहीं आया।

शोध निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध के अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के 80 अध्येताओं की व्हाट्सएप संलग्नता की तीव्रता और प्रकृति का गहन अध्ययन करने के पश्चात् यह पाया गया कि शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के अध्येताओं की व्हाट्सएप संलग्नता की तीव्रता में वृद्धि हुई है। विद्यार्थियों द्वारा अन्य सोशल नेटवर्किंग ऐप के मुकाबले व्हाट्सएप का उपयोग सबसे अधिक किया गया क्योंकि उन्हें व्हाट्सएप का उपयोग करना आसान एवं सुविधाजनक लगा। सरकार (2015) के अनुसार व्हाट्सएप आज के जीवन के लिए आवश्यक है क्योंकि यह संचार करने का सशक्त माध्यम हैं और इसके उपयोग द्वारा डाटा सांझा करना आसान एवं सुविधाजनक है। कुमार एवं शर्मा (2016) के अनुसार व्हाट्सएप के माध्यम से किसी के भी साथ आसानी से संपर्क स्थापित किया जा सकता है और उन्होंने अपने अध्ययन में भी पाया कि व्हाट्सएप ने उनके दोस्तों और परिवार के साथ रिश्तों को बेहतर बनाया। सितिन्काया (2017) ने भी अपने अध्ययन में पाया कि विद्यार्थी व्हाट्सएप को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा मानते हैं। वे व्हाट्सएप का उपयोग अपने विभिन्न शैक्षिक कार्यों हेतु भी करते हैं। इसी प्रकार रौतेला (2018) ने भी अपने निष्कर्ष में पाया कि यदि एक कुशल और प्रभावी तरीके से इस संचार का उपयोग किया जाए तो संचार का यह माध्यम शैक्षिक उपकरण के रूप में भी इस्तेमाल किया

जा सकता है। यही कारण है कि छात्रों ने अपने पाठ्यक्रमों में व्हाट्सएप के उपयोग के प्रति सकारात्मक राय विकसित की है।

सोशल मीडिया का प्रयोग युवा वर्ग में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। शोधकर्ता ने अपने शोध में पाया कि विद्यार्थी प्रतिदिन 2 से 3 घंटे व्हाट्सएप का उपयोग अपने विभिन्न कार्यों हेतु करते हैं। आधे से भी अधिक विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य हैं और इसमें से कई समूह के तो वे स्वयं एडमिन भी हैं। कौर और हुसैन (2018) ने भी अपने अध्ययन में पाया कि सोशल मीडिया के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पहलू विद्यार्थियों के सामने आ रहे हैं जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि एक व्यक्ति इसका उपयोग किस प्रकार से कर रहा है। उनका मानना है कि हमें इसके सदुपयोग पर बल देना चाहिए।

विद्यार्थियों का एक समूह ऐसा भी है जिनका मानना है कि व्हाट्सएप का उपयोग उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। यह समय बर्बाद तो करता ही है, साथ ही विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव भी डालता है। सरकार (2015) ने भी अपने अध्ययन में पाया कि व्हाट्सएप का युवाओं पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है जिससे उनकी शिक्षा, व्यवहार और दिनचर्या पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यह छात्रों के अध्ययन के समय को बहुत बर्बाद करता है। इसी बजह से विद्यार्थियों के मन में कई बार व्हाट्सएप अनइंस्टाल (Uninstall) करने का विचार आया और इसके कई कारण थे जैसे एकाग्रता भंग होने के डर से, समय की बर्बादी, अधिक सन्देश आना, गुस्सा या लड़ाई के बाद, गलत संदेशों से परेशान होकर आदि। किन्तु सबसे अधिक विद्यार्थी व्हाट्सएप इसलिए अनइंस्टाल करते हैं क्योंकि इससे बहुत समय बर्बाद होता है। भट्ट एवं अरशद (2016) ने भी अपने शोध के निष्कर्ष में पाया कि व्हाट्सएप के कारण विद्यार्थियों की शिक्षा, व्यवहार और दिनचर्या पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जिसके कारण छात्रों के अध्ययन का समय तो बर्बाद हुआ ही साथ ही उनकी वर्तनी कौशल और वाक्यों का व्याकरणिक निर्माण भी ख़राब हुआ।

शोधकर्ता ने अपने अध्ययन में यह भी पाया कि विद्यार्थियों में बार-बार व्हाट्सएप पर मेसेज या स्टेटस चेक करने की दर में भी वृद्धि हुई है वे खाली समय में तो व्हाट्सएप का उपयोग करते ही हैं परन्तु वे कक्षा के दौरान भी निरंतर व्हाट्सएप का उपयोग करते रहते हैं। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि व्हाट्सएप कक्षा में एकाग्रता को भंग करता है। शोध में यह बात भी सामने आयी कि शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा व्हाट्सएप पर साँझा की जाने वाली जानकारी में मुख्य रूप से अकादमिक या व्यावसायिक सूचना, न्यूज़, अकादमिक विषयवस्तु से सम्बंधित लिंक्स, किसी विश्वविद्यालय या पत्रिका से जुड़ी खबर, प्रेरणादायक उद्धरण आदि सम्मिलित थे।

अंततः यह कहा जा सकता है कि व्हाट्सएप विद्यार्थियों के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। इसने उनके दैनिक जीवन को आसान बनाने के साथ-साथ दोस्तों और परिवार के साथ उनके रिश्ते को भी बेहतर बनाया है। वहीं दूसरी ओर यह उनके लिए कुछ हद तक हानिकारक भी है। यही कारण है कि शोधकर्ता को निष्कर्ष रूप में इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्ष देखने को मिले, जो इस बात पर निर्भर

करते हैं कि एक व्यक्ति द्वारा इसका उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है। व्हाट्सएप हमें कई तरीकों से लाभान्वित कर रहा है तथा हमारे जीवन को आसान बना रहा है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना चाहिए और उन्हें प्राथमिकता के हिसाब से समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने हेतु प्रयासरत रहने की आवश्यकता है (भट्ट एवं अरशद, 2016)।

शैक्षिक निहितार्थ-

प्रस्तुत शोध में पाया गया कि शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के अध्येताओं की व्हाट्सएप संलग्नता की तीव्रता में वृद्धि हुई है अर्थात् विद्यार्थी प्रतिदिन 2 से 3 घंटे व्हाट्सएप का उपयोग अपने विभिन्न कार्यों हेतु करते हैं। उनकी इसी संलग्नता को अर्थपूर्ण संलग्नता में बढ़ाया जा सकता है क्योंकि यह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षक अपने छात्रों के साथ तेजी से और अधिक सहज रूप में सम्प्रेषण कर सकते हैं। व्हाट्सएप का उपयोग शिक्षक ब्लैंडेड अधिगम और फिलपड अधिगम के रूप में भी कर सकते हैं। कक्षा स्तर पर समूह अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह चैट सुविधा का उपयोग सीखने और अध्ययन समूह बनाने के लिए किया जा सकता है। इसके माध्यम से कक्षा में न होते हुए भी शिक्षक द्वारा छात्रों की समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। प्रस्तुत शोध के परिणामों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि व्हाट्सएप को शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में क्रियान्वित पाठ्यक्रम में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार या अद्यतन हेतु उपयोग किया जा सकता है।

आगामी शोध के लिए सुझाव-

प्रस्तुत शोध को सामान्यीकरण के उद्देश्य से एक से अधिक केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं राजकीय विश्वविद्यालय पर भी किया जा सकता है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रतिरक्षा के रूप में ले सकते हैं। शिक्षकों की संलग्नता समय के साथ कैसे बदलती है, इसकी जांच करने के लिए एक दीर्घकालिक अध्ययन भी किया जा सकता है। साथ ही विभिन्न विषयों या संस्थानों के शिक्षकों के बीच व्हाट्सएप संलग्नता की तुलना भी की जा सकती है और शोध निष्कर्षों को मॉडल के रूप में लिया जा सकता है। प्रस्तुत अध्ययन सरकारी एवं निजी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों के अध्येताओं पर भी किया जा सकता है। इसके साथ हम यह भी देख सकते हैं कि व्हाट्सएप संलग्नता की तीव्रता एवं प्रकृति में जेंडर, सामाजिक-आर्थिक एवं भौगौलिक स्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है।

संदर्भ सूची-

- भट्ट, ए. एवं अरशद, एम. (2016). इमैक्ट ऑफ व्हाट्सएप ऑन युथ : अ सोशियोलॉजिकल स्टडी. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट एंड सोशल साइंस, (आई.एस.एन.- 2445-2267), खंड 4(2), 376-386.

- शंमुगाप्रिया, एस. एवं प्रिया, ए. (2016). अ स्टडी ऑन इम्पैक्ट ऑफ युसिंग व्हाट्सएप ऑन रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च एंड मॉडर्न एजुकेशन, (आई.एस.एन.: 2455-5428), खंड 1(1), 66-79.
- सितिन्काया, एल. (2017). द इम्पैक्ट ऑफ व्हाट्सएप यूज ऑन सक्सेस इन एजुकेशन प्रॉसेस. इंटरनेशनल रिव्यु ऑफ रिसर्च इन ओपन एंड डिस्ट्रिब्यूटेड लर्निंग, खंड 18(7), 60-73.
- सरकार, एम. (2015). इम्पैक्ट ऑफ व्हाट्सएप मैसेंजर ऑन द यूनिवर्सिटी लेवल स्टूडेंट्स : अ सोशियोलॉजिकल स्टडी. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ नेचुरल एंड सोशल साइंस, आई.एस.एस.एन.: 2313-4461, खंड 2(4), 118-125.
- कुमार, एन. एवं शर्मा, एस. (2016). सर्वे एनालिसिस ऑन द यूसेज एंड इम्पैक्ट ऑफ व्हाट्सएप मैसेंजर. ग्लोबल जर्नल ऑफ एंटरप्राइज इनफार्मेशन सिस्टम, 151-157.
- वीणा, जी. एवं लोकेश, एम. (2016). इफेक्ट ऑफ व्हाट्सएप मैसेंजर यूसेज अमोंग स्टूडेंट्स इन मंगलोर यूनिवर्सिटी : अ केस स्टडी. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इनफार्मेशन स्टडीज, आई.एस.एस.एन.: 2231-4911, खंड 6(2), 121-129.
- रौतेला, एस., सिंघल, टी. एवं येरपुडे, एस. (2018). एन इनसाइट ईंटो द चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ कम्युनिकेशन : अ जेनेरिक स्टडी ऑफ अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स परसेप्शन ऑफ व्हाट्सएप एंड इट्स यूसेज. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एप्लाइड इंजीनियरिंग रिसर्च, आई.एस.एस.एन.: 0973-4562, खंड 13(5), 2213-2224.
- कौर, डी. और हुसैन, एस. (2018). सामाजिक मीडिया का प्रचलन और युवाओं पर इनका प्रभाव. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हामैनिटिस एंड सोशल साइंस रिसर्च, आई.एस.एस.एन.: 2455-2070, खंड 4(2), 30-34.

Manuscript Timeline

Submitted : February 03, 2024 Accepted : February 13, 2024 Published : March 31, 2024

प्रगतिशील चेतना के आलोक में हिंदी कवितादेवीलाल¹**शोध सारांश**

हिंदी कविता में प्रगतिशील चेतना ने, विशेष रूप से बीसवीं शताब्दी के दौरान, कविता को सामाजिक-राजनीतिक विषयों से जोड़कर साहित्यिक परिदृश्य को बदल दिया। प्रगतिशील लेखक आंदोलन के आदर्शों में निहित, नागर्जुन, मुक्तिबोध और शमशेर बहादुर सिंह जैसे कवियों ने सामाजिक न्याय, वर्ग संघर्ष, उपनिवेशवाद-विरोधी, लैंगिक समानता और मानवतावाद के मुद्दों को संबोधित किया। उनके कार्यों ने पारंपरिक पदानुक्रमों को चुनौती दी, शहरी अलगाव की आलोचना की और सरल भाषा और यथार्थवाद का उपयोग करते हुए हाशिये पर पड़े लोगों की वकालत की। इस आंदोलन ने कविता को राजनीतिक जुड़ाव और सामाजिक सुधार का माध्यम बना दिया, जिससे आधुनिक हिंदी साहित्य पर अमिट प्रभाव पड़ा। प्रगतिशील साहित्य का संबंध हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से बहुत गहरा है। आजादी का आंदोलन आधुनिक साहित्य की अब तक की सभी प्रमुख प्रवृत्तियों को प्रेरित और प्रभावित करता रहा है। लेकिन प्रगतिशील आंदोलन ऐसा आंदोलन भी है जिसे हम विश्व व्यापी कह सकते हैं। यूरोप में फासीवाद के उभार के विरुद्ध संघर्ष के दौरान प्रगतिशील आंदोलन का जन्म हुआ था। इस आंदोलन के पीछे मार्क्सवादी विचारधारा की शक्ति और सोवियत संघ के निर्माण की ताकत भी लगी हुई थी। समाज हित को लक्ष्य करने वाले कवि की अधिकांश कविताएं प्रगतिशील तत्वों का उन्नायक करने वाली हैं। युग-चेतना से प्रेरित कवि ने रूढ़िवाद का खंडन, ब्रिटिश शासन की दमन नीतियां, अद्भूत प्रथा, जातिवाद एवं सांप्रदायिकता, नारी विमोचन, आर्थिक संतुलन एवं शोषण से प्रेरित मजदूर आंदोलन एवं किसान आंदोलन, नव साहित्य आंदोलन आदि प्रगतिशील तत्वों को अपनी कविताओं में विशेष महत्व दिया है।

बीज शब्द- हिंदी कविता, नव साहित्य आंदोलन, मार्क्सवाद, प्रगतिवाद, साम्यवाद, समाजवाद, पूँजीवाद, सामंतवाद और यथार्थवाद।

प्रस्तावना-

हिंदी कविता के विकास ने भारत के सामाजिक-राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों को प्रतिबिबित किया है, खासकर बीसवीं शताब्दी के दौरान। इस विकास में एक महत्वपूर्ण चरण प्रगतिशील चेतना के आगमन के साथ आया, जिसने साहित्य को उस समय के ज्वलंत मुद्दों के साथ जोड़ने की कोशिश

¹ शोधार्थी, हिंदी विभाग, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.).

Email- devilalbh@gmail.com, Mobile : 9336171874

की। 1930 के दशक में स्थापित प्रगतिशील लेखक आंदोलन (प्रगतिवादी लेखक संघ) ने इस बदलाव को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मार्क्सवादी, समाजवादी और उपनिवेशवाद-विरोधी विचारधाराओं से प्रभावित होकर, आंदोलन ने कवियों को सामाजिक असमानता, जाति भेदभाव, लैंगिक अन्याय और राजनीतिक उत्पीड़न की चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रोत्साहित किया। हिंदी कविता के क्षेत्र में, इस अवधि में गीतात्मक और रोमांटिक परंपराओं से अधिक यथार्थवादी और सामाजिक रूप से जुड़े विषयों की ओर एक उल्लेखनीय बदलाव देखा गया। कवियों ने अपनी कला का उपयोग परिवर्तन की वकालत करने, सामाजिक मानदंडों पर सवाल उठाने और हाशिये पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने के लिए एक मंच के रूप में करना शुरू कर दिया। कविता की भाषा गूढ़ प्रतीकवाद से हटकर आम लोगों के साथ जुड़कर अधिक प्रत्यक्ष और सुलभ हो गई। हिंदी कविता में प्रगतिशील चेतना का यह परिचय सामाजिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करने और आकार देने में साहित्य की केंद्रीय भूमिका को उजागर करता है। यह रेखांकित करता है कि कैसे कवि न केवल कलाकार बन गए, बल्कि भारत के राजनीतिक और सामाजिक प्रवचन में सक्रिय भागीदार बन गए, और अपनी आवाज़ का उपयोग उत्पीड़न को चुनौती देने और क्रांति को प्रेरित करने के लिए किया।

हिन्दी साहित्य की उन्मुक्त चेतना का प्रादुर्भूत मार्क्सवादी विचारधारा का आद्य विषय प्रगतिशील ही है। प्रगतिवाद इसी साम-वैषम्य के मध्य से उद्भूत हुआ। 19वीं शताब्दी में मार्क्सवादी विचारधारा ने इसी विकास में उच्च मध्य और निम्न वर्ग की वैज्ञानिकता का वर्णन किया। समाज की समस्त साहित्यिक विधाओं ने प्रगतिशीलता को जन्म दिया। पाश्चात्य राजनीतिक साहित्य, दर्शन और अन्य शास्त्रों का वर्णन मार्क्स, प्लेटो और अरस्तु ने विशद रूप में व्याख्यायित किया है। संघर्ष में घृणा, कालुष्यता, दुश्मनी आदि की भावना का सहज रूप से उदय होता है। वस्तुतः 1930 के आसपास छायावाद के कोख से जिस नई सामाजिक साहित्य धारा का उदय हुआ है, उसे 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के बाद प्रगतिशील साहित्य या प्रगतिवादी साहित्य कहा गया।

इस साहित्य आंदोलन के संबंध में यह सत्य भी जान लेना जरूरी है कि यह शुरू से ही मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित रहा है। मार्क्स का वैज्ञानिक समाजशास्त्रीय विश्लेषण और सामाजिक अंतर्विरोध की समझ उसके लिए प्रकाश स्तम्भ रही है। साथ ही साथ प्रारम्भ से ही लेखक संघ के झण्डे के नीचे भारतीय साम्यवादी दल के निर्देशन में काम करने के कारण इसे प्रतिक्रियावादी और अभिजात्यवर्गीय लेखकों के प्रकोप का भी सामना करना पड़ा। कई तरह के आरोप लगाये गये राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित गैर साहित्यिक प्रचारक, वर्ग विद्वेषक, रूस का अन्धानुयायी, विदेश की जूठन, रोटीवाद, मार्क्सवाद का पिछलगू आदि कह कर निर्मित किया गया। परंतु प्रगतिशील आन्दोलन जिस गति से आगे बढ़ा उसकी तुलना हम केवल छायावादी कवियों से ही कर सकते हैं। सुमित्रानन्दन पंत, प्रसाद, निराला, हरिवंश राय बच्चन यहां तक की अज्ञेय जैसे प्रतिक्रियावादी साहित्यकार भी। इसके तीव्र आवेग में बहते हुए 1936 का समय बहुत ही राजनीति पूर्ण था। उसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सभापति के रूप में मंच से पं. जवाहरलाल समाजवाद की उद्घोषणा कर रहे थे और उसी समय मुंशी प्रेमचन्द लेखक मंच के अध्यक्ष पद से देश के साहित्यकारों को साहित्य के उद्देश्य को इस प्रकार रेखांकित किया-

"हमारी कसौटी पर केवल वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो स्वाधीनता का भाव सौदर्य का सार हो। सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो, जो इसमें गति संघर्ष और बैचैनी पैदा करें सुलाएं नहीं क्योंकि अब ज्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है।"¹

प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन के कुछ महीने पूर्व नागपुर में भारतीय साहित्य परिषद का अधिवेशन हुआ। इसमें जवाहरलाल नेहरू, प्रेमचंद, नरेन्द्र देव, मोलवी अब्दुल के हस्ताक्षरों से एक प्रस्ताव पारित हुआ जो विशाल भारत जुलाई 1936 से प्रकाशित हुआ उनके अंश में कहा गया है कि-

“इंसानियत के नाते हम पूछते हैं कि आज जब तरक्की और उन्नति तथा अवनति की ताकतों में आखिरी लड़ाई छिड़ी हुई है तो क्या साहित्य उससे अपने को अलग रख सकता है। क्या कला, सौदर्य आदि का पल्ला पकड़ कर वह जिंदगी से भाग सकता है। क्या वह यथार्थ की धरा पर बैठकर क्रांति और प्रतिक्रिया के द्वंद्व का तमाशा खामोशी से देख सकता है। हर कला की जड़ एहसास भावना में है। तो फिर किसानों की पुकार मजदूरों की कराह और भिखारियों की आह हमें बहरा क्यों रख सकती है। गरीबी और शोषण का कोढ़ किस तरह से धोया जाय तो क्या यह कहने की जरूरत रह जाती है कि साहित्य का इशारा किस तरफ हो वह क्या कहे, किसे कहे और किस तरह कहे? हमें विश्वास है कि हमारे देश के साहित्यिक जीवन और साहित्य के अलगाव की खाई को पाटकर, साहित्य को इंकलाब का संदेशवाहक बनायेंगे।”²

प्रगतिशील साहित्य के अंतर्गत वह सम्पूर्ण साहित्य आता है। जो छायावाद के बाद व्यापक सामाजिक चेतना के आधार पर रचा गया है। प्रगतिशील साहित्य के कविता में एक प्रमुख प्रवृत्ति यह है कि उसमें पूँजीवादी, सामंतवादी और साम्राज्यवादी शोषक सत्ता का विरोध लगातार दिखाई देता है। प्रगतिवादी कवि निराला अपनी कुकुरमुत्ता कविता में कुकुरमुत्ता को सर्वहाटा तथा गुलाब को पूँजीवादी काव्य में प्रतिक के रूप में स्थान दिया है। प्रगतिवादी काव्य में कुकुरमुत्ता एक सशक्त कृति के रूप में सामने आयी हैं। इसमें प्रतीकों के माध्यम से सामाजिक जीवन के जो व्यंग्य चित्र प्रस्तुत किए वे उनकी उत्कृष्ट काव्य कला के परिचालक हैं।

"अबे सुनबे गुलाब
भूल मत जो पायी खुशबू रंगो आब,
खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट,
डाल पर इतरा रहा है। कैपिटलिष्ट"³

प्रगतिशील साहित्य की प्रवृत्तियों के द्वारा ही साहित्य को नये कलेवर सजाने का प्रयास किया जाता है। प्रगतिवादियों में वर्ग संघर्ष को उत्तेजना देने वाले विभिन्न वर्गों और उनकी मनोदशाओं का चित्रण करने वाली नए ढंग की रचनाओं के अतिरिक्त जिन पुराने विषयों जैसे प्रेम प्रकृति आदि को उन्होंने लिया है। उनकी अभिव्यक्ति भी नए जीवन दर्शन के अनुसार हुई। प्रगतिशील मूलतः रचना और आलोचना के क्षेत्र में नये दृष्टिकोण का संवाद बनकर आया है। सदा इसकी दृष्टि समाजपरक रही है। जिसमें उपयोगितावादी मूल्यों को काव्य से संबंध कर दिया गया है। प्रगतिवादी साहित्य का सैद्धान्तिक आधार मार्क्स का वह सामाजिक दर्शन

है जिसे वैज्ञानिक भौतिकवाद के नाम से जाना जाता है। यह समाज की व्याख्या मात्र तक अपने में सीमित न रखकर उसके परिवर्तन की आवश्यकता पर बल देता है। मार्क्सवादी दर्शन से प्रगतिवाद का गहरा संबंध है। आजादी के बाद सत्ता के वर्ग चरित्र को अभिव्यक्ति देने का कार्य नागार्जुन, त्रिलोचन, शमशेर, मुक्तिबोध जैसे कवियों ने किया। केदारनाथ अग्रवाल ने आजादी के पूर्व ही आजादी का स्वरूप भांप लिया था। अपनी 1946 की लिखित कविता 'लाकेर तूंगी' में नकली मिली या असली मिली है। इसमें इस बात को देखा जा सकता है।

"लंदन गए लौट आए, बोलौ? आजादी लाये? नकली मिली या कि असली मिली है? कितनी दलाली में कितनी मिली है? राजा ने दी है कि वादा किया, पथिक ने दी है कि वादा किया है। आशा दिया है, कि दिलासा दिया है? ढेंगा दिखा कर रवाना किया है, दोनों नयन भर लाये अच्छी आजादी लाये॥⁴

केदारनाथ अपनी कविताओं में स्वतंत्रत रचना की आवाज उठायी उन्होंने पूँजीवादी लेखकीय परंत्रता पर गहरा आधात किया उन्होंने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा है कि जिन लेखकों ने अपनी स्वतंत्रता सत्ता के हाथों बेच दी है। वे वास्तव में उसकी तरफदारी और खुशामद कर अपने मन और आत्मा की हत्या करते हैं। केदारनाथ सच्चे और ईमानदार लेखक की ओर इशारा करते हैं।

‘सूर के, कबीर के वंशज को
आज के लेखक को दाम से खरीदों नहीं।
राजशाही गुंबद की छाया में लेखक को पालो नहीं
लेखक को हुक्म या हिदायत से बांधो नहीं
ताकि वह किसान और मजदूर हमायत करें
बल्कि उसे सच्ची आजादी दो।
जालिम के साथ नहीं कोई रियासत करें।
ताकि वह जमीन को हसीन बनोएं
ताकि वह मनुष्य को हर्ष और वणी दे
वह स्वदेश को नवीन रूप से गढ़े॥⁵

केदारनाथ अग्रवाल ने बिना किसी दबाव के निष्पक्ष ढंग से कविता लिखी है। वे राजनीति में चलने वाले दुराचारियों को अच्छी तरह से पहचानते हैं। शोषितों उत्पीड़ितों के प्रति लगाव प्रगतिवादी कवियों की विशेषता रही है। अपने समुच्चे इतिहास में कविता पहली बार किसानों मजदूरों, उनकी मटमैली गंदी बस्तियां, भूख, गरीबी में प्रवेश करती है। केदारनाथ ने श्रम करते हुये आदमी को अपनी कविताओं में पूरी तरह जगह दी है। 'कटुई के गीत' मैने उसको जब-जब देखा 'मार हथौड़ा कर चोट' आदि बहुत सी कविताएँ इस बात का प्रमाण है।

“मैंने उसको जब-जब देखा
लोहा देखा, लोहे जैसा
तपते देखा, गलते देखा
ढ़लते देखा, मैंने उसको
गोली जैसा चलते देखा !!”⁶

मेहनतकश मजदूरों को दिन-रात मेहनत के बाद भी भर पेट रोटी नहीं मिलती, अपनी आवश्यकताओं को वे पूरा नहीं कर पाते। अग्रवाल जी ने अपनी कविताओं के माध्यम से गरीब बेबस जनता की आवाज को उड़ाना चाहते थे। वे लिखते हैं कि-

“हमारे हाथ में हल है, हमारे हाथ में बल है।
कि हम बंजर को तोड़ेंगे, बिना तोडे न छोड़ेंगे
हमें जो कोई टोकेगा, पकड़कर हाथ रोकेगा।
कि हम उसको हटाएंगे, न कुछ कानून मानेंगे
हम अपना बीज बोएंगे, हम अपना प्राण होंगे।”⁷

किसान अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है। वह अपनी जमीन अधिकार पूर्वक लेना चाहता है। जन संघर्ष और साहित्य की इस पृष्ठ भूमि में मार्क्सवाद का आलोक फैला तो बुद्धिजीवी कवियों का बहुत बड़ा समुदाय उसकी ओर आकृष्ट हुआ। नफरत और प्रेम के इस परिभाषिक स्वरूप के कारण प्रगतिशील कविता संशनीय स्वरों में घोषित करती है।

‘वे व्यापारी, वे जर्मींदार ये हैं लक्ष्मी के परम भक्त।
वे निपट निरामिष सूदखोर, पीते मनुष्य का ऊष्म रक्त।’⁸

मार्क्सवादी विचारधारा से जुड़कर भारत का समाजाज्यवाद विरोधी यथार्थवादी साहित्य परंपरा का विकास। समाजवादी यथार्थवाद की दिशा में हुआ और तब सुसंगत रूप से प्रगतिशील कविता की रचना आरंभ हुई।

काव्य में मार्क्सवादी प्रभाव की केन्द्रीय भूमिका है। पूँजीवादी वर्ग और विदेशी सरकार दोनों ने इस देश की अनपढ़ रूचि ग्रस्त एवं हीन-दीन जनता को दोनों हाथों से लूटने का प्रयास किया तो पूँजीवाद के प्रभाव से भूखे मजदूर संघर्ष के लिए तैयार हो चुके थे। जनता एक तिरंगे के नीचे आजादी का नारा लगाने लगी थी तो दूसरी ओर पूँजीवादी व्यवस्था का अंत करने के लिए कृतसंकल्पित है। मार्क्सवादी सिद्धान्तों के अनुसार समाजवादी मूल्यों की अभिव्यक्ति साहित्य के माध्यम से स्वीकार कर ली गई थी, तो इस प्रगतिशील साहित्य को प्रगतिवादी भी कहा जाने लगा।

निष्कर्षतः: हिंदी कविता में प्रगतिशील चेतना ने एक परिवर्तनकारी युग को चिह्नित किया जहां साहित्य सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन गया। इस आंदोलन के कवियों ने समानता, न्याय और मानवीय गरिमा के आदर्शों से प्रभावित होकर पारंपरिक रूपों को तोड़ दिया और समाज की कठोर वास्तविकताओं से जुड़ गए। अपने कार्यों के माध्यम से, उन्होंने वर्ग उत्पीड़न, जाति भेदभाव, लैंगिक असमानता और आधुनिकता और शहरीकरण द्वारा लाए गए अलगाव जैसे मुद्दों का सामना किया। प्रगतिशील कवियों के सरल, सीधी भाषा के उपयोग और यथार्थवाद पर उनके ध्यान ने उन्हें व्यापक दर्शकों से जुड़ने की अनुमति दी, जिससे कविता बेजुबानों की आवाज बन गई। इस आंदोलन ने न केवल हिंदी साहित्य को समृद्ध किया, बल्कि प्रतिरोध और क्रांति की भावना को भी प्रतिबिंबित किया, जो 20 वीं शताब्दी के दौरान भारत के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य की विशेषता थी।

आज भी, प्रगतिशील हिंदी कविता की विरासत समकालीन लेखकों और कार्यकर्ताओं को प्रेरित करती है, न्याय और समानता की लड़ाई में इसकी स्थायी प्रासंगिकता की पुष्टि करती है। यह उत्पीड़न को चुनौती देने और अधिक न्यायसंगत समाज को बढ़ावा देने में साहित्य की भूमिका के प्रमाण के रूप में खड़ा है। समग्रतः कहा जा सकता है कि प्रगतिवाद जनवादी मंच है। जिसने समाज के तमाम बुराइयों को पहचान कर उसे बाहर करने का प्रयत्न किया। प्रगतिवादी कवि ने इस समाज की जड़ों को खोखला करने वाली वजह की पहचान की और उसका निदान लोंगों के सामने प्रस्तुत किया। प्रगतिशील चेतना वाले कवियों को जनवादी कवि कह सकते हैं।

संदर्भ सूची-

- प्रयोजनमूलक, मासिक पत्रिका, अप्रैल-1986, पृष्ठ-सं.12.
- जनवादी साहित्य (विशेषांक उत्तरार्थ), अंक 29, परिशिष्ट, पृष्ठ सं. 68.
- भटनागर, रामरत्न. (1947). कवि निराला : एक अध्ययन. इलाहाबाद : किताब महल. पृष्ठ 209.
- शर्मा, रामविलास. (1987). प्रगतिशील काव्य-धारा और केदारनाथ अग्रवाल. इलाहाबाद : लोकभारती प्रकाशन. पृष्ठ.132.
- वही, पृष्ठ. 80
- वही, पृष्ठ. 207
- अग्रवाल, केदारनाथ. (1947). युग की गंगा. इलाहाबाद : परिमल प्रकाशन. पृष्ठ.52-53.
- पंत, सुमित्रानंदन. (2022). सुमित्रानंदन पंत ग्रंथावली खण्ड-2. दिल्ली : राजकमल प्रकाशन. पृष्ठ-94.

Manuscript Timeline*Submitted : February 10, 2024 Accepted : February 25, 2024 Published : March 31, 2024***“मातंगी का मशाल” (मातंगी दिवटगी) कन्नड़ की दलित आत्मकथा****डॉ. महादेवी प. कणवी¹**

दलित साहित्य की चर्चा आत्मकथा के बिना संभव नहीं है। आत्मकथा लिखने के लिए प्रामाणिकता की आवश्यकता होती है और अपने जीवन की हकीकतों को समाज के सामने खोलकर रखने के लिए हिम्मत की आवश्यकता होती है। खासकर भारतीय परिवेश में महिलाएँ सामाजिक और परिवारिक परिप्रेक्ष्य में अपने बारे में खुलकर बताना नहीं चाहती। इसी कारण भारतीय साहित्य में महिलाओं के जरिए लिखी गयी आत्मकथा कम मात्रा में हैं। कन्नड़ में भी महिलाओं द्वारा आत्मकथा कम लिखी गई हैं। समाजशास्त्र की प्राध्यापिका कन्नड़ साहित्य की लेखिका समता देशमाने ने अपने जीवन के अनुभवों को यथा, अपना समाज, अपना परिवार, गरीबी, भूख, तमाम कमजोरियों को बिना किसी झिझक के, बिना किसी पूर्वाग्रह के सत्य के साथ लिखा है तथा सभी पहलुओं को चित्रित किया है। लेखिका ने अत्यंत प्रामाणिकता की स्थितियों को चित्रित किया है।

कर्नाटक में मातंगी दलित देवी हैं। कहा जाता है कि वह महर्षि जमदग्नी की दूसरी पत्नी थी। उनके बच्चे ही आगे चलकर मांग (कर्नाटक में मादर) माने जाते हैं। इस कुल के लोग जानवरों का खाल उतारने का काम करते हैं, साथ में किसानों के लिए चमड़े से बनी चीजें बनाकर देते हैं, ये जूते और चप्पल बनाने का काम भी करते हैं। भारत के तमाम दलितों की तरह ये लोग भी गरीबी और सामाजिक असमानता का शिकार होकर लगातार अपमान झेलते हुए जीते हैं। इस दयनीय स्थिति में जीने वाले लोग कभी खुशी के सपने तक नहीं देख सकते। मगर डॉ. बाबासाहेब के बदौलत इन लोगों को थोड़ा राहत मिली है। समाज में सम्मान की जिंदगी जीने लगे हैं। भारत के सभी दलितों को बाबासाहेब के युगांतकारी विचारों, योजनाओं और कानून जो संविधान के जरिए जारी हैं, नतीजा बहुत लोगों की जिंदगी बदलने लगी। कुछ लोग अपने लगन, परिश्रम, जिद और लगातार कोशिश के साथ कीचड़ का कमल बन जाते हैं। अपनी खुशबू और सुंदरता चारों और फैलाकर सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एक ऐसा कमल का नाम समता देशमाने हैं। समता ने अपनी तमाम कमजोरियों के बावजूद जातिगत और लिंगभेद के गतिरोध के साथ अपनी मंजिल पर पहुँच गई हैं।

डॉ. समता देशमाने की आत्मकथा मातंगी का मशाल (मातंगी दीवटगी) कन्नड़ भाषा में प्रकाशित प्रथम दलित महिला आत्मकथा है। माता-पिता के त्याग आदर्श, परिश्रम और ईमानदारियों को दाय-संस्कार के रूप में पाकर अपने समय के अपने समुदाय के अपनी जैसी अनेक उन समस्त लड़कियों के लिए जो

¹ सह-प्राध्यापिका, हिंदी विभाग, जी.एच.कॉलेज, (के.एल.ई. संस्था), हावेरी- 581110 (कर्नाटक), भारत.
मो.- 9980437446, ई-मेल- mpkanavi@gmail.com

लड़की होने के कारण, दलित होने के कारण अपमान, अन्याय और दमन का शिकार बन जाती है, उन सब के लिए मिशाल बन जाती हैं।

हैदाराबाद कर्नाटक का गुलबर्गा एक पिछड़ा हुआ इलाका है। खैर, आजकल सरकार से विशेष सुविधाएँ इस इलाके को मिल रही हैं। मगर पिछले दशकों में यहाँ की स्थिति बहुत चिंताजनक थी। अखंड कर्नाटक बनने से पूर्व हैदाराबाद के नवाब के अधीन यह इलाका रहा। इसलिए मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव यहाँ के सभी धर्म के जनजीवन में देखने को मिलता है। भाषा में भी दख्खनी हिंदी का प्रभाव है। 12वीं शताब्दी के समाज सुधारक महामानवतावादी महात्मा बसवेश्वर की कर्मभूमि भी होने के कारण यहाँ वीरशैव धर्म का प्रभाव भी है। प्राकृतिक रूप से यह इलाका शापग्रस्त है। यहाँ केवल दो ही मौसम हैं। एक है दूपकाल, दूसरा है भयंकर दूपकाल। हमेशा तपती धूप, सूखी नदियाँ, सूखा, गरीबी, भूख यहाँ की विशेषता है। इस प्रकार के इलाके का एक छोटा सा गांव गाजीपुर में समता देशमाने का जन्म रत्नम्मा और बाबुराव दम्पती की चौथी संतान के रूप में हुआ।

रत्नम्मा और बाबुराव दम्पती को कुल आठ संताने हुईं। उनमें सात लड़कियाँ और एक लड़का है। बाबुराव एक समाजवादी विचारवादी, राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रीय रहे हैं। आजादी की लड़ाई, मजदूर लड़ाई के नेतृत्व संभालते एक नायक के रूप में रूपान्तरित हो रहे थे। बाबुराव को अक्षर अभ्यास नहीं मिला था। वे पत्रिकाओं को पढ़ना चाहते थे। देश की खबरें खबना चाहते थे लेकिन उनके लिए काला अक्षर ऐसे बराबर था। बाबुराव भी जिद्दी आदमी थे। बड़ी उम्र के बाद एक शिक्षक को रोजाना चार सिगरेट दिलाने की शर्त पर हिंदी का अक्षराभ्यास शुरू किया गया। हिंदी के साथ मराठी पत्रिकाओं को पढ़ने लगे। महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, महात्मा बसवेश्वर, महात्मा गांधी और महानायक बाबासाहेब अंबेडकर के विचारों से प्रभावित हुए थे। इतना ही इन महान विचारों को अपने जीवन के साथ आत्मसात करनेवाले भी थे। इन्हीं समाजवादी प्रभाव के कारण उनका परिवार एक आदर्श परिवार के रूप में समाज के सम्मुख खड़ा हो पाया। उनके बच्चों के नाम समाजवादी विचारधारा से जुड़े हैं। जैसे, विजयलक्ष्मी, अघोष कुमार, युगान्तरी, समता, जागृति, नागरत्ना इंदुमति और जयश्री है। बाबुराव आर्यसमाज के प्रभाव में भी रहे हैं। एक बार मुंबई के चर्चेंट के सामने मजदूर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, तभी वहाँ पुलिस का हमला हुआ। धक्का-मुक्की हुई, इसमें करंट का तार लगाने के कारण बाबुराव हमेशा के लिए एक आँख से अंधे हो गए। अब परिवार की जिम्मेदारी रत्नम्मा के कंधों पर आ गई। गरीबी और भूख सब-कुछ सिखा देती है। फलों के व्यापार से प्रारंभ कर सब्जी बेचकर गुजारा होने लगा। आठ बच्चों का परिवार और अकेले की कमाई के कारण घर में गरीबी घर कर गई थी।

रत्नम्मा और बाबुराव ठान लिए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में बच्चों को शिक्षित करना है। सावित्रीबाई फुले के सपनों को साकार करना है। उन दोनों ने अपने बच्चों को जी-जान से पढ़ाया। खाने में एक रोटी कम हो जाए परवाह नहीं, पढ़ाई में कमी नहीं होनी चाहिए। अनेक परेशानियों को झेलकर वे दोनों अपने बच्चों को शिक्षित किए। आज उनके परिवार के सभी बच्चे उच्च शिक्षा हासिल करके

उच्चे पदों पर कार्यरत हैं। लेखिका का परिवार दलितों की बस्ती में रहता था। आमतौर से दलितों की बस्ती में गाली-गलौच, शराब, झूठ, छोटी-मोटी चोरी आम बात हैं, क्योंकि ये लोग साफ-सफाई का काम करते हैं। थककर या फिर बदबू से छुटकार पाने के लिए शराब पीते हैं। नशे की हालत में गाली-गलौच, झूठ, चोरी गलत नहीं लगता। रत्नामा और बाबुराव दम्पति अपने बच्चों को इस वातावरण से दूर रखना चाहते थे, ताकि बच्चे गंदी आदतें न सीखें।

घर में आर्थिक परेशानियों के चलते घर के हर सदस्यों को काम करना अनिवार्य था। लेखिका भी अपनी बहनों के साथ मिलकर सज्जी बेचने का काम किया करती थी। खेतों में बुआई के समय मूँगफली तोड़ने के लिए गाँव में लड़कियों को बुलाया जाता था, वहाँ समता अपनी बहनों के साथ काम करने जाती थी। बस्ती के बूढ़े जो चल-फिर नहीं सकते, उन्हे शराब लाकर देने का काम करती थी। छुट्टियों में जो काम मिलता है, वह काम किया करती थी। जैसे नीम का फल इकट्ठा करके दवाई कारखानों को बेचना, ईधन के लिए आम की गुठलियों को बटोरकर रखना आदि काम किया करती थी। ऐसे कामों में कमीशन के रूप में चार आना, आठ आना मिल जाता था। इन पैसों से पढ़ाई की छोटी-मोटी जरूरतें पूरी हो जाती थीं।

इस आत्मकथा की सबसे बड़ी विशेषता विषय की व्यापकता है, आत्मकथा लेखिका की निजी जिंदगी का बयान न होकर पारिवारिक गाथा बन जाती है। लेखिका अपनी सभी बहनों का और भाई के संघर्ष को भी चित्रित किया है। बड़ी बहन विजयलक्ष्मी पढ़ने में बहुत तेज थी। स्कूल के शिक्षक, पिताजी के दोस्त, हितैषी सभी कह रहे थे कि विजया को मेडिकल पढ़ाया जाए। मगर कैसे? इतने पैसे कहाँ से आयेंगे? सरकारी सीट मिलने के बावजूद थोड़े पैसे भरने थे। माँ को मजबूरन अपना मंगलसूत्र बेचना पड़ा। एक आंख वाले पिता बाबुराव को बेटी की पढ़ाई के खर्च निभाने के लिए फिर से एक मिल में काम के लिए जाना पड़ा। समता की बड़ी बहन विजयलक्ष्मी ने माँ-बाप के सपनों को पूरा किया। कड़ी मेहनत करके कॉलेज में अव्वल आती रही बाद में सर्जन बनी। एशिया में ख्यात ‘किर्दर्वई केंसर हॉस्पिटल’ में आज निदेशिका है। माँ ने मंगलसूत्र बेचकर बेटी को पढ़ाया था। इसलिए बेटी ने आजीवन मंगलसूत्र न पहनने का और अविवाहिता रहने की कसम खाई।

इस आत्मकथा की एक उपलब्धियह है कि इसमें दलित समुदाय का जन-जीवन भी चित्रित हुआ है। किस प्रकार दलितों की बस्ती में भी अपनी जाति को दूसरी जाति से श्रेष्ठ समझने की मूर्खता होती है। ये भी आपस में छुआ-छूत करते हैं। इसमें खाने-पीने के तरीके भी अलग हैं। भंगी और मैतार जाति के लोग मैला उठाने का काम करते हैं, सुवरों को पालते हैं, हर पन्द्रह दिन में एक बार सुअर को भूनकर खाते हैं। इस कारण बाकी दलित उन लोगों को छूते नहीं हैं, क्योंकि भंगी और मैतार मैला खाने वाला सुअर खाते हैं, हाथ से मैला साफ करते हैं। एक बार बचपन में लेखिका ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर भुना हुआ सुअर खा लिया था। माँ नाराज हुई थी, चिल्लाई थी। बेटी को नहला-धुलाकर घर के अंदर किया था। जातिगत श्रेष्ठता ने दलितों को प्रभावित किया है। हर एक छोटी सी छोटी जाति अपने से निचले स्थर की जाति को ढूँढता है और उनके साथ भेदभाव रखता है। पितृसत्तात्मक मूल्यों का प्रभाव भी है। औरतें परिवार चलाने के बास्ते बाहर काम-धंधा करती हैं और उन्हें घर के काम भी करने पड़ते हैं। भंगी महिलायें मैला की ठोकरी अपनी सर पर ढोकर

लाती है, सुअरों को खिलाती हैं, फिर घर के सारे काम करती हैं। खाना पकाती हैं, घर के मर्द चारपाई पर बैठकर गप्पे हाँक रहे होते हैं। चिलम पीना, बीड़ी पीना, शराब की लत इन लोगों की आम आदतें हैं।

जिस प्रादेशिक परिवेश का चित्रण लेखिका करती है, यह इलाका आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ अवश्य है, मगर सांस्कृतिक दृष्टि से अमीर है। यह स्थान महात्मा बसवेश्वरजी की कर्मभूमि है। बसवेश्वरजी के तत्त्वों का असर यहाँ के लोगों के व्यवहार में दिखाई देता है। इसलिए कुछ मठों में, कुछ शरण तत्त्वों का पालन करने वाले लोग दलित और महिला के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करते। अनेक मठ शिक्षण संस्थाओं को खोलकर गरीब बच्चों को निशुल्क शिक्षण देने का काम करते हैं। ऐसे महान हस्तियों में पूज्य दोडप्पाजी हैं, जिन्होंने अपने मठ में सभी जाति के लोगों को मुक्त प्रवेश दिया था। जात्रा महोत्सव और त्योहार के समय में दासोह (अन्न सत्कार्य) रखते थे। हजारों की संख्या में भक्त आकर इस पुण्य काम में शामिल होते थे। देशमाने परिवार के सभी सदस्य इस तरह के सत्कार्य में अवश्य हिस्सा लेते थे।

पुरुष के हिसाब से महिलाओं को पारिवारिक जिम्मेदारी और झंझटों को अधिक झेलना पड़ता है। दलित महिलाओं के लिए ये परेशानियाँ थोड़ी अधिक हो जाती हैं। देशमाने घर की लड़कियों को मीलों दूर पैदल चलकर पानी भरना पड़ता था। कड़ी धूप में नंगे पाँव चला नहीं जाता था। इसलिए पैरों में प्लास्टिक थैली पहनकर पानी भरते थे। इन लोगों को मुंह अंधेरे शौच जाना पड़ता था। बीच में जाने की गुंजाइश ही नहीं होती। बीमारी की हालत में बहुत परेशानी होती, मगर वे लोग मजबूर थे। यह स्थिति उस इलाके की हर महिलाओं के साथ थी। देशमाने परिवार में दो मर्द और आठ महिलायें थीं। इस कारण घर के सभी छोटे-बड़े काम औरतों को ही देखना पड़ता था। एकबार अधिक बारिश के कारण घर का एक हिस्सेवाली शिथिल दीवार गिर गई। घर के लोगों को सोने के लिए जगह नहीं थी। मजदूरों को देने के लिए पैसे नहीं थे, उस समय हिम्मत करके घर की लड़कियों ने दीवार बांध लिया था। ये सभी बच्चियाँ स्कूल जाना नहीं छोड़ी।

लेखिका समता ने सरकार की वयस्क शिक्षण अभियान से जुड़कर बस्ती की औरतों को अक्षर अभ्यास करवाती थी, उन महिलाओं में आत्मविश्वास भरने का काम करती थी। इस पाठशाला में महिलाओं को विविध प्रकार के कौशल्य ज्ञान सिखाये जाते थे। खासकर देवदासी महिला और उनके बच्चों के लिए अलग-अलग प्रकार के कार्यक्रम करके उनमें जागृति पैदा करती थी। उन दिनों मातंग जाति के प्रत्येक घर से एक लड़की को देवदासी बनाया जाता था। इस प्रथा को हर कोई बहुत ही श्रद्धा के साथ निभाते थे। बाबुराव उस इलाके के पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने अपनी किसी भी बेटी को देवदासी न बनाकर उन सब को उन्नत शिक्षा दिलाया और समाज में इज्जत के साथ जीने लायक बनाया। लेखिका चिंता जताती है कि आखिर दलित लड़की ही देवदासी क्यों बने। देवी के परम भक्त सर्वर्ण जाति के लोग भी होते हैं, लेकिन उनकी बेटियाँ देवी के नाम पर छोड़ी नहीं जाती दलित लड़कियाँ गरीब होती हैं, सामाजिक स्तर से पिछड़ी होती है, इसलिए उनकी मर्जी के बिना भी उन्हें देवी के नाम पर देवदासी बनाया जाता है, और उन लोगों की जिंदगी नरक बन जाती है। कॉलेज के दिनों में लेखिका को राजीव गांधी युवा पुरस्कार मिला।

समता को घर में पढ़ने-लिखने का अच्छा वातावरण मिला मगर स्कूल में मनुवादी मनोवृत्ति के कुछ शिक्षकों के कारण अपमान झेलना पड़ा। मानवाचारी नामक शिक्षक चंडाल कहकर इनका अपमान किया करता था। इस तरह के अपमान कॉलेज के दिनों में भी हुए यहाँ तक विश्वविद्यालय स्तर में भी इस जातीय दंश का शिकार लेखिका को होना पड़ा। यहाँ तक कि दलितों में जारी उपजातियों के भेदभाव को भी झेलना पड़ा। अपने सहपाठियों का विरोध झेलना पड़ा। कॉलेज के दिनों से ही समता अपना विशिष्ट व्यक्तित्व बना चुकी थी। हर तरह की प्रतियोगिता में अब्बल आती थी। मगर गरीबी के कारण बहुत बार खाली पेट सोना पड़ता था। उस समय एक दिन के भोजन के लिए 15 रुपये देने होते थे। लेकिन इतने पैसे न होने कारण पानी पीकर खाली पेट सो जाती थी। सहेलियाँ बहुत अच्छी थीं। लेकिन संकोचवश उन लोगों के सामने अपनी मजबूरी छिपाती थीं।

समता का विवाह पंजाब के विज्ञानी चंद्राराम से हुआ। उनका विवाह एक अनोखा विवाह था। मान्यवर कांशिराम की सभा में समता की मुलाकात चंद्राराम से हुई। दोनों के परिवार वाले इस विवाह के लिए राजी हुए। अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने केवल हार बदलकर बहुत सरल ढंग से विवाह संपन्न हुआ। समता ने परंपरागत मंगलसूत्र के बदले में पीपल के पत्ते के आकार में बौद्ध चक्र खुदवाकर खुद अपने हाथों से मंगलसूत्र पहना था। यह विवाह अम्बेडकर के आदर्शों के अनुरूप था। समान विचारधाराओं के बीच राज्य की सीमा-रेखाएं बाधा नहीं बन पाई थीं।

बैंगलूरु विश्वविद्यालय में अपनी प्रतिभा के बलबूते लेखिका को उपन्यासकार वृत्ति मिली थी। उन दिनों वह पी.एच.डी. का भी काम कर रही थी। पी.एच.डी. के काम के लिए उन्हें 50 हजार रुपये लेना पड़ा था। उसका बाकी भी चुकाना था। इसलिए हमेशा पैसे बचाने के चक्कर में रहती थी। शोध कार्य के संदर्भ में क्षेत्रकार्य करना जरूरी था। अपने क्षेत्रकार्य के सिलसिले में बागलकोट आई, जहाँ कृष्णा नदी पर बाँध बाँधने का काम चल रहा था, आठ महीने के गर्भावस्था में कड़ी मेहनत कर रही थी। अनेक बार आधा पेट खाना खाती थी। लेखिका एक सामुदायिक भावना की स्त्री है। जहाँ भी दर्द है, पीड़ा है, वहाँ उसका दिल पसीजता है। क्षेत्रकार्य के संदर्भ में देखा था कि उस बागलकोट शहर के नजदीक बाँध बाँधने का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था, पूरा का पूरा शहर और आस-पास के बहुत से गाँव पानी में डूबने वाले थे। वहाँ रहनेवालों के लिए आवास योजना भी जोरों से चल रही थी। बहुत ईमानदार जिलाधिकारी श्री एस.एम. जमादार लोगों को हर संभव मदद कर रहे थे। मगर पुरुखों की संपत्ति खेत-खलिहान, घरबार छोड़कर एक अनजान जगह में नए सिरे से जीवन आरंभ करना था। वहाँ के लोग भावनात्मक रूप से इन जगहों से जुड़े थे। इस मोह के कारण घरों के नजदीक पानी के आने पर भी लोग घर खाली नहीं कर रहे थे। लेकिन जब पानी घर के अंदर घुसा तो मजबूरन भारी हृदय से जा रहे थे। समता केवल अपना शोध काम न करके वहाँ के जन-जीवन से जुड़ गयी थी। इस तरह घुल-मिल जाना लेखिका की खासियत है।

समता ने अपने जीवन में महात्मा बुध्द, महात्मा बसवेश्वर, मानवतावादी आंबेडकर, मान्यवर कांशिराम और मायावतीजी के व्यक्तित्व से प्रभावित है। परिवार में माँ और बड़ी बहन विजयलक्ष्मी के

व्यक्तित्व का भी लेखिका पर असर है। आज लेखिका के पास ओहदा है, पैसा है, अनेक पुरस्कार है। भिन्न-भिन्न काम के लिए आठ राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त है। इंलैंड में आयोजित गोलमेज परिषद् (Round Table Conference) में भारत की प्रतिनिधि बनकर भाग लेने वाली भारत की प्रथम महिला है। अध्ययन-अध्यापन के चलते इंग्लैंड, अमेरिका और श्रीलंका की यात्रा कर चुकी है। जिंदगी के अनेक सवालों को सीढ़ियाँ बनाकर आगे बढ़ रही है।

पचास की उम्र में आत्मकथा लिखने वाली लेखिका शायद यह बताना चाहती है कि उसके जीवन में संघर्ष का एक अध्याय पूरा हुआ। गरीबी, भूख, सामाजिक, वर्ण व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था का प्रतिरोध, अपमान, इन सबसे ऊपर उठकर समाज में जगह बना चुकी है। प्राध्यापिका बनकर निरंतर शोध से जुड़कर, सक्रीय कन्ड लेखिका के रूप में कार्यरत है। समाज सेविका के रूप में काम कर रही है, देवदासियों के उद्धार के लिए काम किया है। अपने पास आने वाले जरूरतमंद छात्रों को आर्थिक और अन्य हर प्रकार की सहायत करते हुए प्यारी बेटी समता देशमाने समझदार पति चंद्राराम के साथ सुखी जीवन बिता रही है। इस मंजिल तक पहुँचने के लिए लेखिका को अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़े। जी-तोड़ मेहनत करके अपना जीवन सुंदर और सुखमय बना चुकी है।

इस आत्मकथा की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं :

यह वैयक्तिक आत्मकथा न बनकर पारिवारिक गाथा बन गयी है। अपने समुदाय के जन-जीवन का समग्र चित्रण इसमें है। हैदराबाद कर्नाटक के प्रादेशिक त्योहार, रीति-रिवाजों का ब्योरा भी इसमें है। दलितों में प्रचलित जातिवाद की झलक और विरोध भी इस आत्मकथा में है। लेखिका के अपने कामों में ईमानदारी दिखाई देती है। इस आत्मकथा में आंचलिकता अपने पूरे वैभव के साथ प्रस्तुत है। केवल दलित बस्ती ही नहीं पूरा गुलबर्गा, रायचूर के त्योहार, नाटक, सिनेमा, मेला सब कुछ चित्रित है।

इस आत्मकथा की एक खासियत यह भी है कि यह आत्मकथा उपन्यास की तरह लगती है। समाजशास्त्र की प्राध्यापिका होने के कारण इस आत्मकथा में समाजशास्त्रीय विचार भी प्रस्तुत है। शीर्षक और आवरण चित्र की चर्चा किए बिना इस आत्मकथा की समीक्षा अधूरी है। क्योंकि इसका शीर्षक विशिष्ट अर्थ देता है। ‘मातंगी का मशाल’ मशाल मार्गदर्शक होता है। दीप अपने आपको जलाकर रोशनी देती है। मगर मशाल जगमगाती रोशनी में अँधेरे में रास्ता ढूँढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। आवरण चित्र में पीपल का पट्टा जिस पर पट्टा साड़ी का अंचल मातंगी का टोकरी (देवी के नाम से रखी गयी बांस की टोकरी जिसमें देवी माँ को बिठाया जाता है) ये सभी विशिष्ट अर्थ देते हैं, पट्टा साड़ी का अंचल माँ के लिए समर्पित है। पीपल का पट्टा बौद्ध धर्म का संकेत है, मातंगी की टोकरी संप्रदाय का प्रतीक है। लेखिका इन सभी चीजों को एक साथ रखकर साबित करना चाहती है कि दलित अब भी असमंजस में है। पुराना संप्रदाय छोड़ नहीं पाते, नई वैचारिकता का प्रभाव भी इन लोगों पर है।

संदर्भ - देशमाने, समता बी. (2021). मातंगी का मशाल. दिल्ली : प्रिया साहित्य सदन.

Manuscript Timeline

Submitted : February 11, 2024 Accepted : February 25, 2024 Published : March 31, 2024

भारतीय ज्ञान परंपरा : निर्वचन और अनुवादअंजू¹**शोध सार**

भारतीय ज्ञान परंपरा विश्व की सबसे प्राचीन और समृद्ध परंपराओं में से एक है, जिसमें वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण, दर्शन, योग, आयुर्वेद, खगोलशास्त्र, गणित, साहित्य और कला जैसी अनेक विधाओं का समावेश है। इस परंपरा का मुख्य उद्देश्य जीवन, ब्रह्माण्ड, आत्मा, और मोक्ष जैसे गहन दार्शनिक और व्यावहारिक प्रश्नों पर विचार करना रहा है। भारतीय समाज में शैक्षिक चिन्तन को सदैव ही अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। भारतीय परंपरा में इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सहस्राब्दियों पूर्व भी हमारे यहाँ उत्कृष्टतम् चिन्तन, विद्या-साधना और श्रेष्ठतम् शिक्षा व्यवस्था थी। निर्विवाद रूप से मानव के पुस्तकालय की सर्वप्रथम पुस्तक के रूप में विश्व में सम्मानित ऋग्वेद के समय से ही ऋषियों, ऋषिकाओं, ऋषि-पुत्रों आदि की विद्या आराधना चलती थी। यह तो स्पष्ट ही है अन्यथा शिक्षा व्यवस्था के बिना चिन्तन की इतनी उत्कृष्ट सामग्री के साधारण पठन-पाठन आदि का सातत्य (निरंतरता) संभव ही नहीं था। अनुवाद का उद्देश्य इस ज्ञान को भारतीय भाषाओं के अलावा विश्व की अन्य भाषाओं में पहुँचाना रहा है। बौद्ध धर्म के प्रसार के साथ संस्कृत और पाली ग्रंथों का अनुवाद चीन, तिब्बत, जापान, और अन्य देशों में हुआ। 19 वीं शताब्दी में यूरोपीय विद्वानों ने भी वेदों और अन्य भारतीय ग्रंथों का अनुवाद किया। निर्वचन भारतीय ज्ञान परंपरा की गहन व्याख्या की प्रक्रिया है, जो शास्त्रिक और दार्शनिक दोनों स्तरों पर होती है। शास्त्रार्थ और विचार-विमर्श की परंपरा ने विभिन्न दार्शनिक मतों के संवाद और समन्वय को प्रोत्साहित किया। योग, वेदांत, और अन्य दर्शनों का निर्वचन उनकी मूल अवधारणाओं और सिद्धांतों की गहन व्याख्या पर आधारित है। आधुनिक समय में, भारतीय ज्ञान परंपरा का महत्व वैश्विक स्तर पर बढ़ रहा है। योग, आयुर्वेद और ध्यान जैसी विधाओं ने स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अनुवाद और निर्वचन के माध्यम से इस परंपरा को समझना और वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

मुख्य शब्द : भारतीय, परंपरा, अनुवाद, निर्वचन, आयुर्वेद, दर्शन, लौकिक शब्द, प्राचीन शब्द, स्वास्थ्य, वैश्विक, साहित्य, भारतीय वाङ्मय, भाषा, ज्ञान-विज्ञान, विद्या, शास्त्र आदि।

¹ शोधार्थी, अनुवाद अध्ययन विभाग, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, महाराष्ट्र।

ईमेल: anju28494@gmail.com

प्रस्तावना :

भारतीय ज्ञान परंपरा अपने हजारों वर्षों के इतिहास में, मानवता के बौद्धिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती रही है। यह अत्यधिक समृद्ध और विविधतापूर्ण है, जिसमें दर्शन, धर्म, वेद, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य, दर्शनशास्त्र, योग, साहित्य, कला, और विज्ञान जैसे विभिन्न विषय शामिल हैं। इस विशाल ज्ञान को समझने और विश्व के अन्य हिस्सों तक पहुँचाने के लिए अनुवाद और निर्वचन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

अनुवाद : अनुवाद का अर्थ होता है किसी भाषा में लिखे या बोले गए शब्दों को दूसरी भाषा में परिवर्तित करना, ताकि उसका वही अर्थ दूसरी भाषा में भी समझा जा सके। अनुवाद किसी एक भाषा में प्रस्तुत की गई जानकारी या विचार को दूसरी भाषा में समझने योग्य है। अनुवाद के माध्यम से विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के बीच संवाद स्थापित किया जाता है।

उदाहरण के लिए, यदि हिंदी में लिखा गया कोई वाक्य अंग्रेजी में अनुवाद किया जाए, तो उसका अर्थ वही रहता है, पर उसे अंग्रेजी भाषा के शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है। अनुवाद के दो प्रकार होते हैं:

- शब्दिक अनुवाद:** इसमें शब्दों का सीधा अर्थ दूसरी भाषा में दिया जाता है।
- भावानुवाद:** इसमें वाक्य के भाव या अर्थ को दूसरी भाषा में व्यक्त किया जाता है, भले ही शब्दों का चयन भिन्न हो।

अतः अच्छे अनुवादक को दोनों भाषाओं की गहरी समझ होनी चाहिए, ताकि वह मूल संदेश को सही तरीके से व्यक्त कर सके।

निर्वचन : निर्वचन का अर्थ होता है किसी विषय, पाठ या विचार की गहन व्याख्या या विश्लेषण करना। इसे विस्तार से समझाना, उसकी छिपी हुई बातों को उजागर करना या उसका अर्थ स्पष्ट करना भी कहा जा सकता है।

यह शब्द विशेष रूप से शास्त्रों, साहित्यिक ग्रंथों, या किसी जटिल विचारधारा की व्याख्या करते समय प्रयोग किया जाता है। निर्वचन के माध्यम से व्यक्ति किसी कठिन या गूढ़ विषय को सरल और स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करता है।

उदाहरण: वेदों, उपनिषदों, महाकाव्यों, या अन्य धार्मिक ग्रंथों का निर्वचन करते समय विद्वान उनकी गहन व्याख्या करते हैं ताकि सामान्य जन भी उनके अर्थ को समझ सकें।

अनुवाद एवं निर्वचन के बीच अंतर-

निर्वचन का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, कोशगत अर्थों को देखते ही इसका पता चलता है अर्थ निर्णय से लेकर टीका लेखन भाष्य लेखन तक के कार्य इसके अंतर्गत समा जाते हैं।

अनुवाद में एक भाषा में कही हुई बात को समतुल्य सहज अभिव्यक्ति की सहायता से दूसरी भाषा में व्यक्त करना अपेक्षित है, लेकिन निर्वचन में एक भाषा के पाठ का उसी भाषा में या अन्य किसी भाषा में मात्र अर्थ समझाना है या उसकी व्याख्या प्रस्तुत करनी है, निर्वचन कार्य में निर्वक्ता को जितनी छूट व स्वतंत्रता हैं उतनी छूट तथा स्वतंत्रता अनुवाद कार्य में अनुवादक को प्राप्त नहीं होती।

निर्वचन और अनुवाद के लिए प्राप्त होनेवाली समाग्री या तो शैली प्रधान होती है या तथ्य प्रधान। शैली प्रधान समग्रियों के अंतर्गत कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, रिपोर्टज आदि रचनायें आती हैं, दूसरे शब्दों में हम यह मान सकते हैं कि साहित्य की सभी विधायें शैली प्रधान समाग्री के अंतर्गत आती हैं, तथ्य प्रधान समग्रियों के अंतर्गत इतिहास, राजनीति, अर्थ शास्त्र, गणित, विज्ञान, विधि, दर्शन, वाणिज्य मानविकी, समाज शास्त्र आदि जैसे विषय आते हैं इन को हम साहित्येतर सामग्री मान सकते हैं। जब शैली प्रधान समग्रियों का अनुवाद करना होता है तब अनुवादक को बड़ी कठिनाई का सामना करना होता है क्योंकि उसे अनुभूति (भाव) पक्ष एवं अभिव्यक्ति (कला) पक्ष दोनों पर पूरा पूरा ध्यान देना पड़ता है, लेकिन निर्वक्ता को वहां इतनी छूट उपलब्ध है कि वह मात्र भाव पक्ष पर ध्यान दे सकता है और कला पक्ष की ओर चाहे तो इशारा कर सकता है। निर्वक्ता/दुभाषिया का दायित्व कथ्य का विश्लेषण कर मात्र भाव समझाना है।

निर्वक्ता की शैली-प्रधान सामग्री के निर्वचन में जितनी छूट तथा स्वतंत्रता उपलब्ध है, उतनी छूट तथा स्वतंत्रता तथ्य प्रधान सामग्री के निर्वचन में विशेषकर विधिपरक साहित्य एवं कार्यालयीन साहित्य आदि के निर्वचन में नहीं मिलती।

निर्वचन और अनुवाद के बीच के अंतर को रेखांकित करते हुए सेलेस्कोविच कहते हैं "निर्वचन (आशु-अनुवाद) चित्रकारी (Painting) की तरह है जबकि अनुवाद फोटोग्राफी की तरह है। फोटोग्राफी शब्दों को एक भाषा से दूसरी भाषा में हूबहू वैसे ही रखती है। वह उनके अर्थ को समझाने का प्रयास नहीं करती। दूसरी और पेंटिंग (चित्रकारी) शब्दों के अर्थ ढूँढ़ती है। वह किसी भी चीज को चित्रकार की निगाह से देखते हुए संदेशों को संप्रेषित करती है। इस तरह से निर्वचन दो भाषाओं के बीच शाब्दिक संदेशों का आदान-प्रदान है। वह शब्द-के-लिए-शब्द जैसे अनुवाद से कहीं बढ़कर है"।

अनुवाद की प्रक्रिया लिखित और धीमी होती है। अनुवादक के पास भूल-सुधार के लिए पर्याप्त समय होता है किंतु निर्वचन की प्रक्रिया मौखिक एवं त्वरित है। उसे संदेश को यथाशीघ्र संप्रेषित करना होता है। इसमें भूल-सुधार के लिए समय न के बराबर होता है क्योंकि संदेश संप्रेषण का कार्य लगभग 'उसी समय' से हो रहा होता है। निर्वचक को उपयुक्त शब्दों, वाक्य-विन्यास और शैली का चयन 'फटाफट' करना होता है क्योंकि वह वक्ता के लगभग साथ-साथ ही बोलने का कार्य कर रहा होता है। इसलिए एक निर्वचक को विवेकशील भी होना चाहिए ताकि यह वक्ता के हाव-भाव और भंगिमाओं या तेवर आदि को समझकर तथा समझकर उनका सही अंदाजा लगाकर अपने निर्वाचन को और अधिक सशक्त और सटीक बना सके।

सामान्य अनुवाद की अपेक्षा निर्वचन सामाजिक एवं सांस्कृतिक सेतु निर्माण के साथ-साथ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विश्वग्राम की अवधारणा को मूर्त करता है। यही नहीं यह अनेक संवेदी मुद्दों को भी सहज एवं आपसी समझबूझ से निष्पादित करने में सहायक होता है। वार्तालाप एवं मध्यस्थता हेतु जब वो विभिन्न गुटों के मध्य तालमेत हो तो निर्वचन एवं निर्वचक की भूमिका केंद्रीय हो जाती है। ऋग्वेद भारतीय संस्कृति और साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें वेदों की ऋचाओं के रूप में देवताओं की स्तुतियाँ और विश्व की उत्पत्ति, प्रकृति की शक्तियों तथा मनुष्य जीवन से जुड़ी कथाएँ वर्णित हैं। हालाँकि ऋग्वेद मुख्य रूप से भजन, स्तुति और प्रार्थनाओं का संग्रह है, लेकिन इनमें अनेक मिथक और कहानियाँ भी मिलती हैं, जिनका अनुवाद और निर्वचन विभिन्न विद्वानों ने किया है। आइए कुछ प्रमुख कहानियों और उनके अर्थों को समझते हैं:

इसी प्रकार ऋग्वेद में आई कुछ कहानी कथाओं का हम विवरण देखते हैं। जैसे :-

इंद्र और वृत्रासुर की कथा-

यह ऋग्वेद की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। वृत्रासुर एक विशाल असुर था जिसने नदियों के जल को रोक रखा था, जिससे पृथ्वी पर सूखा पड़ गया था। इंद्र, जो देवताओं के राजा और युद्ध के देवता हैं, ने वृत्रासुर से युद्ध किया और उसे मारकर नदियों को मुक्त किया। इस कथा का प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि इंद्र वर्षा और जल के देवता हैं, और वे प्रकृति की शक्तियों को नियंत्रित करते हैं। वृत्रासुर का वध जीवन के लिए आवश्यक जल के प्रवाह को पुनःस्थापित करने का प्रतीक है।

निर्वचन : यह कथा अच्छाई और बुराई, प्रकाश और अंधकार, जीवन और मृत्यु के संघर्ष को दर्शाती है। यह भी प्राकृतिक संतुलन और जीवनदायिनी जल की महत्ता को उजागर करती है।

पुरुष सूक्त की कथा-

पुरुष सूक्त में एक आदिपुरुष का वर्णन किया गया है, जो पूरे ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। देवताओं ने इस आदिपुरुष का यज्ञ किया और उसके शरीर के विभिन्न अंगों से चार वर्ण, ब्रह्मांड की विभिन्न शक्तियाँ और सृष्टि की विभिन्न वस्तुएँ उत्पन्न हुईं। इससे यह स्पष्ट होता है कि ऋग्वेद का विश्वदृष्टिकोण समग्रता में है, जहाँ एक दिव्य इकाई से सब कुछ उत्पन्न होता है।

निर्वचन : यह सूक्त ब्रह्मांड की एकता और विविधता का प्रतीक है। पुरुष को संपूर्ण सृष्टि का आद्य स्रोत मानते हुए यह कथा मानव जीवन और सृष्टि के बीच संबंध को भी स्पष्ट करती है।

सरस्वती नदी की कथा-

ऋग्वेद में सरस्वती को एक पवित्र नदी के रूप में वर्णित किया गया है, जिसे ज्ञान, कला और संगीत की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे शक्तिशाली और जीवनदायिनी नदी माना गया है। इसके तट पर सभ्यताएँ विकसित हुईं, और यह जीवन के हर पहलू का पोषण करती थी।

निर्वचन : सरस्वती नदी की यह कथा ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक है। यह मानव जीवन में प्राकृतिक स्रोतों के महत्व और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रतीक के रूप में प्रकट होती है।

सृष्टि की उत्पत्ति की कथा (नासदीय सूक्त)-

नासदीय सूक्त सृष्टि की उत्पत्ति को लेकर कई प्रश्न उठाता है। इसमें कहा गया है कि सृष्टि की शुरुआत में कुछ भी नहीं था, न अस्तित्व था और न ही अनास्तित्व। यह विचार करता है कि सृष्टि कैसे और क्यों उत्पन्न हुई, और इसे किसने बनाया। यह सूक्त एक दार्शनिक चिंतन प्रस्तुत करता है, जो यह भी मानता है कि सृष्टि के रहस्य को पूरी तरह से जानना संभव नहीं है।

निर्वचन : यह सूक्त दार्शनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जो सृष्टि की उत्पत्ति को लेकर जिज्ञासा और अनिश्चितता का भाव व्यक्त करता है। यह दर्शाता है कि मनुष्य की सीमित चेतना इस महान रहस्य को पूरी तरह समझने में सक्षम नहीं है।

अश्विनीकुमारों की कथा-

अश्विनीकुमारों को देवताओं के चिकित्सक माना जाता है। वे दो जुड़वाँ भाई हैं जो अपनी दिव्य चिकित्सा शक्तियों से रोगों को ठीक करते हैं और लोगों को जीवनदान देते हैं। ऋग्वेद में उनके अनेक चमत्कारी कार्यों का वर्णन मिलता है, जैसे कि वृद्ध च्यवन ऋषि को फिर से युवा बनाना।

निर्वचन : अश्विनीकुमारों की कथा मानवता के प्रति दिव्य सहायता और करुणा का प्रतीक है। ये चिकित्सा और पुर्णजीवन के देवता हैं, जो यह दर्शाते हैं कि ईश्वर का हस्तक्षेप जीवन को पुनः स्थापित कर सकता है।

निष्कर्ष :

इस भारतीय परंपरा में शोध जिस प्रकार उस समय अपने सत्ता को कायम किया हुआ था आज भी भारतीय शिक्षण संस्थाओं में शोध उसी रूप में है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी भारतीय ऋषियों ने अनेक शोध के पश्चात बहुत उत्तम चिकित्सा की खोज कर पाये जिससे सम्पूर्ण विश्व शिक्षा ली। शिक्षा (ज्ञान) में शोध महत्वपूर्ण घटक है, बिना शोध के कोई भी ज्ञान फलप्रद नहीं होगा क्योंकि किसी विषय को परखने के बाद और उससे पहले की स्थिति में बहुत अन्तर होता है। सभी क्षेत्र में शोध अनिवार्य रूप से लागू होना चाहिये ताकि अभी के जो मानव समाज हैं उनके लिए यह सभी ज्ञान परिमार्जित रूप में प्राप्त हो सके। उत्तम ज्ञान ही एक स्वस्थ समाज को उसके शीर्ष तक पहुंचाने में योगदान देती है। सभी योनि में मनुष्य को श्रेष्ठ कहा गया है अतः श्रेष्ठों का कार्य भी उत्तम और कल्याणप्रद होना आवश्यक है। ऋग्वेद की कहानियाँ प्रतीकात्मक और दार्शनिक दृष्टिकोण से बहुत समृद्ध हैं। वे प्रकृति, देवताओं और मानव जीवन के बीच के संबंधों को उजागर करती हैं। इन कहानियों के माध्यम से वेद मानव जीवन, नैतिकता, प्रकृति के नियमों और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का प्रयास करते हैं।

संदर्भ ग्रंथ-

- धवन, डॉ. मधु. (2005). भाषांतरण कला एक परिचय. नई दिल्ली : वाणी प्रकाशन.
- शुक्ला, प्रो. रजनीश. (2021). भारतीय ज्ञान परंपरा और विचारक. नई दिल्ली : प्रभात प्रकाशन.
- शुक्ला, प्रो. रजनीश. (2023). भारतबोध सनातन और सामयिक. नई दिल्ली : प्रभात प्रकाशन.
- जादौन, सिंह. राम गोपल. (2012). अनुवाद के विविध आयाम. गाजियाबाद : लता साहित्य सदन.
- सिंघल, डॉ. सुरेश. (2006). अनुवाद संवेदना और सरोकार. नई दिल्ली : संजय प्रकाशन.
- <https://www.alliance.edu.in>
- <https://www.researchgate.net>
- <https://www.researchgate.net>

Manuscript Timeline**Submitted : February 11, 2024 Accepted : February 25, 2024 Published : March 31, 2024****भारत की सांस्कृतिक एवं भाषिक एकता में हिंदी का योगदान****डॉ. ओमप्रकाश प्रजापति¹**

भारत एक प्राचीन देश है यहाँ के लोग भिन्न-भिन्न कालों में भिन्न-भिन्न भाषाएँ बोलते और लिखते आए हैं। इसलिए भारत एक बहुभाषी देश है, जिसमें अनेक भाषाएँ आज भी बोली जाती है। इन भाषाओं में से एक ऐसी भाषा का चयन किया जाता है जो लोकतांत्रिक देश में जनता और सरकार के बीच जनभाषा ही संपर्क भाषा के रूप में सार्थक कार्य कर सके। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है।

'हिंदी' शब्द का प्रयोग फारस और अरब से प्रारंभ होता है। वास्तव में हिंदी शब्द का उद्भव संस्कृत शब्द 'सिंधु' से हुआ है। यह सिंधु नदी के आस-पास की भूमि का नाम है। विद्वानों का कथन है कि भारत में हिंदीशब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने किया था। 'जुब्बेचंद नज्में हिंदी नीज़ नाजेदोस्ता करदा शुद अस्त'। बाद में 'खालिनकबारी' कोश में इसका प्रयोग कई बार हुआ है। यह भी उल्लेखनीय है कि 'हिंदी' की अपेक्षा 'हिंदवी' शब्द अधिक प्राचीन है। हिंदी, हिंदवी या हिंदुई शब्द ही इस अर्थ का संकेत करते हैं।

'हिंदी' का तात्पर्यखड़ी बोली के मानक रूप से है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अपने बृहत शब्दभंडार का निर्माण प्रमुख रूप से संस्कृत के तत्सम, अद्वृत्तसम और तद्वव शब्दों से करती है लेकिन अपनी बोलियों, अन्य भारतीय भाषाओं तथा विदेशी भाषाओं के शब्दों को भी अपने भीतर समेट लेती है। इस तरह खड़ी बोली का मानक रूप ही हिंदी कहलाता है। सामान्य अर्थ में हिंदी का तात्पर्य उस भाषा से है जो संपूर्ण हिंदी भाषी क्षेत्र की परिनिष्ठित भाषा है। यह हिंदी भाषी क्षेत्र बिहार, झारखण्ड, हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है। इस विशाल क्षेत्र में बसे हुए लोगों की सामान्य भाषा हिंदी है, हालाँकि हर प्रदेश की अपनी-अपनी बोलियाँ भी हैं।

हिंदी का स्वरूप और क्षेत्र-

हिंदी व्यापक अर्थ में अपनी सीमा को पार कर अक्षेत्रीय भाषा बन गई है। यह केवल हिंदी भाषी क्षेत्र तक सीमित न रहकर समूचे भारत की सार्वदेशिक भाषा बन गई है। शिक्षा, जनसंचार, प्रशासन आदि से इसका रूप काफी स्थिर हो गया है। इसका प्रयोग विभिन्न कार्य क्षेत्रों में होने लगा है और इसकी पारिभाषिक शब्दावली का भी विकास हो रहा है। इस प्रकार हिंदी का शब्दभंडार विभिन्न भाषाओं के प्रभाव को ग्रहण करते हुए और नए शब्दों को अपनाते हुए समृद्ध होता जा रहा है।

¹ सहायक प्रोफेसर, हिंदी विभाग, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला, (हिमाचल प्रदेश)।

ई-मेल : opmgahv@gmail.com , मोबाइल : 8962115238

"आधुनिक संदर्भ में प्रो. गोस्वामी ने हिंदी का प्रयोग तीन अर्थों में माना है-1. भौगोलिक अर्थ में 2. साहित्यिक अर्थ में 3. प्रयोग-विस्तार के अर्थ में"¹ भौगोलिक अर्थ में हिंदी का प्रयोग हिंदी भाषी प्रदेशों में बोली जाने वाली मुख्य अट्टाह बोलियों के रूप में हो रहा है। ये बोलियाँ हैं-खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, हरियाणवी या बांगरू, कन्नौजी, मैथिली, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मगही, बुंदेली, ढूंढारी या जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, गढ़वाली, कुमाऊँनी और हिमाचली। ग्रियर्सन जैसे कुछ विद्वानों ने इन बोलियों को पाँच उपभाषाओं के अंतर्गत रखा है-पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। लेकिन इस वर्गीकरण को कुछ विद्वानों ने भ्रामक और कात्पनिक माना है। अतः स्वीकार्य नहीं हुआ, क्योंकि "ग्रियर्सन ने ऐतिहासिक दृष्टि से इनमें व्याकरणिक समानता को तो देखा लेकिन इनकी जातीय अस्मिता तथा जातीय बोध की ओर ध्यान नहीं दिया।"² साहित्यिक अर्थ में इसका प्रयोग साहित्य में खड़ी-बोली, ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली तथा राजस्थानी के रूप में माना गया है। इन बोलियों में हिंदी के पद्य और गद्य काव्य की रचना हुई है।

प्रयोग विस्तार के अर्थ में हिंदी का मानक रूप है जिसका प्रयोग भारत में संपर्क भाषा और संघ की राजभाषा के रूप में हो रहा है एवं अन्य कार्य क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग हो रहा है। इस प्रकार हिंदी व्यापक अर्थ में अक्षेत्रीय और सार्वदेशिक भाषा है जो समूचे भारत में बोली और समझी जाती है। हिंदी का व्यवहार क्षेत्र इतना व्यापक हो गया है कि भारत के अधिकांश क्षेत्रों में इसका प्रयोग संपर्क भाषा के रूप में होता है। अलग-अलग बोलियों और भाषाओं के व्यक्ति इसी भाषा में बातचीत करते हैं। हिंदी भाषी राज्यों में बोली बोलने वाले लोग अपने-अपने क्षेत्रों में अपनी बोली का प्रयोग मातृभाषा के रूप में करते हैं तथा अन्य बोली बोलने वालों के साथ इसका प्रयोग प्रथम भाषा के रूप में करते हैं। प्रथम भाषा वह भाषा होती है जिसका व्यवहार प्रयोजनपरक संदर्भों में होता है। इस प्रकार हिंदी भाषी राज्यों में ब्रज, अवधी, भोजपुरी आदि बोलियों के बीच हिंदी संपर्क भाषा के रूप में काम करती है। हिंदी भाषा का प्रयोग हिंदी भाषी क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, वरन् पूरे भारत में यह भाषा प्रयुक्त होती है। हिंदीतर भाषियों द्वारा प्रमुखतः औद्योगिक केंद्रों, रेलवे प्लेटफार्मों, तीर्थस्थलों, ऐतिहासिक स्थानों, पर्यटन केंद्रों आदि में हिंदी का प्रयोग होता है। राजभाषा के रूप में हिंदी राजनैतिक और आर्थिक दृष्टि से एकता के सूत्र में बांधने की भाषा है। यह सरकार और जनता को मिलाती है। यह समूचे भारत की सामाजिक अस्मिता का आधार है। यह भारत के अन्य भाषा-भाषी वर्गों के परस्पर बढ़ रहे निरंतर संपर्क से 'आंतर भारती स्वरूप' धारण करती जा रही है। हिंदी का प्रयोग भारत से बाहर भी हो रहा है। नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सिंगापुर, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन आदि देशों के बड़े-बड़े नगरों में हिंदी समझने वाले लोग काफी संख्या में मिल जाते हैं। मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद, गुयाना आदि दूरस्थ देशों में हिंदी का काफी प्रयोग होता है। इन देशों में भारतीय मूल के लोग रहते हैं। ये लोग हिंदी का प्रयोग न केवल भाषा व्यवहार में लाते हैं बल्कि उसे अपनी संस्कृति और परंपरा का एक अंग भी मानते हैं।

हिंदी का जनपदीय रूप, राष्ट्रीय रूप और अंतरराष्ट्रीय रूप-

भाषा अध्ययन की आधुनिक दृष्टि हमें इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाती है कि भाषा की पहचान का आधार उसके प्रयोग एवं व्यवहार होता है। उसके विविध संदर्भ होते हैं जिनकि उसकी संरचना अथवा व्याकरण।

इसलिए अब ‘भाषा’ की बात ‘भाषायी समुदाय’ के संदर्भ में उठाई जाती है। भाषायी समुदाय के रूप में हिंदी उन व्यक्तियों का समूह है जो संप्रेषण व्यापार के रूप में उसके ‘लिंगुआ फ्रेंका’ संपर्क भाषा रूप को स्वीकार करते हैं और जिनके लिए हिंदी सामाजिक अस्मिता का साधन बनती है। विभिन्न बोलियों और सामाजिक शैलियों के होते हुए भी इस समुदाय के व्यक्ति, हिंदी के माध्यम से एकदूसरे से अपनी बात संप्रेषित करते हैं। साथ में बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलुगु आदि अन्य भाषायी समुदायों के साथ भी व्यवहार करते हैं। विदेशों में भी हिंदी का प्रयोग होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में रवींद्र नाथ श्रीवास्तव ने हिंदी के तीन संदर्भ बताए हैं-

1. हिंदी का जनपदीय रूप- अपने जनपदीय संदर्भ में हिंदी भाषा के नौ राज्यों- उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा तथा दो संघ राज्य क्षेत्रों दिल्ली के साथ-साथ चंडीगढ़ संघ राज्य की राजभाषा के रूप में स्वीकृत है। “अपने जनपदीय संदर्भ में ही हिंदी अपनी बोलियोंथा- ब्रज, बुंदेली, अवधी, भोजपुरी, मैथिली आदि के बीच संपर्क भाषा के रूप में काम करती है। हिंदी जनपद में रहने वालों के लिए अगर उनकी क्षेत्रीय बोलियाँ उनकी मातृभाषा हैं, तब हिंदी उनके लिए प्रथम भाषा अथवा सह मातृभाषा है॥”³

प्रयोजन की दृष्टि से मातृभाषा के दो पक्ष माने जा सकते हैं। पहला, मातृभाषा जो व्यक्ति के ‘पालने’ की भाषा’ होती है। अपने भीतर के भाव जगत और अपने से बाहर के संसार के बीच जिस पहली भाषा को व्यक्ति मध्यस्थ बनाता है उसे ‘मातृभाषा’ का दर्जा दिया जाता है। हिंदी जनपद में रहने वालों के लिए ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मैथिली आदि क्षेत्रीय बोलियों ही इस दृष्टि से उनकी प्रथम मातृभाषा ठहरती है। उन्हीं बोलियों के माध्यम से व्यक्ति सबसे पहले अपने अनुभवसंसार का निर्माण करता है, अपने से बाहर के संसार को पहचानता है। दूसरा, इसका संबंध व्यक्ति के सामाजिक संस्कार और सांस्कृतिक चेतना से जुड़ा होता है। व्यक्ति अपने निजी राग-द्वेष और वैयक्तिक आवश्यकताओं से ऊपर उठकर जब अपने समुदाय से जुड़ता है तब जीवन और जगत को देखने का उसे एक दूसरा आयाम मिलता है। इस आयाम का निर्माण उस समुदाय का जातीय इतिहास, उसकी सांस्कृतिक चेतना और उसका साहित्यिक संस्कार करते हैं। इस दृष्टि से हिंदी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति अपने क्षेत्रीय कठघरे से ऊपर उठकर हिंदी को एक जातीय संपदा के रूप में देखते हैं क्योंकि हिंदी का अपना एक जनपदीय इतिहास और सांस्कृतिक चेतना है, उसकी अपनी एक साहित्यिक धारा है जो ब्रज, अवधी, मैथिली आदि बोलियों के भीतर एक अंतः सलिला की भाँति प्रवाहित है और जो हिंदी जनपद को एक निश्चित इकाई के रूप में बाँधती है।⁴

भाषा की यह चेतना समस्त हिंदी जनपद के इतिहास, संस्कृति और साहित्य को एक समान भावभूमि देती है। इसी भावभूमि पर खड़े होकर हिंदी जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न क्षेत्रीय बोलियों को अपनी मातृभाषा के रूप में स्वीकार करने वाले हिंदी को एक सामाजिक संस्था और एक जातीय संपदा के रूप में स्वीकार करते हैं। सामाजिक अस्मिता के इस संदर्भ में ‘हिंदी’ इस जनपदों में रहने वालों के लिए ‘सह मातृभाषा’ के रूप में कार्य करती है। यह बात कम महत्वपूर्ण नहीं कि इस जनपद में रहने वाले साक्षरता के लिए इसी भाषा-पक्ष को स्वीकार करते हैं। ‘मातृभाषा’ का यह पक्ष विभिन्न बोली क्षेत्रों में

रहने वालों को उनके 'मैं' से उठाकर 'हम' की भूमि पर ले आता है। इसी आधार पर वे जनगणना के अवसर पर 'हिंदी' को मातृभाषा के रूप में बताते हैं।

2. हिंदी का राष्ट्रीय रूप- अपने व्यापक अर्थ में हिंदी एक अक्षेत्रीय भाषा है। अक्षेत्रीय भाषा के रूप में ही उसका राष्ट्रीय रूप सामने उभरता है। आजादी की लड़ाई में राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने जन-संपर्क की इस भाषा को नया अर्थ और नया संस्कार प्रदान किया था। गुजरात शिक्षा सम्मेलन के सभापति पद से बोलते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सन् 1917 में यह कहा था कि हिंदी ही वह भाषा है जो राष्ट्रभाषा के लिए निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करती है। मातृभाषा के रूप में इसके बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है बल्कि अन्य भाषा के रूप में इसे व्यवहार में लाने वालों का अनुपात भी सर्वाधिक है। "2001 की जनगणना के अनुसार भारत की पूरी आबादी 1,028,610,328 है और मातृभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार करने वालों की संख्या 4,22,048,642 है।"⁵ यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कुछ विद्वानों ने हिंदी को व्यापक रूप देते हुए उस के अंतर्गत "उर्दू और मैथिली को भी सम्मिलित किया है जिसके अनुसार 4,85,763,875 (4,22,048,642+51,536,111+12,179,122) की संख्या होती है।"⁶ इसके अतिरिक्त संख्या की दृष्टि से हिंदीतर प्रदेशों में हिंदी पंजाबी, पश्चिमी बंगाल, अंडमान निकोबार में दूसरी प्रमुख भाषा और कम से कम पाँच प्रदेशों-जम्मू-कश्मीर, असम, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं त्रिपुरा में तीसरे स्थान पर है। स्पष्ट है कि भारत की समूची जनसंख्या का एक भाग हिंदी भाषी है और भारत की संपूर्ण द्विभाषी जनसंख्या के चौथाई भाग की यह संपर्क भाषा है। भारत की अन्य भाषाओं के साथ निरंतर पारस्परिक संबंध रखने के कारण यह भाषा तीव्रता से न केवल भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रबल आधार बनती जा रही है।"⁷ हिंदी के एक आंतर भारती स्वरूप मिलता है। संविधान के अनुच्छेद 351 की दृष्टि से अष्टम अनुसूची में उल्लेखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावली को आत्मसात किया हुआ है और वह भारत की संस्कृति को उदघासित करती है।

राष्ट्रीय संदर्भों में प्रयुक्त होने वाली हिंदीके दो आयाम बताए गए हैं- "जनभाषा और राजभाषा। जनभाषा के रूप में हिंदी और हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में रेलवे स्टेशनों, ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों में देखी जा सकती है। हिंदी फिल्मों में भी हिंदीतर भाषियों ने इस जनभाषा रूप को निखारा और संवारा हैं। यह जनभाषा रूप भारतीय समाज की द्विभाषिकता है जो जन समान्य की निजी व दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने का साधन है। राजभाषा के दूसरे आयाम में हिंदी भारत की प्रमुख राजभाषा है जो पूरे देश को राजनैतिक, आर्थिक दृष्टि से एकता के सूत्र में बाँधने वाली प्रशासनिक प्रयोजनों की भाषा है। राजभाषा के रूप में यह अँग्रेजी के साथ द्विभाषिकता की स्थिति में दिखाई देती है।"⁸

हिंदी भारतवर्ष की प्रमुख राजभाषा भी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। राष्ट्र को राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टि से एकता के सूत्र में बाँधने वाली प्रशासनिक प्रयोजनों की भाषा हिंदी राजभाषा है। इस प्रकार राष्ट्रीय संदर्भ में हिंदी का सर्वाधिक रूप मिलता है।

3. हिंदी का अंतरराष्ट्रीय रूप- जनपदीय और राष्ट्रीय संदर्भ के अतिरिक्त हिंदी-व्यवहार का एक तीसरा संदर्भ भी है जिसे हम उसका अंतरराष्ट्रीय रूप कह सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी के कई रंग और कई पक्ष हैं। मॉरिशस, फ़िजी, त्रिनिदाद, गुयाना आदि देशों में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग मिलता है। इन देशों के हिंदी-प्रेमी इस भाषा को केवल भाषा के रूप में व्यवहार में नहीं लाते अपितु उसे वे अपनी संस्कृति का एक अंग भी समझते हैं। हिंदी को वे अपने ऐतिहासिक संबंधों की सांस्कृतिक कड़ी और अपनी भावात्मक एकता का मूल आधार मानते हैं। अंतरराष्ट्रीय रूप में हिंदी 'विश्व भाषा' का अपना रूप ग्रहण करती है, विश्व के दृश्यफलक पर हम अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगाली आदि भाषाओं का भी विश्वभाषा के रूप में व्यवहार करते हैं।

भारतीय प्रवासियों के साथ मॉरिशस, फ़िजी, गुआना, सूरीनाम, त्रिनिदाद आदि देशों में हिंदी एक और सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतीक बन गई तो दूसरी तरफ उनके आपसी व्यवहार का संपर्क साधन बनकर भी उभरी। यह कम महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है कि इन विभिन्न देशों में जनसमुदाय की लगभग आधी संख्या प्रवासी भारतीयों की हैतथा "मॉरिशस (64 प्रतिशत), गुयाना (55 प्रतिशत), फ़िजी (50 प्रतिशत), सूरीनाम (40 प्रतिशत), त्रिनिदाद (36 प्रतिशत) यद्यपि लोकगीतों और अनौपचारिक संदर्भों में हिंदी की बोली भोजपुरी का प्रयोग होता है।"⁹ इस प्रकार हिंदी सामाजिक-सांस्कृतिक अनुष्ठानों की भाषा इन देशों में प्रयुक्त होती है। विश्व के अन्य देशों में हिंदी का प्रयोजनपरक पक्ष भी मिलता है। बंगलादेश, श्रीलंका, म्यांमार (बर्मा), इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया आदि देशों के लिए हिंदी सामाजिक-सांस्कृतिक प्रेरणा प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, जापान, चेकोस्लोवाकिया आदि देशों में इस भाषा के अध्ययन-अध्यापन का कार्य विदेशी भाषा के रूप में हो रहा है।

संदर्भ सूची :-

1. गोस्वामी, कृष्ण कुमार. (2008). शैक्षिक व्याकरण और व्यावहारिक हिंदी. दिल्ली : आलेख प्रकाशन. पृ. 17.
2. गोस्वामी, कृष्ण कुमार. (2009). हिंदी का भाषिक और सामाजिक परिदृश्य. नई दिल्ली : दिल्ली साहित्य सहकार. पृ. 79.
3. श्रीवास्तव, रवींद्रनाथ. (1994). हिंदी भाषा का समाजशास्त्र. दिल्ली : राधाकृष्ण प्रकाशन. पृ. 131.
4. वही, पृ. 131.
5. Census of India 2001, Language India, states and union territories (Table C-16), p.18.
6. गोस्वामी, कृष्ण कुमार. (2009). हिंदी का भाषिक और सामाजिक परिदृश्य. नई दिल्ली : दिल्ली साहित्य सहकार. पृ. 148.

7. श्रीवास्तव, रवींद्रनाथ. (1994). हिंदी भाषा का समाजशास्त्र. दिल्ली : राधाकृष्ण प्रकाशन. पृ. 133.
8. श्रीवास्तव, रवींद्रनाथ. (2008). भाषायी अस्मिता और हिंदी. दिल्ली : वाणी प्रकाशन. पृ. 56.
9. श्रीवास्तव, रवींद्रनाथ. (1994). हिंदी भाषा का समाजशास्त्र. दिल्ली : राधाकृष्ण प्रकाशन. पृ. 135.

Manuscript Timeline

Submitted : February 16, 2024 Accepted : February 25, 2024 Published : March 31, 2024

हिंदी शिक्षण में रचनावादी दृष्टिकोण की उपयोगिताकु. प्रीति दुबे¹**शोध सारांश**

जीन पियाजे और लेव वायगोत्स्की के सिद्धांतों पर आधारित भाषा सीखने के लिए रचनावादी दृष्टिकोण, अनुभवों और अंतःक्रियाओं के माध्यम से सक्रिय और प्रासंगिक रूप से सीखने पर जोर देता है। इस दृष्टिकोण ने हिंदी जो भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य का अभिन्न अंग है, को पढ़ाने की प्रभावशीलता को बढ़ाने में काफी आशाजनक परिणाम दिखाए हैं। कहानी सुनाना, भूमिका निभाना और सहयोगी परियोजनाओं जैसी सार्थक गतिविधियों में छात्रों को शामिल करके रचनावादी दृष्टिकोण गहन भाषा अधिग्रहण और सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देता है। छात्रों को व्यक्तिगत सीखने के अनुभव और बढ़ी हुई प्रासंगिकता से लाभ होता है, क्योंकि वे भाषा के उपयोग को अपने व्यक्तिगत जीवन और वास्तविक दुनिया के संदर्भ से जोड़ते हैं। यह दृष्टिकोण सांस्कृतिक समझ को भी प्रस्तुत करता है, जिससे शिक्षार्थी विभिन्न सांस्कृतिक मीडिया और प्रथाओं के माध्यम से हिंदी का पता लगा सकते हैं, जिससे भाषा दक्षता और सांस्कृतिक अंतर्दृष्टि दोनों में वृद्धि होती है। कुशल सुविधा और गहन योजना की आवश्यकता जैसी चुनौतियों के बावजूद, रचनावादी पद्धति पारंपरिक रटने और व्याकरण-केंद्रित विधियों पर महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है। रचनावादी दृष्टिकोण हिंदी सीखने के लिए एक व्यापक और आकर्षक ढांचा प्रदान करता है, जिससे बेहतर शिक्षण अधिगम एवं अध्यापक छात्र संबंध संबंधित हैं।

बीज शब्द : रचनावादी दृष्टिकोण, हिंदी भाषा, सक्रिय सीखना, सांस्कृतिक संदर्भ, सहयोग, अनुप्रयोग, आलोचनात्मक दृष्टि, व्यक्तिगत सीखना, भाषा अधिग्रहण।

प्रस्तावना-

शिक्षा के प्रति रचनावादी दृष्टिकोण, जीन पियाजे और लेव वायगोत्स्की के संज्ञानात्मक और सामाजिक सिद्धांतों से निहित है, यह इस बात पर जोर देता है कि सीखना एक सक्रिय एवं गतिशील प्रक्रिया है। पियाजे के अनुसार, शिक्षार्थी अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय जुड़ाव के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करते हैं, जबकि वायगोत्स्की का सामाजिक संपर्क सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास में सहयोगी सीखने और सांस्कृतिक संदर्भ की भूमिका को रेखांकित करता है। भाषा अधिगम के क्षेत्र में यह दृष्टिकोण शिक्षण और रटने की प्रक्रिया से ध्यान हटाकर सक्रिय भागीदारी, प्रासंगिक समझ और सार्थक अनुप्रयोग पर ध्यान केंद्रित करता है।

¹ पी-एच.डी. शोधार्थी, शिक्षा विभाग, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र)- 442001.
ईमेल- pritimgahv1994@gmail.com

रचनावादी उपागम हिंदी भाषा के शिक्षण पर लागू किया जाता है, जो सांस्कृतिक और भाषाई विविधता से समृद्ध है तो रचनावादी दृष्टिकोण पारंपरिक तरीकों के लिए एक आशाजनक विकल्प प्रदान करता है। पारंपरिक भाषा शिक्षण अक्सर दोहराए जाने वाले अभ्यासों के माध्यम से व्याकरण के नियमों और शब्दावली पर जोर देता है, जोकि आधारभूत होते हुए भी छात्रों को पूरी तरह से आकर्षित नहीं कर सकता है या व्यावहारिक भाषा के उपयोग को बढ़ावा नहीं दे सकता है। इसके विपरीत, रचनावादी तरीके से अधिक गहन और संवादात्मक सीखने के अनुभव समाहित हैं। वास्तविक दुनिया के संदर्भों, सांस्कृतिक तत्वों और सहयोगी गतिविधियों को एकीकृत करके यह दृष्टिकोण भाषा अधिग्रहण की प्राकृतिक प्रक्रियाओं के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है।

हिंदी, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और इसकी सांस्कृतिक विरासत का एक प्रमुख तत्व है, जो रचनात्मक सीखने के लिए अद्वितीय अवसर प्रस्तुत करता है। यह दृष्टिकोण न केवल भाषा की गहरी समझ को सुगम बनाता है, बल्कि साहित्य, फिल्म, संगीत और अन्य सांस्कृतिक कलाकृतियों के माध्यम से छात्रों की भारतीय संस्कृति की समझ को भी बढ़ाता है। शिक्षार्थियों को प्रामाणिक संदर्भों में हिंदी से जुड़ने और साथियों के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करके, रचनात्मक दृष्टिकोण का उद्देश्य भाषा सीखने को अधिक प्रासंगिक, आकर्षक और प्रभावी बनाना है।

यह शोध पत्र हिंदी भाषा सीखने में रचनावादी दृष्टिकोण की उपयोगिता की खोज करता है, तथा भाषा दक्षता, सांस्कृतिक समझ और छात्र जुड़ाव को बेहतर बनाने की इसकी क्षमता पर प्रकाश डालता है। प्रासंगिक साहित्य और अनुभवजन्य अध्ययनों की समीक्षा के माध्यम से यह खोजने का प्रयास किया गया है कि रचनावादी रणनीतियाँ- जैसे कि सक्रिय शिक्षण, सांस्कृतिक विसर्जन और सहयोगी परियोजनाएँ, पारंपरिक भाषा शिक्षण विधियों की तुलना में कैसी हैं? पूर्व में किए गए अध्ययनों के निष्कर्षों से हिंदी शिक्षण में रचनावादी उपागम की उपयोगिता एवं महत्व के तार्किक परिणामों को खोजने का प्रयास इस शोध पत्र में किया जा रहा है। यह शोध पत्र पूर्णतः द्वितीयक अध्ययन सामग्रियों पर आधारित है।

रचनावादी सिद्धांत का अवलोकन -

जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में इस बात पर जोर दिया गया है कि शिक्षार्थी अपने पर्यावरण के साथ बातचीत के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करते हैं। सक्रिय सीखने और संज्ञानात्मक चरणों पर उनके विचार समझ को बढ़ावा देने के लिए छात्रों को सार्थक अनुभवों में शामिल करने के महत्व को रेखांकित करते हैं। भाषा सीखने के संदर्भ में, पियाजे के सिद्धांत बताते हैं कि छात्रों को व्यावहारिक गतिविधियों और अन्वेषणों से लाभ होता है जो उनके विकासात्मक चरण के साथ संरचित होते हैं (पियाजे, 1970)।

वायगोत्स्की का सामाजिक-सांस्कृतिक सिद्धांत समीपस्थ विकास क्षेत्र (ZPD) की अवधारणा प्रस्तुत करता है, जो सीखने में सामाजिक संपर्क की भूमिका पर प्रकाश डालता है। उनका अध्ययन बताता है

कि सहयोगात्मक सीखने और निर्देशित बातचीत के माध्यम से भाषा अधिग्रहण में उल्लेखनीय वृद्धि होती है (वायगोत्स्की, 1978)। सीखने के सामाजिक संदर्भ पर वायगोत्स्की का जोर भाषा शिक्षा के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहाँ सहकर्मी संपर्क और सांस्कृतिक विसर्जन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

हिंदी सीखने के लिए रचनावादी दृष्टिकोण :

साहित्य, हिंदी सीखने में रचनावादी दृष्टिकोण की प्रभावशीलता का समर्थन करता है। सक्रिय शिक्षण, सांस्कृतिक संदर्भ और सहयोगी तरीकों को एकीकृत करके, यह दृष्टिकोण भाषा प्रवीणता, जुड़ाव और सांस्कृतिक समझ को बढ़ाता है। हालाँकि, इस उपागम के सफल कार्यान्वयन के लिए कुशल सुविधा और पर्याप्त नियोजन समय की आवश्यकता जैसी चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है। पूर्व में किए गए अध्ययन बताते हैं कि रचनावादी तरीके पारंपरिक भाषा शिक्षण दृष्टिकोणों की तुलना में महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करते हैं, जिससे वे हिंदी शिक्षण के लिए एक मूल्यवान रणनीति के रूप में कार्य भी करते हैं। रिचर्ड एलिस (2003) ने कार्य-आधारित भाषा शिक्षण (टीबीएल) की प्रभावशीलता की खोज करते हैं, जो वास्तविक दुनिया के कार्यों और सक्रिय भागीदारी पर जोर देकर रचनात्मक सिद्धांतों के साथ संरेखित होता है। एलिस ने अपने एक अध्ययन में पाया कि कार्य-आधारित विधियाँ भाषा की दक्षता और अवधारणा में सुधार लाती हैं, जो इस विचार का समर्थन करती हैं कि भाषा व्यावहारिक, आकर्षक गतिविधियों के माध्यम से सबसे अच्छी तरह से सीखी जाती है। क्लेयर क्राम्सच (1993) ने भाषा शिक्षा में सांस्कृतिक तत्वों के एकीकरण के लिए तर्क देते हैं, वह यह सुझाव देते हुए कि सांस्कृतिक संदर्भ को समझने से भाषाई क्षमता और शिक्षार्थी की सहभागिता बढ़ती है। यह दृष्टिकोण से हिंदी सीखने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सांस्कृतिक संदर्भ भाषा के उपयोग के लिए सार्थक संदर्भ प्रदान करता है और छात्रों के भाषा से जुड़ाव को गहरा करता है। एन.एस प्रभु (1987) ने अपने एक अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को प्रस्तुत करते हुए कहा कि हिंदी कक्षाओं में कार्य-आधारित शिक्षण पर प्रभु के शोध से पता चलता है कि संचार और वास्तविक दुनिया के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने वाले रचनावादी तरीके, बातचीत कौशल और छात्र जुड़ाव में काफी सुधार करते हैं। यह अध्ययन व्यावहारिक भाषा के उपयोग को बढ़ाने में रचनावादी दृष्टिकोणों की प्रभावशीलता पर प्रकाश डालता है।

एक अन्य अध्ययन में बी. कुमारवदिवेतु (2006) ने भाषा शिक्षण में उत्तर-विधि दृष्टिकोण की वकालत करते हैं, जिसमें संचारी भाषा शिक्षण (सीएलटी) जैसे रचनात्मक सिद्धांतों को शामिल किया जाता है। उनका तर्क है कि प्रामाणिक संचार और सांस्कृतिक प्रासंगिकता पर ध्यान केंद्रित करने वाला सीएलटी हिंदी जैसी भाषाओं को पढ़ाने के लिए विशेष रूप से प्रभावी है। एस. मिश्रा (2011) ने रचनावादी तरीकों को लागू करने की चुनौतियों को संबोधित किया है, जिसमें कुशल सुविधा की आवश्यकता और नियोजन की समय लेने वाली प्रकृति शामिल है। ये चुनौतियाँ भाषा शिक्षा में विशेष रूप से प्रासंगिक हैं, जहाँ रचनावादी गतिविधियों के माध्यम से छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए प्रभावी सुविधा महत्वपूर्ण है। जहाँ रचनावादी उपागम हिंदी शिक्षण में अपनी प्रभावी भूमिका निभाता है वहाँ इस उपागम के द्वारा विद्यार्थियों को कुशल

शिक्षण देना भी आवश्यक है। यदि इसमें कुशलता एवं दृष्टिकोण को प्रभावी उपयोग नहीं किया गया तो इसके परिणाम अप्रत्याशित भी हो सकते हैं।

रचनावादी उपागम के प्रयोग हेतु एक अध्ययन जेसी रिचर्ड्स और टीएस रॉजर्स (2001) से प्राप्त परिणाम ने विभिन्न भाषा शिक्षण विधियों का तुलनात्मक विश्लेषण किया है, जिसमें रचनावादी दृष्टिकोण भी शामिल है। उनका अध्ययन इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है कि रचनावादी तरीके अक्सर व्याकरण-अनुवाद जैसे पारंपरिक तरीकों की तुलना में बेहतर भाषा अधिग्रहण के परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। डी. नून (2004) ने कार्य-आधारित शिक्षण पर नून के शोध से पता चलता है कि जो छात्र रचनावादी तरीकों से जुड़ते हैं, वे भाषा कौशल को लंबे समय तक बनाए रखते हैं और उन्हें वास्तविक दुनिया के संदर्भ में अधिक प्रभावी ढंग से लागू करते हैं। यह खोज स्थायी भाषा प्रवीणता प्राप्त करने के लिए रचनावादी दृष्टिकोणों के लाभों को पुष्ट करती है।

उपरोक्त अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि हिंदी शिक्षण के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण पारंपरिक भाषा शिक्षण विधियों की तुलना में छात्रों की भाषा दक्षता, सांस्कृतिक समझ और उनके जुड़ाव को काफी हद तक प्रभावित करता है। इस दृष्टिकोण से अध्ययन के सकारात्मक लाभ विद्यार्थियों में देखे जा सकते हैं। रचनात्मक रणनीतियों के माध्यम से हिंदी सीखने वाले छात्र जैसे कि सक्रिय शिक्षण, सहयोगी परियोजनाएं, बेहतर भाषा कौशल, भारतीय संस्कृति की गहरी समझ और उनकी सीखने की प्रक्रिया में उच्च स्तर की प्रेरणा और भागीदारी में वृद्धि की जा सकती है।

निष्कर्ष -

हिंदी सीखने के लिए रचनावादी दृष्टिकोण पारंपरिक भाषा शिक्षण विधियों की तुलना में प्रभावी है, विशेष रूप से भाषा दक्षता, सांस्कृतिक समझ और छात्र जुड़ाव को बढ़ाने के संदर्भ में यह उपागम अपनी प्रभावी भूमिका निभाता है। कक्षा में विद्यार्थियों के सक्रिय भागीदारी, प्रासंगिक शिक्षण और सहयोग पर जोर देकर, यह दृष्टिकोण छात्रों को भाषा शिक्षण अधिक प्रभावी ढंग से आत्मसात करने और सार्थक, वास्तविक दुनिया की स्थितियों में इसका उपयोग करने में सक्षम बनाता है। इन उपागम के प्रयोग की उपयोगिता के साथ ही साथ इसके सफल क्रियान्वयन की चुनौतिया भी हैं, जैसे- कुशलता की आवश्यकता, रचनावादी गतिविधियों की योजना बनाने सक्षमता, बेहतर एवं गहरे सांस्कृतिक संबंध और दीर्घकालिक अवधारणाएँ हिंदी पढ़ाने के लिए एक अत्यधिक प्रभावी तरीका बनाते हैं। पूर्व के अध्ययन बताते हैं कि जो छात्र रचनावादी शिक्षण के माध्यम से शिक्षण ग्रहण करते हैं वे न केवल भाषा को अधिक अच्छी तरह से सीखते हैं, बल्कि इसके साथ-ही-साथ अधिक सकारात्मक और स्थायी संबंध भी विकसित करते हैं। इसलिए, हिंदी भाषा शिक्षण में रचनावादी उपागम के एकीकृत और प्रभावी, समृद्ध सीखने के अनुभव को निर्मित किए जा सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. एलिस, आर. (2003). टास्क-आधारित भाषा सीखना और सिखाना. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
2. क्राम्सच, सी. (1993). भाषा शिक्षण में संदर्भ और संस्कृति. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
3. कुमारवदिवेलु, बी. (2006). भाषा शिक्षण को समझना: विधि से उत्तर-विधि तक. लॉरेंस एर्लबम एसोसिएट्स.
4. लैटोल्फ, जे.पी. (2000). सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत और द्वितीय भाषा सीखना. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
5. मिश्रा, एस. (2011). रचनावादी भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ. टीईएसओएल जनल, 2 (1), 45-58.
6. नुनन, डी. (2004). कार्य-आधारित भाषा शिक्षण. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस.
7. प्रभु, एन.एस. (1987). द्वितीय भाषा शिक्षणशास्त्र. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
8. रिचर्ड्स, जे.सी., और रॉजर्स, टी.एस. (2001). भाषा शिक्षण में दृष्टिकोण और विधियाँ. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस.
9. स्वैन, एम. (2000). आउटपुट परिकल्पना और उससे आगे: सहयोगात्मक संवाद के माध्यम से अधिग्रहण की मध्यस्थता. जेपी लैटोल्फ (एड.), सोशियोकल्चरल थ्योरी और सेकंड लैंग्वेज लर्निंग. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
10. वायगोत्स्की, एल.एस. (1978). समाज में मन: उच्च मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का विकास. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

Manuscript Timeline**Submitted : February 26, 2024 Accepted : March 03, 2024 Published : March 31, 2024****भरतमुनि की अभिनय प्रशिक्षण पद्धति में यौगिक व्यायाम****शिवकांत वर्मा¹****शोध सार**

भरत मुनि अपने ग्रन्थ नाट्यशास्त्र में अभिनेता के लिए केवल अभिनय की ही बात नहीं करते, बल्कि उस अभिनय के लिए अभिनेता की देह की तैयारी कैसी हो, इस पर भी उनकी एक प्रशिक्षण दृष्टि है। अभिनेता का शरीर लचीला, सौष्ठवयुक्त तथा शक्ति संपन्न होना चाहिए। इसके लिए वे अभिनेता द्वारा किये जाने के लिए व्यायाम की भी समुचित चर्चा करते हैं। खान पान से लेकर व्यायाम की पूर्व तैयारी सहित वे सभी सम्बन्धित विषयों पर दिशा निर्देश देते हैं। भरतमुनि की विद्वता यह है कि वह इन व्यायाम के लिए अलग से कोई क्रियाएं निर्मित नहीं करते, बल्कि आंगिक अभिनय के अंगों के अंतर्गत उल्लेखित करण, अंगहार, मंडल, चारी आदि को ही व्यायाम के लिए प्रयोग करवाते हैं। प्रस्तुत शोध आलेख का उद्देश्य इन व्यायामों के व्यवहार के मूल में योग को खोजना है। अर्थात् इन व्यायाम को यौगिक व्यायाम भी कहा जा सकता है, प्रस्तुत शोध आलेख का यही प्रयास है।

कुंजीशब्द: योग, यौगिक व्यायाम, अभिनय, अभिनेता, नाट्यशास्त्र, भरतमुनि

संक्षिप्ताक्षर: ना.शा.- नाट्यशास्त्र

भारतीय अभिनय परम्परा में भरत मुनि को अभिनय के आंगिक अध्येता और प्रशिक्षक के रूप में देखा जा सकता है। भरत मुनि द्वारा विरचित नाट्यशास्त्र अभिनय तथा नाट्य विषय का आदि ग्रन्थ है। इससे पूर्व अभिनयको इतने विशद रूप में कहीं किसी भी विद्वान के द्वारा प्रकाश में नहीं लाया गया। अभिनय या नाट्य पर सविस्तार चर्चा करती हुई कोई पुस्तक नाट्य शास्त्र से पूर्व प्राप्त नहीं होती है। वह इस विषय केवल विद्वान् मात्र नहीं अपितु प्रशिक्षक भी हैं। नाट्य शास्त्र में ही यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित भी है कि भरत मुनि अपने आश्रम में अपने सौ शिष्यों के साथ निवास कर रहे थेⁱ। अत्रि आदि ऋषियों के साथ नाट्य और अभिनय चर्चा के द्वौरान उनके शिष्यों में कोहिल आदि ने भी अपने विचार रखे हैंⁱⁱ। अतः कहा जा सकता है कि वह इस विषय के सैद्धांतिक प्रतिपादक मात्र ही नहीं हैं, आश्रम में रहते हुए अपने शिष्यों को इसका प्रशिक्षण भी दे रहे थे।

एक अभिनेता के अभिनय की तैयारी में उसके शरीर की तैयारी भी महत्वपूर्ण है। इसमें व्यायाम की अहम् भूमिका होती है। शरीर की तैयारी अभिनय की तैयारी के पूर्व का विषय है। अतः इसे अभिनय विषय से पूर्व ही रखना चाहिए।

¹ शोधार्थी (नाट्यकलाशास्त्र), प्रदर्शनकारी कला विभाग, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

ईमेल : shivkant.verma21@gmail.com; सम्पर्क: 8800492709

नाट्य शास्त्र का चौथा अध्याय अभिनेता की शारीरिक तैयारी का अध्याय है। हालांकि स्वयं भरत मुनि इस अध्याय का नाम ‘तांडव’ रखते हैं। इसीलिए विद्वान् इसे मात्र नृत्य अध्याय मान कर अध्ययन करते हैं। किन्तु विद्वानों में यह मत भी प्रचलित है कि नाट्यशास्त्र के अध्यायों के क्रम में कुछ गड़बड़ है, इस अध्याय को आठवें अध्याय से लगा हुआ होना चाहिए था क्योंकि आंगिक अभिनय को आठवें अध्याय में कहा गया है वहीं इसी से सबन्धित चारी और गतियों का उल्लेख इसके चौथे और पांचवें अध्याय में कहा गया है। देवेन्द्र राज अंकुर ने अपनी किताब ‘दूसरे नाट्य शास्त्र के खोज’ में यहीं शंका रखते हैं – “हमारे आधुनिक समय के नाट्य प्रशिक्षण में भी सबसे पहले अभिनेता के शरीर के प्रशिक्षण पर काम किया जाता है, जिसमें योगाभ्यास और मूवमेंट जैसी कक्षाएं पर आयोजित होती हैं”ⁱⁱⁱ

इस शंका के बाद देवेन्द्र राज अंकुर एक संभावित उत्तर भी प्रस्तुत कर देते हैं। मंच पर प्रवेश करते ही दर्शक का अभिनेता के जिस पहलू से सबसे पहले परिचय होता है वह उसका शरीर ही है।^{iv} यह परिचय सशक्त हो इसीलिए उसकी देह को सौष्ठव युक्त होना ज़रूरी है। चौथे अध्याय में प्रतिपादित विषय करण अंगहार आदि का व्यायाम रूप में लक्ष्य देह सौष्ठव ही है।^v

पंचम अध्याय अर्थात् पूर्वरंग में नृत् मुद्राओं को करते, पहली बार अभिनेता दर्शक के सम्मुख जाते हैं। इसीलिए ही चौथे अध्याय में यह विषयवस्तु रखी गई है। अतः चौथा अध्याय अभिनेता की देह तैयारी अर्थात् व्यायाम का अध्याय है।

भरतमुनि प्रणीत ना. शा. में व्यायाम सबंधित विषयवस्तु-

चौथे अध्याय में दिए करण, अंगहार आदि का प्रयोग नृत् के अतिरिक्त शारीरिक व्यायाम के लिए भी हैं। इस अध्याय में ‘करण’ को बताते हुए कहा है— **हस्तपादसमायोगो नृत्यस्य करणं भवेत्**^{vi}

अर्थात् नृत् में हाथों और पैरों के एक साथ हिलाने डुलाने को करण कहा जाता है। भरतमुनि ने 108 करणों को गिनवाया है। एक करण के बनने में केवल हाथों और पैरों का चलन मात्र नहीं हैं, बल्कि उनके चलते हुए कमर, पीठ, पेट, वक्ष स्थल, जांघ की क्या स्थिति है यह भी निर्भर करती है।^{vii} यह एक गतिशील क्रिया है जिसमें स्थान, चारी और नृत् हस्तों का एक साथ प्रयोग होता है। इन्हीं की विविधता के चलते अनेक करणों का जन्म होता है।

दसवें अध्याय में पुनः करण को परिभाषित करते हुए कहा है—

एकपादप्रचारो यः सा चारीत्यभिसंज्ञिता ।

द्विपादक्रमणं यत् करणं नाम तद्वेत् ॥ 3 ॥

अर्थात् एक पैर से चलने को चारी की संज्ञा दी गई है, तथा दोनों पैरों से मिला कर चलने को करण नाम मिलता है। दसवें अध्याय में श्लोक है—

विधानोपगताश्चार्यो व्यायच्छन्ते परस्परम् ।

यस्माद्गसमायुक्तास्तस्माद्व्यायाम उच्यते ॥ 2 ॥

अर्थात् विधान पूर्वक प्रयुक्त चारियाँ परस्पर एक दुसरे पर आश्रित रहती हैं और जब इन्हें अंगों से संयुक्त होकर किया जाता है, ये व्यायाम कहलाती हैं^{viii}

अर्थात् भरत मुनि का स्पष्ट कहना है कि इन चारियों को व्यायाम के रूप में अभ्यास करना चाहिए। चारियों के परस्पर समिश्रण से मंडल की रचना होती है इसका अर्थ यह हुआ कि मंडल भी व्यायाम के रूप में प्रयोग किये जा सकते हैं। मंडल के दो प्रकार हैं— आकाशिक मंडल तथा भौमिक मंडल। नाट्य शास्त्र के मंडल विधान के कुछ श्लोकों में प्राप्त हुआ है।

अतिक्रान्तं पुनर्वामिं दण्डपादञ्च दक्षिणम् ।
विज्ञेयमेतद् व्यायामे त्वतिक्रान्तं तु मण्डलम् ॥ 10 ॥^{ix}

अर्थात् आकाशिक मंडल- अतिक्रान्त जो जनिता, शकटास्य, अलात, पार्श्वक्रांता, भ्रमरी, उद्वाहित, दंडपाद आदि चारी के मिश्रण से बना है इसका प्रयोग व्यायाम के रूप में किया जा सकता है।

इसी तरह से भौमिक मंडल के प्रकारों— ‘आस्यन्दित’, ‘समोत्सरित’, ‘शकटास्य’ के लिए भी व्यायाम में प्रयोग करने को लेकर श्लोक में उल्लेख है—

शकटास्यो भवेद्रामस्तदेवास्फोटनं भवेत् ।
एतदास्पन्दितं नाम व्यायामे युद्धमण्डलम् ॥ 47 ॥^x

चारया चानया भ्रान्त्वा पर्यायेणाथ मण्डलम् ।
समोत्सरितमेतत् कार्यं व्यायाममण्डलम् ॥ 53 ॥^{xi}

विज्ञेयं शकटास्यं तु व्यायामे युद्धमण्डलम् ।
पादैश्च शकटास्यस्थैः पर्यायेणाथ मण्डलम् ॥ 60 ॥^{xii}

इस प्रकार देखा जा सकता है कि नाट्य शास्त्र अंग सञ्चालन की वे विधियां जो व्यायाम में प्रयोग की जानी चाहिए, उनका स्पष्ट उल्लेख है।

व्यायाम करने के दिशा निर्देश -

व्यायाम करने की विधि बताते हुए भरत मुनि का कथन है कि अभिनेता को तेल की मालिश कर के खुले स्थान या जैसे छत या किसी पहाड़ी जैसे स्थान पर इन अंगहारों का व्यायाम करना चाहिए^{xiii} इसके बाद आहार आदि पर भी दिशा निर्देश है। शरीर को हष्ट पुष्ट रखने के लिए नस्य और बस्ती (आयुर्वेद) के अनुसार प्रयोग करने चाहिए। आहार से शक्ति मिलती है इसलिए स्नाध (चिकने) अन्नों, मांस, फलों के रसों का सेवन करना चाहिए^{xiv} किन परिस्थिति में व्यायाम नहीं करना चाहिए इसकी भी बात कही गई है। जैसे— शरीर के स्वच्छ न होने पर, थके हुए होने पर, भूख या प्यास लग रही हो, अत्यधिक पानी पी लिया हो या अधिक भोजन कर लिया हो तब ऐसी दशा में व्यायाम नहीं करना चाहिए। किसी योग्य योग्य शिक्षक की देखरेख में ये व्यायाम किये जायें इसका भी निर्देश नाट्य शास्त्र में किया गया है।^{xv}

व्यायाम का ध्येय-

चारी अध्याय के अंतिम भाग में व्यायाम को लेकर निर्देश देते हुए श्लोक प्राप्त होते हैं

अङ्गसौष्ठवसंयुक्तैरङ्गहरैर्विभूषितम् ॥ 88 ॥
व्यायामं कारयेत् सम्यक् लयतालसमन्वितम् ।
सौष्ठवे हि प्रयत्नस्तु कार्यो व्यायामसेविभिः ॥ 89 ॥

अंगों के सौष्ठव से युक्त अंगहारों का तल और लय के साथ व्यायाम करना चाहिए, और इन व्यायाम में इस सौष्ठव के लिए प्रयत्न करना चाहिए। सौष्ठव का लक्षण लक्षण बताते हुए भरत मुनि ने कहा है कि “कमर और कान एक समान होते हैं अर्थात् एक रेखा में होते हैं, कुहनी, कन्धा तथा सर भी एक सम दूरी पर होते हैं तथा सीना समन्नत होता है अर्थात् थोड़ा उभरा रहता है यह अवस्था सौष्ठव कहलाती है”^{xvi}। इस प्रकार अभिनेता देखने में शोभामान रहे, इन व्यायाम का यही लक्ष्य नज़र आता है।

भरत मुनि द्वारा निर्देशित ये सभी व्यायाम यौगिक व्यायाम हैं। इस विचार की पुष्टि के लिए तीन पक्षों पर चर्चा करना आवश्यक है।

पहला : व्यायाम का वास्तविक श्रेय-

चतुर्थ अध्याय में वर्णित है- इन करण, चारी, अंगहारों को भरतमुनि ने स्वयं नंदिकेश्वर से शिक्षा ग्रहण की है। नंदिकेश्वर का उल्लेख विद्वानों द्वारा एक योगी के रूप में किया गया है। उन्हें योग विषय की एक प्रमुख पुस्तक योग तारावली के लेखक के रूप में कुछ विन्द्वानों ने मान्यता दी है^{xvii}

नंदिकेश्वर को नन्दिकेश्वर को पाणिनि, तिरुमूल, पतंजलि, व्याघ्रपाद, तथा शिवयोगमुनि का गुरु माना जाता है।^{xviii} चूंकि नंदिकेश्वर (जिनका ही एक नाम तंडू कहा गया है) स्वयं एक योगी के रूप में प्रतिष्ठित थे, अतः यह कहना समीचीन होगा कि उन्होंने जिन करणों, अंगहारों को भरतमुनि और उनके शिष्यों को सिखाया उनका मूल योग में है, और संभवतः इसीलिए ही इन करणों और चारियों को भरत मुनि व्यायाम के रूप में भी अभ्यास करने के निर्देश देते हैं।

दूसरा : क्रिया स्तर पर यौगिक व्यायाम से समानता-

यौगिक व्यायाम को सूची बद्ध करने का काम सर्व प्रथम धीरेन्द्र शास्त्री ने किया, किन्तु यह व्यायाम योग परम्परा में पहले से ही विद्यमान थे। इसमें से यौगिक सूक्ष्म व्यायाम अभ्यास की वह प्रणाली है जिससे जोड़ों को ढीला या लचीला किया जाता है ताकि मांस पेशियाँ मजबूत हो सकें। परिणाम स्वरूप सम्पूर्ण शरीर मजबूत और लचीला बनता है।^{xix} इसमें गर्दन, कलाई, घुटने, कंधे, कमर आदि वे सभी स्थान जो शरीर में जोड़ों के स्थान पर हैं उनके सञ्चालन की विधियाँ बताई गई हैं। इनमें मणि बांध शक्ति विकासक क्रियाएं, ग्रीवा शक्ति विकासक क्रियाएं, जंघा शक्ति विकासक क्रियाएं आदि उसी तरह से जोड़ों पर काम कर रही हैं जिस तरह से करण में प्रयोग होने वाली चारी, नृत्त हस्त आदि में होता है।

एक उदाहरण से अगर हम समझें तो एक भौमिचारी है जिसका नाम— शकटास्य है। इसमें होने वाली क्रिया सूर्य नमस्कार योग के आसन ‘अश्व सञ्चालन’ से साम्य रखती है। यौगिक स्थूल व्यायाम के अंतर्गत एक व्यायाम है रेखागति। इसमें होने वाली क्रिया इस तरह से है – कि व्यक्ति पिछला पैर एक वृत्त बनाते हुए बगल से निकालता हुए आगे के पंजे के अग्र भाग से इस पंजे के एड़ी को सटाते हुए आगे रखता है। और यही क्रिया दूसरे पैर से दुहारते हुए आगे बढ़ता है।^{xx} यौगिक स्थूल व्यायाम के अंतर्गत आने वाली यह रेखा गति-भूमिचारी – ‘स्थितावर्ता’ के समान है। जिसमें मैं भी अभिनेता बारी बारी एक एक पैर से वृत्त बनाते हुए आगे बढ़ता जाता है। इसी तरह से हृदयगति^{xxi} नाम के यौगिक व्यायाम में पैरों के गति भूमि चारी इडिक्काक्रीड़ता से साम्य रखती है जिसमें चलते चलते एक पैर घुटने से पीछे नितम्ब तक लाते हैं और बच्चे की तरह उसे पीछे देखते हैं। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम -जांघ शक्ति विकासक में पैरों विशेषकर जांघ की जो स्थिति बताई गई है।^{xxii} वही स्थिति विच्छ्या नामक भूमि चारी में जाँधों की होती है।

तीसरा : उपयोगिता-

चौथे अध्याय में करण की उपयोगिता के बारे में लिखा है -

**नृत्य युद्धे नियुद्धे च तथ गतिपरिक्रमे।
गतिप्रचारे वक्ष्यामि युद्धचारीविकल्पनम् ॥ 56 ॥**

नृत्य में, युद्ध में, नियुद्ध (मल्लयुद्ध) तथा गति प्रचार, धूमने में तथा युद्ध में चलने के लिए इनका प्रयोग किया जा सकता है। व्यायाम के रूप में इनके प्रयोग को ऊपर ही उल्लेखित कर दिया गया है।

इस अवधारणा की पुष्टि कपिला वात्स्यायन के उस कथन से होती है, जिसे वो अपनी क्रिताब ‘भरत द नाट्यशास्त्र’ में लिखती हैं –“भरत कीव्यायाम पद्धतिओर आज कल जो ‘हठ योग’ के रूप में पहचानते हैं और अन्य शौर्य कलाओं में सम्बन्ध स्वाभाविकता से अधिक स्पष्ट है।^{xxiii}

नंदिकेश्वर जिन्होंने योग तारावली जैसी पुस्तक की रचना की, जिनके द्वारा ही भरतमुनि के शिष्यों को करण अंगाहार, चारी आदि की शिक्षा मिली, उन्हें ही नृत्य विषय पर लिखी अभिनयदर्पण की रचना का भी श्रेय जाता है। अर्थात शरीरिक गतियों में कुछ भिन्नाताओं के साथ ही उनकी उपयोगिता योग, यौगिक व्यायाम, नृत्य और अभिनय में की गई है।

अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भरत मुनि द्वारा अभिनेताओं के अभिनय प्रशिक्षण हेतु जिन व्यायाम की चर्चा की गई है वे यौगिक व्यायाम हैं।

सन्दर्भ-

1. शास्त्री, बाबूलाल शुक्ल. (1984). हिंदी नाट्य शास्त्र (द्वितीय सं.). वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत संस्थान.
2. अंकुर, देवेन्द्रराज. एवं आनंद, महेश. (संपा.). (2008). रंगमंच के सिद्धांत. नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन.

3. अंकुर, देवेन्द्रराज. (2021). दूसरे नाट्य शास्त्र की खोज. नई दिल्ली : वाणी प्रकाशन.
4. Vatsyayan, Kapila. (2023). *Bharta : The Natyashastra*. New Delhi : Sahitya Akademi.
5. भट्टाचार्य, राम शंकर. (1987). योग तारावली. वाराणसी : भारतीय विद्या प्रकाशन.
6. रस्तोगी, सुधा. (1989). हिंदी नाट्यशास्त्र. वाराणसी : कृष्णदास अकादमी.
7. https://www.nios.ac.in/media/documents/OBE_indian_knowledge_tradition/Level_A/Yoga/hindi/YOGA-A_Hindi_Ch-2.pdf
8. https://www.youtube.com/watch?v=8dFr_XzfMl
9. <https://www.youtube.com/watch?v=NrCy7BtMfuE>

ⁱआनंद, महेश., अंकुर, देवेन्द्रराज (सं.). (2014). रंगमंच के सिद्धांत. नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन. पृ. 268.

ⁱⁱवही, पृ. 270

ⁱⁱⁱअंकुर, देवेन्द्र राज. (2021). दूसरे नाट्य शास्त्र की खोज. नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन. पृ. 48.

^{iv}वही , पृष्ठ 48

^vव्यायामं कारयेत् सम्यक् लयतालसमन्वितम्।

^{vi}सौष्ठवे हि प्रयत्नस्तु कार्यो व्यायामसेविभिः ॥ ना.शा.(4/89)

^{vii}नाट्यशास्त्र , अध्याय चतुर्थ, श्लोक संख्या 30

^{viii}रस्तोगी, सुधा. (1989). हिंदी नाट्यशास्त्र. वाराणसी : कृष्णदास अकादमी. पृष्ठ 97.

^{ix}वही, पृ. 408.

^xनाट्य शास्त्र, अध्याय 12, श्लोक संख्या 10.

^xनाट्य शास्त्र, अध्याय 12, श्लोक संख्या 47.

^{xii}वही, श्लोक संख्या 53.

^{xiii}वही, श्लोक संख्या 60.

^{xiv}शास्त्री, बाबूलाल. (1984). हिंदी नाट्यशास्त्र. वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत संस्थान. पृष्ठ 113.

^{xv}रस्तोगी, सुधा. (1989). हिंदी नाट्यशास्त्र. वाराणसी : कृष्णदास अकादमी. पृष्ठ 429.

^{xvi}नाट्य शास्त्र, अध्याय 10 ,श्लोक संख्या 100-101.

^{xvii}कटी कर्णसमा यत्र कूर्परांपशिरस्तथा।

^{xviii}समुन्नतमुरश्वैव सौष्ठवं नाम तद्वेत् ॥ (ना.शा. 4/92)

^{xix}भट्टाचार्य, राम शिंकर. (1987). योग तारावली. वाराणसी : भारतीय विद्या प्रकाशन. पृ. 2.

^{xviii}[https://hiwiki.iiit.ac.in/index.php/%E0%A4%A8%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE](https://hiwiki.iiit.ac.in/index.php/%E0%A4%A8%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%BE%F0%A4%8D)

^{xix}https://www.nios.ac.in/media/documents/OBE_indian_knowledge_tradition/Level_A/Yoga/hindi/YOGA-A_Hindi_Ch-2.pdf

^{xx}https://www.youtube.com/watch?v=8dFr_XzfMI8

^{xxi}वही

^{xxii}<https://www.youtube.com/watch?v=NrCy7BtMfuE>

^{xxiii}“The connection between Bharata’s system of exercise and what we today recognize as ‘Hathyog’, and martial arts, on the other, is more than obvious”,Bharta The NatyaShastra, pp. 67, kapilavatsayayn

Manuscript Timeline**Submitted : February 26, 2024 Accepted : March 03, 2024 Published : March 31, 2024****भारत में शैलीबद्ध अभिनय : शिल्प एवं सौंदर्य****सुनील कुमार¹****शोध सार**

रंगमंच का सबसे प्रमुख और अपरिहार्य तत्व अभिनेता और अभिनय है। स्वाभाविक रूप से रंगमंच की सुदीर्घ परम्परा और इतिहास में सबसे ज्यादा चिंतन-मनन अभिनय की परिभाषा, पद्धति और रचना-प्रक्रिया पर हुआ है। अभिनय किसी अभिनेता या अभिनेत्री के द्वारा किया जाने वाला वह कार्य है, जिनके द्वारा वह किसी कथा या विचारों को स्वर, भाव तथा आंगिक चेष्टाओं के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। नाट्यशास्त्र में अभिनय शब्द के अभी+नी+यच जैसे संधि विच्छेद के माध्यम से उसे परिभाषित किया जा सकता है अर्थात् सामने बैठे प्रक्षेकों तक नाटककार के आलेख को सम्प्रेषित करने की कला का नाम अभिनय है। पश्चिम में भी कितने ही रूपों में उसके अर्थ को अभिव्यक्त किया गया है। अभिनय का उद्देश्य है, किसी पद या शब्द के भाव को मुख्य अर्थ तक पहुँचा देना, अर्थात् दर्शकों या सामाजिकों के हृदय में भाव या अर्थ से अभिभूत करना। भारत में मूल अभिनय की धारणा हमें भरतमुनि रचित नाट्यशास्त्र एवं उसके पूर्वतीर्ती ग्रंथों में प्राप्त होता है, नाट्यशास्त्र के काल तक अभिनय का शिल्प, स्वरूप प्रविधि आदि का मानवीकरण हो चुका था। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें नाट्यशास्त्र में वर्णित अभिनय शैली से प्राप्त होता है।

कुंजीशब्द : शैलीबद्ध अभिनय, परम्परा, नाट्यशास्त्र, अभिनय का विकास, वर्तमान अभिनय, शिल्प, स्वरूप एवं सौंदर्य

परिचय-

भारतीय रंगमंच का इतिहास बदलती परंपरा की गाथा और बदलते कर्मकांड का लेखा-जोखा है। भारतीय रंगमंच संभवतः सबसे सौंदर्यवादी तरीके से सामाजिक प्रतिमान को प्रखर बनाने का एक प्रयास है। चाहे समाज के “संयुक्त वास्तविकता” को प्रतिबिंబित करना हो या जीवन के दिव्य संपादन पहलुओं को चित्रित करना हो, भारत में रंगमंच ने निश्चित रूप से एक प्रमुख भूमिका निभाई है। भारतीय रंगमंच की समृद्ध समयावधि इसलिए कई अवधियों से गुजरी है। भारतीय अभिनय का इतिहास जो गुफावासियों के साथ शुरू हुआ है वह ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में संस्कृत रंगमंच की शुरुआत के साथ एक यथार्थवादी समोच्च प्राप्त करता हुआ आगे बढ़ता है। यहाँ बात किया जाए रंगमंच और अभिनय की तो वास्तविक रूप से, संस्कृत रंगमंच और उसके अभिनय को भारतीय रंगमंच के पहले प्रतिनिधित्व के रूप में मान्यता दी गई है। दूसरी

¹ शोधार्थी, प्रदर्शनकारी कला विभाग (फिल्म एवं थिएटर), महात्मा गांधी अंतराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र)- 442001. ईमेल - sunilphekania31@gmail.com; मोबाइल- 9608421888, 8789392215.

शताब्दी ईसा पूर्व के लंबे समय के युग के शुरुआत में संस्कृत रंगमंच धार्मिक और अभिजात वर्ग के भारतीय उत्साह को दर्शाने का एकमात्र माध्यम था। जैसा कि भरतमुनि मानते हैं कि— ‘उस समय पुरुषों की नकल और उनके काम (लोका-वृत्ति) के तकनीक को कला एवं अभिनय को विकसित करने का पहला प्रयास प्रतीत होता है।’ⁱ सत्रहवीं शताब्दी के अंत तक संस्कृत रंगमंचीय अभिनय शैली अभिव्यक्ति का एक लोकप्रिय रूप रहा है। जहाँ अठारहवीं शताब्दी के दौरान यह धीरे-धीरे भारतीय शास्त्रीय नृत्य नाटक एवं शास्त्रीय अभिनय शैली के रूप में विकसित हुआ है। भारतीय शास्त्रीय अभिनय शैली अपने बाद के वर्षों में आधुनिक आकार हासिल करने के लिए कई बदलाव करते दिखाई देते हैं। भारतीय रंगमंच में अभिनय शैली के विकास के चरणों के आधार पर, भारतीय अभिनय शैली के इतिहास को वास्तव में तीन चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

1. भारतीय अभिनय की प्राचीन शैली
2. भारतीय अभिनय की मध्यकालीन शैली
3. भारतीय अभिनय की आधुनिक शैली

भारतीय अभिनय की प्राचीन शैली -

भारतीय अभिनय की प्राचीन शैली सुदूर अतीत से भारतीय परंपरा, संस्कृति, कलात्मकता और रचनात्मकता के सभी संवर्धन में एक प्रमुख भूमिका निभाती दिखाई देती है। जहाँ इसकी उत्पत्ति “वैदिक आर्यों” के धार्मिक कर्मकांड के परिणामस्वरूप हुई है। वही प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार भारतीय अभिनय शैली का विकास एक जीवन आकार के कला रूप के रूप में हुए है और इसके व्यावहारिक रूप में इसके अभ्यास के दायरे से बाहर कुछ भी नहीं था। नाट्यशास्त्र में इस संदर्भ में भरतमुनि कहते हैं कि - “त्रिविधो शिल्पम् नृत्य गीता वदितम् च”ⁱⁱ। संस्कृत में साहित्य की शुरुआत वैदिक युग से हुई और भारतीय रंगमंच का समृद्ध इतिहास इस तथ्य को मानता है कि, संस्कृत नाटक भारतीय अभिनय शैली का पहला मान्यता प्राप्त प्रतिनिधित्व था। प्राचीन भारत में लागू कला रूप के शास्त्रीय प्रतिनिधित्व के रूप में नाटकों की प्रस्तुति – प्रक्रियाओं में दैनिक घटनाओं, अनुष्ठानों, परंपरा, नृत्य और संगीत के उदाहरणों ने संस्कृत नाटकों को चित्रित किया है और उसके अभिनय के शैलीय प्रस्तुपों में शास्त्रीयता के साथ-साथ परम्पराओं का भी मिश्रण देखने को मिलता है।

भारतीय अभिनय की मध्यकालीन शैली -

भारतीय अभिनय की मध्यकालीन शैली भारतीय उप-महाद्वीप पर हुए कई आक्रमण से प्राभवित नाट्य अभिनय शैली के रूप में विकसित हुआ है। इसके अभिनय में लयबद्धता एवं लोक निर्माण से उपजे अभिनय के तत्वों का मिश्रण देखा जा सकता है। यह प्राचीन अभिनय की शैली से अपने आप को तोड़ते हुए आम जन-जीवन के तत्वों को समाहित करने का काम करती दिखाई देती है।

भारतीय अभिनय की आधुनिक शैली-

आधुनिक भारतीय रंगमंच और भारतीय अभिनय शैली देश में स्थापित राजनीतिक परिवर्तन को चित्रित करने में केंद्रित है। भारतीय नाट्य संस्कृति भारत में ब्रिटिश शासन से प्रभावित थी। देश में ब्रिटिश शासन के उन 200 वर्षों के दौरान, भारतीय रंगमंच पश्चिमी रंगमंच के सीधे संपर्क में आया और इस प्रभाव ने आधुनिक भारतीय अभिनय शैली और रंगमंच को जन्म देते हुए भारतीय रंगमंच और अभिनय के इतिहास में एक नया अध्याय स्थापित करने का काम किया है। यह उन्नीसवीं सदी की शुरुआत थी जब संगीत, गीत, नृत्य, संवाद और भावनाएं सभी पहली बार भारतीय रंगमंच में शामिल किए गए थे ताकि इसे आधुनिक रूप दिया जा सके। और यह बदलाव अभिनय के साथ-साथ प्रेक्षागृह के निर्माण में भी देखा जा सकता। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में आधुनिक भारतीय नाटक और भारतीय अभिनय शैली मुख्य रूप से एक स्वाभाविक और यथार्थवादी प्रस्तुति की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा था। इस रंगमंचीय बदलाव में आम आदमी, दैनिक जीवन, सामाजिक समस्या, स्वास्थ्य और आर्थिक समस्या आदि को अच्छी तरह से प्रस्तुत कर रही थी। इस संदर्भ में भारतरत्न भार्गव कहते हैं कि—‘भारत में शैलीबद्ध अभिनय का समृद्ध इतिहास इस सच्चाई का खुलासा करता है कि भारत में अभिनय हमेशा समृद्ध भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और वह अब भी वही है।’ⁱⁱⁱ भारतीय अभिनय शैली और रंगमंच ने भारतीय समाज की आधुनिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए समकालीन विशेषता को ग्रहण किया है। इसके साथ ही कई ऐसे पश्चिमी और भारतीय नाम हैं जिन्होंने रंगमंच और अभिनय को हर बार एक नए मुहावरे, सिद्धांत, पद्धति एवं शैली आदि में विवेचित और विश्लेषित कर रहे हैं।

वर्तमान में अभिनय का स्वरूप-

वर्तमान समय में अभिनय के अनुकरण में कड़ा विरोध दिखाई देता है। आजकल के अनेक अभिनेताओं का मत है किसी भी अभिनेता को किसी भी अभिनेता का अभिनय पद्धति का अनुकरण नहीं करना चाहिए। इस संबंध में कुछ नाट्य निर्देशकों का कहना है कि- अभिनेता को किसी भी अभिनय शैली में बांध कर नहीं रहना चाहिए। नाट्यप्रयोक्ता ऐसे अभिनेता से बहुत चिढ़ते हैं जो उनका या किसी अन्य अभिनेता का अनुकरण करके अभिनय करते हैं। एक अच्छे अभिनेता को संसार के सब नाटकों की सब भूमिकाओं के लिए तैयार रहना चाहिए और यदि यह न हो सके तो अपनी प्रकृति के अनुसार भूमिकाओं के लिए निश्चित प्रणाली ढूँढ़ निकालनी चाहिए और अपने को स्वयं शिक्षित करते रहना चाहिए।

भारतीय शैलीबद्ध अभिनय की विशेषता-

आज अनेक नाट्य विद्वानों ने अपनी-अपनी प्रतिभा शक्ति के अनुसार अनेक प्रकार की अभिनय प्रणालियाँ स्थापित करने का काम किया है। जैसे ब्रेख्ट की निर्लिपि अभिनय प्रणाली, मेयर होल्ड की प्रतीकवादी प्रणाली एवं स्तानिस्लवस्की की यथार्थवादी प्रणाली आदि हैं। परंतु आज अभिनय की जो प्रणाली शुरू है अथवा आज के नाट्याचार्यों का मत है कि- नाटक को प्रभावशाली बनाने के लिए अभिनेता को बहुत अधिक प्रकृतिवादी होना चाहिए और न अधिक अभिव्यंजनावादी। अंतिरंजित अभिनय तो कभी करना ही नहीं चाहिए। आजकल पाश्चात्य अभिनय प्रणाली में “चरित्राभिनय” की नीति भी चल रही है,

जिसमें एक अभिनेता किसी विशेष प्रकार के चरित्र के अभिनय में कौशल प्राप्त कर रहे हैं और सब नाटकों में उसी प्रकार की भूमिका कर रहे हैं। चलचित्रों के कारण “चरित्र अभिनेता”^{iv} बहुत बढ़ते जा रहे हैं, परंतु चरित्र अभिनय से कला की व्यापकता में संकुचितता बढ़ती है। डॉ. बाबासाहेब पोवार अपने शोध प्रबंध में वर्तमान अभिनय स्वरूप के बारे में लिखते हैं- “वर्तमान अभिनय पद्धति में अनेक कारणों से परिवर्तन दिखाई देता है, जैसे मानोविज्ञान के आधार पर चरित्र का अध्ययन तथा नाटककार द्वारा अभिनय के लिए विशिष्ट स्थानों का निर्माण, नाटक के अनेक मंचीय तत्वों के द्वारा चरित्र की विशेषताओं का उद्घाटन आदि की योजना, वर्तमान अभिनेता को नाटक के पठन, मनन, चिंतन, नाटक के विवेचित विषय संबंधी जानकारी, चर्चा आदि के उपरांत चरित्र का कथ्य, कथावस्तु का मंचीय स्वरूप, नाम, आयु, व्यवसाय, ज्ञान, अर्थ, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक स्तर तथा मंचीय तत्वों से उनका संबंध तथा चरित्र के उद्घाटन में नाट्य तत्वों का नाटककार द्वारा आधार लिया गया है अथवा नहीं, इसका अध्ययन, संवादों का पठन, स्मरण, कृतियों का संवादों से तालमेल, अभिनय संबंधी नाटककार की अपेक्षा, निर्देशक की अपेक्षा, अपनी क्षमता, नाटक के कथावस्तु के अनुसार आवश्यक अनुभूतियों के लिए निरीक्षण, अवलोकन, चरित्र के मंचीय स्वरूप की दृष्टि से उसके गुण-अवगुण पर विजय पाने का प्रयास, अभिनय की दृष्टि से शरीर, वाणी का उपयोग तथा तत्परता, अन्य मंचीय तत्वों से सहयोग, मंच संबंधी आवश्यक प्रशिक्षण तथा नाटककार निर्देशक आदि सृजनशील तत्वों की अपेक्षाओं की पूर्ति के साथ-साथ उपभोक्ता दल का पूरा समाधान करना आदि को प्रधानता देनी पड़ती है।”^v आज अनेक प्रतिभाशाली अभिनेता अपनी नूतन अभिनय शैलियों के आधार पर प्राचीन मान्यताओं एंवं मंचीय सीमाओं को लांघते नजर आ रहे हैं। वह अपने अभिनय अभ्यास से एक नई अभिनय शैली का निर्माण कर रहे जिसे वह अनुभव की अभिव्यक्ति कहते हैं।

निष्कर्ष-

हम यह कह सकते हैं कि, अभिनय एक प्रवृत्तिमूलक कला है। अर्थात्, मानव पग - पग पर अभिनय करता है परंतु नाटक का “अभिनय” जब हम देखते हैं तो यह एक “परकाया प्रवेश” है, किंतु उसके लिए बड़ी गंभीरता और गहराई के साथ अध्ययन की भी आवश्यकता है। क्योंकि किसी नाटककार के विचार सही रूप में और सही ढंग से दर्शकों तक पहुँचाने के लिए आंगिक अभिनय के साथ वाचिक, सात्त्विक और आहार्य अभिनय का भी विचार करना पड़ता है। भारतीय अभिनय परंपरा में आंगिक, वाचिक, सात्त्विक और आहार्य, यह चार अभिनय के प्रकार प्रकट हुए हैं तो पाश्चात्य अभिनय प्रणाली में मुखमुद्रा, शरीर भंगिमा गति, वाणी, वेग आदि महत्वपूर्ण गुण उभर कर आए हैं। तो वही एशियाई रंगमंच कई एशियाई देशों के साथ एक आम नाट्य रूपों को साझा करती हैं। नाट्य रूपों की समानता एशियाई रंगमंच में एक ऐसा प्रमुख कारक है जहां रंगमंच स्वतंत्र रूप से विकसित होता है, इसकी बुनियादी नाटकीय सिद्धांत एक दूसरे से समानता रखता दिखाई देता है। एशियाई नाटक मूलतः एक नृत्य-नाटिका है। जिसकी जड़ें एशिया के प्राचीन शास्त्रीय नृत्यों से हैं। जैसे जापान का नोह और काबुकी, चीन का पीकिंग औपेरा एंवं जवानिंज इन्डोनेशिया में प्रचलित व्यंगकुलित छाया पुतुल आदि के अभिनय अधिक अभिव्यक्ति मुलक तथा उसके गति एंवं चारी अत्यधिक शैलीगत दिखाई देता है। परंतु पाश्चात्य अभिनय प्रणाली में अनेक नाट्याचार्यों ने अपनी एक अलग अभिनय

की अवधारणा बनाने की कोशिश की है। जैसे शेक्सपियर का लयबद्ध वाचिक अभिनय, स्तानिसलवस्की का यथर्थवादी अभिनय, गार्डन क्रेग का व्याख्यात्मक सृजनशील अभिनय, मैयर होल्ड का प्रतीकवादी अभिनय और ब्रेख्ट का निर्लिप्त अभिनय आदि हैं।

इस प्रकार अभिनय, अभिनेता का अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। अभिनेता एक समुदायिक प्राणी है और कला समुदाय की अभिव्यक्ति का एक रूप, जो समुदाय के भीतर से ही उभरता है। अलग-अलग समुदाय के रहन-सहन, उसके खान-पान, उसके वेश-भूषा आदि के आधार पर अभिनेताओं के अभिनय या कला की अभिव्यक्ति के रूप में एक शैती का निर्माण होता है, जिसे हम शैलीकरण या शैलीबद्ध कहते हैं।

संदर्भ ग्रंथ-

1. वासिष्ठ, कमल. (2014). आधुनिक अभिनय में नाट्य शास्त्रीय अवदान. भोपाल : मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी.
2. जैन, नेमिचन्द्र. (2020). रंग परम्परा भारतीय नाट्य में निरन्तरता और बदलाव. नई दिल्ली : वाणी प्रकाशन.
3. भारती, ओमप्रकाश. (2007). लोकायन. साहिबाबाद : धरोहर प्रकाशन.
4. सिंह, रणवीर. (2022). पारसी थिएटर. नोएडा : सेतु प्रकाशन प्रा. लि.
5. भारती, ओमप्रकाश. (2007). बिहार के पारम्परिक नाट्य. उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश.
6. अंकुर, देवेन्द्रराज. एंवं आनंद, महेश. (संपा.). (2008). रंगमंच के सिद्धांत. नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन.
7. अग्रवाल, अर्चना. (2007). नाट्यशास्त्रीय अभिनय : सिद्धान्त एंवं प्रयोग. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी
8. दास, विधु खेरे. (2018). एक्टिंग क्रिया 11. इलाहाबाद : इंक पब्लिकेशन.
9. कुमार, अरविन्द. (2012). अभिनय की शास्त्रीयता. वाराणसी : मनीष प्रकाशन.
10. चाक्यार, मणि माधव. (2016). नाट्यकल्पद्रुम. नई दिल्ली : संगीत नाटक अकादमी.
11. प्रसन्न. (2021). अभिनय की भारतीय पद्धति. नई दिल्ली : राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय.
12. भार्गव, भारतरत्न. (2020). भारतीय नाट्य परम्परा और आधुनिकता. नई दिल्ली : नयी किताब प्रकाशन.
13. ओझा, दशरथ. (1959). नाट्य समीक्षा. नई दिल्ली : नेशनल पब्लिशिंग हाउस.
14. गुन्देचा, संगीता. (2012). नाट्यदर्शन. नई दिल्ली : वाणी प्रकाशन.
15. चतुर्वेदी, ब्रजमोहन. (2022). नाट्यशास्त्रम्. नई दिल्ली : विद्यानिधि प्रकाशन.
16. द्विवेदी, हजारीप्रसाद. एंवं द्विवेदी, पृथ्वीनाथ. (1993). नाट्यशास्त्र की भारतीय परम्परा और दशरूपक. नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन.

ⁱ नाट्यशास्त्र, भाग – 1, भरतमुनि

ⁱⁱ शैलीबद्ध अभिनय के संदर्भ में - नृत्य, संगीत वाद्ययंत्र आदि का बजाना, नाट्यशास्त्र, भरतमुनि

ⁱⁱⁱ भार्गव, भारतरत्न. (2020). भारतीय नाट्य परम्परा और आधुनिकता. दिल्ली : नई किताब प्रकाशन. पृष्ठ संख्या 96.

^{iv} कैरेक्टर अँक्टर

^v वर्तमान अभिनय, शोध प्रबंध, डॉ. बाबा साहब पोवाड़

Manuscript Timeline

Submitted : February 26, 2024 Accepted : March 03, 2024 Published : March 31, 2024

Women Discourse in 21st Century Hindi Literature : Rewriting Narratives of Identity and Resistance

Dr. Akanksha Mohan¹

Abstract

The 21st century marks a significant shift in the portrayal of women in Hindi literature, reflecting both a departure from traditional roles and a critique of patriarchal norms. This research article delves into the complexities of female representation, examining themes of identity, sexuality, modernity, and political activism. It explores how contemporary writers challenge and reinterpret historical and mythological narratives, while also addressing the intersectionality of caste and gender. The rise of Dalit feminism and LGBTQ+ narratives in Hindi literature further adds to the diverse voices shaping the discourse on women. This study reviews the works of prominent authors, offering insights into how 21st-century Hindi literature empowers and redefines women through a feminist lens.

Introduction

The discourse on women in Hindi literature has undergone a profound transformation in the 21st century. This era has witnessed a significant expansion in the range of issues explored by writers, with gender emerging as a key theme. While the depiction of women in earlier Hindi literature often confined them to traditional roles—typically as mothers, wives, or dutiful daughters—the 21st century has seen women reclaiming their voices and identities. Contemporary Hindi literature not only questions patriarchy but also addresses issues of sexuality, modernity, intersectionality, and political activism, offering a complex portrayal of women. This paper aims to analyze the multifaceted discourse surrounding women in 21st-century Hindi literature by exploring the works of key authors. It examines how themes like individuality, sexuality, and bodily autonomy have taken center stage and how the feminist reimagination of mythological figures provides new insights into historical gender roles. Furthermore, the article looks into the contributions of Dalit feminists and LGBTQ+ writers in reshaping the gender discourse in Hindi literature.

Historical Context : From Tradition to Transformation

To understand the shift in women's discourse in 21st-century Hindi literature, it is essential to examine its historical roots. Traditionally, female characters in Hindi literature were often confined to passive roles that mirrored

¹ Chandan Vihar, West Sant Nagar, Burari, New Delhi - 110084

Contact : 9657576257, Email : akisinha91@gmail.com

societal expectations. Stories from the Bhakti movement, for example, glorified women's sacrifice and devotion, while early 20th-century writers like **Premchand** offered nuanced portrayals but still framed women within the boundaries of family and duty.

The late 20th century, however, saw the rise of feminist voices like **Manu Bhandari** and **Krishna Sobti**, who began to question these traditional portrayals. The writings of these authors laid the foundation for the feminist discourse that would shape the literature of the 21st century. **Manu Bhandari**'s works, such as *Aapka Bunty*, offer a critique of patriarchy, focusing on the emotional turmoil of women navigating marital breakdowns and societal expectations. This shift continued to grow, leading to the emergence of more complex female characters in the modern era, who grapple with issues of identity, autonomy, and agency.

Identity and Individuality in Contemporary Literature

A central theme in 21st-century Hindi literature is the quest for identity and individuality. Modern female protagonists in Hindi literature are not passive observers but active agents of their own lives, often struggling with the contradictions between societal expectations and personal desires. The search for identity, often intertwined with existential crises, is a recurring motif in works by authors like **Mridula Garg**, **Geetanjali Shree**, and **Anamika**.

In **Geetanjali Shree**'s *Mai*, for instance, the protagonist wrestles with her role as a mother and daughter while questioning her own desires and aspirations. The novel subverts the traditional depiction of motherhood, presenting it not as an all-encompassing role but as one aspect of a multifaceted life. Similarly, **Mridula Garg**'s *Kathgulab* explores themes of desire and independence, showcasing women who resist the confines of marriage and domesticity.

Such narratives reflect a broader trend in contemporary Hindi literature—women asserting their individuality and carving out spaces for themselves in both private and public spheres. This exploration of identity extends to their participation in the professional world, a theme increasingly prominent in the context of urbanization and globalization.

Urbanization and Modernity : The Dual Burden

With the rapid urbanization and modernization of Indian society, contemporary Hindi literature often portrays women navigating the pressures of professional and familial responsibilities. In **Alka Saraogi**'s *Kalikatha: Via Bypass*, the female protagonist struggles to balance her work life with the traditional expectations imposed on her by family and society. The tension between modernity

and tradition is palpable in such narratives, highlighting the dilemmas faced by women in urban India.

While modernity offers new opportunities for financial independence and professional fulfillment, it also imposes new forms of alienation. **Usha Priyamvada's** *Peele Patton Ka Ban* addresses the loneliness of urban women, particularly those who live in nuclear families away from their traditional support systems. The characters often find themselves trapped between their desire for independence and the societal pressures to conform to established norms of femininity and family life.

This dual burden of modernity—liberation on one hand and alienation on the other—becomes a recurring theme in contemporary Hindi literature. As women step into public spaces and professions, they encounter not only new freedoms but also new forms of societal resistance, creating complex emotional and psychological landscapes.

Sexuality and Bodily Autonomy

One of the most significant shifts in 21st-century Hindi literature is the unapologetic exploration of women's sexuality and bodily autonomy. Writers like **Savitri Rai**, **Nirmala Putul**, and **Nirmal Verma** have foregrounded women's desires, challenging traditional taboos around female sexuality.

In **Savitri Rai's** *Ek Aur Prem Kahani*, for example, the protagonist engages in a romantic relationship outside of marriage, a bold departure from conventional portrayals of female virtue. The novel delves into the emotional and physical dimensions of intimacy, challenging societal norms that often silence women's sexual agency. Similarly, **Nirmala Putul**, a tribal poet, brings attention to the everyday struggles of tribal women, emphasizing their resistance to sexual exploitation while celebrating their bodily autonomy.

Moreover, the themes of menstruation, reproductive rights, and sexual violence are explored candidly, reflecting the growing influence of feminist and human rights discourses. **Meena Kandasamy** and **Bama** are among those whose works discuss bodily autonomy in the context of both caste and gender, adding an important layer to the conversation on women's rights.

Queer and Non-binary Narratives in Hindi Literature

The 21st century has also witnessed an increase in the representation of queer and non-binary identities in Hindi literature. Authors like **Suniti Namjoshi** and **Kiran Desai** have started to introduce characters who challenge heteronormative and binary notions of gender and sexuality.

Queer representation in Hindi literature marks a significant departure from earlier periods when such themes were either ignored or treated with stigma. Contemporary works explore the fluidity of gender and the complexities of non-heteronormative love. These narratives not only provide visibility to LGBTQ+ communities but also question rigid definitions of femininity and masculinity, thereby expanding the feminist discourse in Hindi literature.

For instance, **Suniti Namjoshi's** work highlights the experiences of queer women, challenging conventional notions of love, marriage, and desire. These narratives provide new perspectives on the intersectionality of gender, sexuality, and identity, broadening the scope of what constitutes womanhood in Hindi literature.

Feminist Reinterpretation of Mythology and History

A significant trend in contemporary Hindi literature is the feminist reinterpretation of mythology and history. Traditionally, figures like Sita, Draupadi, and Ahalya were depicted in patriarchal narratives as passive sufferers of their fate. However, 21st-century writers like **Mithilesh Mishra**, **Geetanjali Shree**, and **Kavita Kane** have reimagined these figures, presenting them as empowered and independent women.

In **Mithilesh Mishra's** reinterpretation of the *Ramayana*, for instance, Sita is no longer the silent and obedient wife but an assertive woman who questions Rama's actions and the societal expectations placed on her. Similarly, **Kavita Kane's** novel *Ahalya's Awakening* reimagines Ahalya's narrative from the *Ramayana*, depicting her as a woman of agency rather than a victim of a curse.

These feminist retellings challenge the patriarchal versions of mythological stories, offering new perspectives on ancient narratives. By giving voice to the women who have been silenced or marginalized in traditional myths, these authors are contributing to a broader rethinking of history and gender roles.

Dalit Feminism and Intersectionality

Dalit feminism, a crucial part of the feminist discourse in India, has gained prominence in Hindi literature, especially in the 21st century. Writers like **Kusum Meghwal** and **Bama** highlight the intersecting oppressions of caste and gender, offering narratives that challenge both the mainstream feminist movement and the Dalit movement for sidelining gender issues.

In her novel *Sangati*, **Bama** focuses on the lives of Dalit women, showcasing the systemic oppression they face due to both their caste and their gender. Similarly, **Kusum Meghwal's** poetry sheds light on the daily struggles of Dalit women, who are doubly marginalized by society. These writers argue that the feminist movement

must address caste oppression to be truly inclusive, making Dalit feminism a powerful voice in contemporary Hindi literature.

Political Activism and Women's Voices

The portrayal of women as active agents of social and political change is another important theme in 21st-century Hindi literature. The literature of this era reflects women's involvement in political movements, protests, and activism, often in response to issues like sexual violence, labor rights, and caste discrimination.

Anamika's poetry, for example, frequently touches on themes of resistance and resilience, with women characters who actively challenge societal norms. Similarly, post-Nirbhaya literature has seen a surge in works addressing gender-based violence, reflecting the anger and activism that arose after the 2012 Delhi gang rape.

The political engagement of women in literature is not limited to their participation in formal movements but also includes their everyday acts of resistance against societal and patriarchal norms. Contemporary Hindi literature portrays women who defy their traditional roles to become agents of change, contributing to a broader discourse on social justice and equality.

Literature Review : Women Discourse in 21st Century Hindi Literature

The portrayal of women in 21st-century Hindi literature reflects evolving societal norms, feminist movements, and the ongoing struggles of women for identity and empowerment. A review of critical works in this field shows a clear shift from the stereotypical roles of women in earlier literature to more complex, layered, and independent female characters. The works of contemporary authors explore a wide range of issues related to gender, patriarchy, sexuality, and identity, offering fresh perspectives on the discourse around women in Hindi literature.

1. Historical Context and Transition

In early Hindi literature, female characters were often depicted within the constraints of traditional roles—largely as mothers, wives, or daughters who adhered to societal expectations. Works of the Bhakti movement and later progressive writers like Premchand in the early 20th century began questioning these fixed roles, but the shift towards a more nuanced portrayal of women became prominent in the late 20th and 21st centuries. **Mridula Garg**, in her book *Kathgulab*, examines women's emotional needs, questioning the patriarchal structures of marriage. Similarly, **Mannu Bhandari** in *Aapka Bunty* dissects the pain and confusion of a child caught between the separation of his parents, focusing on the impact of societal structures on women and their families.

2. Feminist Critique of Patriarchy and Gender Roles

Modern feminist literature in Hindi critically interrogates patriarchal oppression and redefines the roles women are expected to play. **Prabha Khetan**, in her autobiography *Anya se Ananya*, provides an intimate view of how women's voices are often stifled by society, focusing on the inner emotional landscape of women living in a patriarchal setup. **Usha Priyamvada**'s works, including *Peele Patton ka Ban*, explore the loneliness and struggles of women in urban settings, trapped between the desire for independence and the pressures of tradition.

3. Modernity and Urbanization

The conflict between traditional values and the pressures of modernization is a significant theme in contemporary Hindi literature. **Alka Saraogi**, in her novel *Kalikatha: Via Bypass*, highlights how globalization and urbanization create new tensions for women, particularly as they navigate the complexities of professional life, marriage, and individual aspirations. The female protagonists are often caught between traditional expectations and the emerging possibilities of the modern world, reflecting the challenges of urban women trying to balance personal and professional lives.

4. Sexuality and Bodily Autonomy

Contemporary Hindi literature also explores the themes of bodily autonomy and sexual liberation. The once-taboo subjects of women's sexual desires, reproductive rights, and menstruation are being discussed more openly. **Savitri Rai**, in her novel *Ek Aur Prem Kahani*, challenges traditional notions of purity and love, providing a female perspective on emotional and physical intimacy. **Nirmala Putul**'s poetry, rooted in tribal experiences, brings to light the struggles of tribal women with patriarchy and sexual violence, while also celebrating their resilience and resistance.

5. Queer and LGBTQ+ Representation

The discourse on women's issues in Hindi literature has expanded to include LGBTQ+ narratives, a domain that was previously marginalized. **Suniti Namjoshi** and other writers have started introducing characters who challenge traditional gender norms, exploring themes of sexual identity, queer love, and societal rejection. These narratives provide new frameworks for understanding gender, showing how it intersects with social hierarchies and expectations.

6. Feminist Reinterpretation of Mythology

Feminist reinterpretations of historical and mythological figures are a prominent trend in 21st-century Hindi literature. Authors like **Mithilesh Mishra** and **Geetanjali Shree** have reimaged characters like Draupadi and Sita, presenting them as strong, independent women rather than passive victims of fate. This

reimagining of women's roles in mythology reflects the growing feminist discourse that aims to empower women by reclaiming historical narratives.

7. Dalit Feminism and Intersectionality

The literature of Dalit women has brought to the fore the intersection of caste and gender oppression. Writers like **Kusum Meghwal** and **Bama** have played a significant role in highlighting the specific struggles of Dalit women, who face both caste-based and gender-based marginalization. Dalit feminist literature critiques both the mainstream feminist movement for ignoring caste issues and the Dalit movement for sidelining gender issues, creating a space for more inclusive feminist thought.

8. Political Activism and Social Movements

In recent years, women in Hindi literature have become more politically engaged, both as characters and as authors. They are depicted as active participants in social movements, from protests against sexual violence to fighting for labor rights and social justice. The feminist movement in India, particularly post-Nirbhaya, has influenced literature to reflect the activism surrounding issues like gender-based violence, women's safety, and equal rights.

9. Mediums of Expression : Short Stories and Poetry

The short story and poetry have emerged as powerful mediums for expressing women's experiences and resistance. Writers like **Mamta Kalia** and **Anamika** have used these formats to present fragmented yet intense reflections on everyday life. Their works capture the emotional turmoil, societal constraints, and subtle resistance that women enact in their daily lives. **Anamika**'s feminist poetry brings out the inner voice of women that often goes unheard, blending personal struggles with broader social commentaries.

Research Methodology

This research on the discourse surrounding women in 21st-century Hindi literature employs a qualitative approach, utilizing textual analysis as the primary method to examine the representation of women in literary works. This study is based on an exploratory design aimed at understanding how the portrayal of women in Hindi literature has evolved in the 21st century. It examines various themes such as identity, sexuality, gender roles, modernity, and political activism, which are critical to feminist discourse. A feminist lens is applied to assess the narratives, focusing on the intersections of gender, caste, and sexuality. The research methodology combines textual analysis, feminist theory, and comparative approaches to provide a comprehensive understanding of the evolving discourse on women in 21st-century Hindi literature. By selecting relevant literary works and applying feminist and intersectional frameworks, the study aims to uncover the ways in which

contemporary authors challenge traditional portrayals of women and offer new feminist narratives.

Conclusion

The discourse on women in 21st-century Hindi literature reflects a dynamic, evolving narrative that moves beyond traditional gender roles to explore the complexities of identity, sexuality, modernity, and political engagement. Contemporary Hindi writers, influenced by feminist thought, have broadened the portrayal of women to include diverse voices, from Dalit women to LGBTQ+ identities.

Through reimagining mythology, challenging societal norms, and asserting bodily autonomy, these writers are reshaping the landscape of Hindi literature. Their works highlight the struggles, triumphs, and ongoing resistance of women in a rapidly changing world. As such, 21st-century Hindi literature serves as both a mirror and a catalyst for the broader feminist movements and social changes occurring in India today. The future of women's discourse in Hindi literature will likely continue to explore these evolving themes, with more inclusive and intersectional narratives pushing the boundaries of what it means to be a woman in modern India.

References :-

1. Bhandari, Mannu. (2002). *Aapka Bunty*. New Delhi : Rajkamal Prakashan.
2. Garg, Mridula. (2005). *Kathgulab*. New Delhi : Rajkamal Prakashan.
3. Priyamvada, Usha. (2001). *Peele Patton Ka Ban*. New Delhi : Vani Prakashan.
4. Saraogi, Alka. (1998). *Kalikatha: Via Bypass*. New Delhi : Rajkamal Prakashan.
5. Shree, Geetanjali. (1994). *Mai*. New Delhi : Rajkamal Prakashan.
6. Khetan, Prabha. (2006). *Anya se Ananya*. New Delhi : Rajkamal Prakashan.
7. Rai, Savitri. (2008). *Ek Aur Prem Kahani*. New Delhi : Rajpal and Sons.
8. Putul, Nirmala. (2010). *Nari Shakti aur Tribal Women*. New Delhi : Rajkamal Prakashan.
9. Mishra, Mithilesh. (2016). *Ramayana Reimagined: Feminist Perspectives*. New Delhi : Vani Prakashan.
10. Kane, Kavita. (2014). *Ahalya's Awakening*. New Delhi : Rupa Publications.
11. Meghwal, (2018). *Kusum. Dalit Women's Voices*. New Delhi : Vani Prakashan.
12. Anamika. (2010). *Kavita Ke Pankh: Feminist Poetry Anthology*. New Delhi : Rajkamal Prakashan.
13. Verma, Nirmal. (1989). *Ve Din*. New Delhi : Rajkamal Prakashan.
14. Shukla, Uday Prakash. (2017). *Hindi Literature: Feminist Discourse in the 21st Century*. New Delhi : Vani Prakashan.

Manuscript Timeline

Submitted : March 13, 2024 Accepted : March 19, 2024 Published : March 31, 2024

Climate Change and Multidimensional Poverty in India : A Comparative Study of Coastal vs. Uttarakhand Vulnerabilities

Ms. Bhavya Bhagat¹

Abstract

India is one of the most vulnerable countries to climate change, with distinct regional variations in its impacts. This paper examines the nexus between climate change and multidimensional poverty (MP) in two geographically and socioeconomically distinct regions of India: the coastal areas and the Himalayan state of Uttarakhand. While both regions face significant climate-related challenges, their vulnerabilities differ due to their unique ecological, economic, and demographic characteristics. Coastal regions experience the direct impacts of rising sea levels, extreme weather events, and saltwater intrusion, while Uttarakhand is prone to flash floods, landslides, and glacial melt. By analysing these vulnerabilities through the lens of multidimensional poverty, this paper explores how climate change exacerbates existing socioeconomic disparities in these regions. We argue that understanding these vulnerabilities requires a comprehensive, region-specific approach to both climate adaptation and poverty alleviation.

Keywords :- Climate Change, Multidimensional Poverty, India, Coastal Vulnerabilities, Uttarakhand, Climate Adaptation, Poverty Alleviation, Regional Differences

Introduction-

Climate change has become one of the most pressing issues of our time, with significant impacts on environmental, social, and economic systems. India, with its varied geography, is especially vulnerable, facing a range of climate-induced challenges such as rising sea levels and cyclones in coastal regions, and glacial retreat and landslides in mountainous states like Uttarakhand. These changes pose serious threats to livelihoods, health, and living standards, especially for populations already affected by poverty.

Multidimensional poverty goes beyond income, encompassing deprivations in areas like health, education, and living standards. Climate change worsens these deprivations, often disproportionately affecting vulnerable communities. Coastal areas experience intensified risks to agriculture and fishing, while Uttarakhand faces barriers

¹ Assistant Professor, S.M.J.N.(P.G.) College, Haridwar, Sri Dev Suman Uttarakhand University. Mob- 8171883549; Email- bhagatbhavya14@gmail.com

to essential services and frequent disruptions in tourism and agriculture due to environmental degradation. Addressing multidimensional poverty in these areas requires a region-specific understanding of climate-induced vulnerabilities.

Problem Statement-

Despite growing awareness of climate change's impacts, research often overlooks its distinct effects on multidimensional poverty, particularly across varied regions. Coastal regions experience frequent cyclones and flooding, resulting in displacement and health risks, while Uttarakhand grapples with glacial melt and landslides that isolate communities and hinder access to services. However, little research compares these unique climate vulnerabilities and their effects on multidimensional poverty. This study aims to bridge that gap by examining the differential impacts of climate change on poverty dimensions in these two regions of India.

Purpose and Objectives-

The purpose of this study is to analyse how climate change impacts multidimensional poverty in coastal areas and Uttarakhand. Using secondary data, the study will compare regional climate-related challenges and assess their effects on poverty, particularly on health, education, and living standards.

Objectives-

1. To identify and examine the specific climate-induced challenges in coastal areas and Uttarakhand.
2. To assess the impact of these challenges on various dimensions of poverty.
3. To propose targeted policy recommendations to address region-specific climate vulnerabilities.

Importance of the Study-

This research is valuable for several reasons:

1. Informed Policy Making: By identifying distinct climate vulnerabilities, this study provides insights to design targeted policies that address specific regional needs, supporting effective poverty alleviation.
2. Expanding Multidimensional Poverty Research: It highlights the complex ways in which climate change intersects with various poverty dimensions, urging policies that look beyond income alone.
3. Regional Comparison for Contextualized Interventions: The comparative approach enables nuanced insights into how different geographic contexts influence poverty, informing resource allocation to vulnerable areas.

Research Gap-

- Limited Regional Focus: While some studies address climate change and poverty in India, few analyse the contrasting vulnerabilities of coastal areas versus mountainous regions like Uttarakhand.
- Specific Analysis on Multidimensional Poverty: Existing research often examines economic losses without considering other dimensions of poverty, such as access to education, healthcare, and living standards, which are critical for holistic poverty alleviation.
- Need for Secondary Data Synthesis: Although extensive secondary data is available, there is a gap in synthesizing this information to draw specific conclusions on regional disparities due to climate change in India.

Theoretical Background-

India's vulnerability to climate change is well-documented. The country is already experiencing rising temperatures, shifting rainfall patterns, more frequent and intense storms, and the gradual melting of Himalayan glaciers. These changes impact agriculture, water resources, and livelihoods, especially in rural and marginalized communities.

The concept of multidimensional poverty (MP) goes beyond income and looks at various factors contributing to poverty, such as access to clean drinking water, sanitation, education, and healthcare. India has made significant progress in reducing income poverty, but multidimensional poverty remains widespread, particularly in rural and vulnerable areas. The latest data from the Global Multidimensional Poverty Index (MPI) reveals that nearly 27% of India's population lives in multidimensional poverty. However, the impacts of climate change exacerbate these disparities, as poorer communities are often less equipped to cope with environmental stresses and have fewer resources for adaptive strategies.

Research Methodology-

Research Design: Descriptive and comparative analysis using secondary data sources.

Data Collection: Data collection has been done from various sources such as-

- Multidimensional Poverty Index (MPI) data from the UNDP.
- Climate change reports from IPCC, India Meteorological Department (IMD), and Ministry of Environment, Forest and Climate Change.
- Regional studies and case studies from published research, governmental and non-governmental reports, and policy briefs.

- Data on Poverty Indicators: MPI indicators such as nutrition, child mortality, years of schooling, and living standards across both regions.


- Data on Climate Indicators: Frequency and severity of natural disasters, temperature and rainfall patterns, sea-level rise for coastal regions, and glacier melting for Uttarakhand.

Data Analysis: Comparative analysis across poverty dimensions, identifying correlations between climate-related events and deprivations in health, education, and living standards.

Climate Change Vulnerabilities in Coastal Regions of India-

Coastal regions in India are increasingly vulnerable to climate change impacts, including rising sea levels, extreme weather, and ecosystem disruptions. These areas, home to millions, rely on agriculture, fishing, and tourism, which are at high risk. Degradation of natural barriers like mangroves, coral reefs, and wetlands worsens their vulnerability by reducing protection against storms and flooding. The rising frequency of cyclones, coastal erosion, and saltwater intrusion threaten food and water security. Additionally, global warming impacts marine biodiversity, such as coral bleaching and declining fish stocks, further stressing local economies. Urgent adaptation measures and climate-resilient policies are needed to protect coastal populations and livelihoods.

Key Vulnerabilities in Coastal Regions of India are



Climate Change Vulnerabilities in Uttarakhand-

Uttarakhand, in northern India, is highly vulnerable to climate change due to its mountainous terrain and sensitive ecosystems. The region faces challenges such as unpredictable rainfall, rising temperatures, and more frequent extreme weather events like floods, landslides, and droughts. Melting glaciers in the Himalayas, which feed the

state's rivers, are altering water flow and availability, threatening communities and agriculture. Thawing glaciers and permafrost also increase the risk of glacial lake outbursts, potentially causing devastating floods. Additionally, shifting temperatures and rainfall patterns threaten local biodiversity, including rare species, and disrupt agriculture, a key livelihood. With its economy reliant on agriculture, tourism, and hydropower, Uttarakhand's ability to adapt is crucial for both its people and ecosystems. Key Vulnerabilities in Uttarakhand are-



Comparative Analysis : Coastal vs. Uttarakhand Vulnerabilities-

The table below presents a comparative analysis of climate vulnerabilities in coastal regions of India and Uttarakhand, focusing on how these environmental challenges intersect with multidimensional poverty. It highlights the impacts on various poverty dimensions, including health, education, economic resources, and social inclusion.

Aspect	Coastal Regions of India	Uttarakhand
Climate Vulnerability	Rising sea levels, cyclones, coastal erosion, saltwater intrusion, loss of biodiversity, and extreme weather events (floods, storms).	Glacial retreat, landslides, floods, droughts, erratic rainfall, and rising temperatures.
Poverty Dimension: Health	- Increased health risks due to flooding (waterborne diseases, vector-borne diseases like malaria, dengue).	- Increased health risks from extreme weather events, landslides, and floods. - Higher incidence of waterborne

	<ul style="list-style-type: none"> - Saltwater intrusion affecting freshwater availability, leading to dehydration and malnutrition. 	diseases due to disrupted water supply and sanitation.
Poverty Dimension: Education	<ul style="list-style-type: none"> - Schools in coastal areas often disrupted by extreme weather events, reducing access to education. - Coastal flooding may damage educational infrastructure. 	<ul style="list-style-type: none"> - Schools in hilly, flood-prone areas often closed during extreme weather, leading to learning losses. - Displacement due to landslides or floods results in children being unable to attend school.
Poverty Dimension: Living Standards	<ul style="list-style-type: none"> - Coastal erosion and flooding damage homes and infrastructure, forcing people into informal settlements or displacement. - Rising sea levels may lead to the loss of land, reducing living space and economic assets. 	<ul style="list-style-type: none"> - Damage to homes and livelihoods from floods and landslides. - Loss of agricultural land and forest resources due to temperature rise and erratic weather. - Increased cost of living due to disrupted supply chains.
Poverty Dimension: Economic Resources	<ul style="list-style-type: none"> - Loss of livelihoods for coastal communities dependent on fishing and agriculture. - Disruption in tourism (often a primary industry in coastal regions) due to climate-induced damage to ecosystems like coral reefs. 	<ul style="list-style-type: none"> - Decreased agricultural productivity due to erratic rainfall, crop failures, and changing growing seasons. - Impact on hydropower generation due to altered river flows and water availability. - Reduced income from tourism as natural landscapes degrade.
Poverty Dimension: Social Inclusion	<ul style="list-style-type: none"> - Vulnerable communities, including low-income fishing and farming households, are disproportionately impacted. - Social exclusion due to displacement from coastal areas and loss of livelihoods. 	<ul style="list-style-type: none"> - Rural communities, especially those dependent on agriculture, face marginalization due to changing climate conditions. - Increased migration from rural areas to urban centers due to climate impacts, causing social strain and inequality.
Adaptation Capacity	<ul style="list-style-type: none"> - Limited access to climate-resilient infrastructure and technologies. - Inadequate disaster preparedness and response mechanisms in many coastal areas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Vulnerability due to poor infrastructure and limited adaptive capacity in remote, hilly regions. - Lack of robust agricultural systems to deal with changing weather patterns.
Displacement and Migration	<ul style="list-style-type: none"> - Coastal communities face displacement due to sea-level rise and extreme weather, contributing to rural-to-urban migration. - Loss of traditional livelihoods increases migration pressures. 	<ul style="list-style-type: none"> - Increased internal migration due to floods, landslides, and damage to agricultural land. - Communities may face displacement into already overcrowded urban areas.
Vulnerability of Women & Children	<ul style="list-style-type: none"> - Women in coastal areas may face increased burdens due to disrupted livelihoods and displacement, while children suffer from interrupted schooling and health impacts. 	<ul style="list-style-type: none"> - Women, often responsible for household tasks, face disproportionate impacts from extreme weather events. - Children in affected areas miss out

		on education, which hampers long-term development prospects.
Overall Impact on Multidimensional Poverty	<ul style="list-style-type: none"> - The vulnerabilities of coastal regions intersect with multidimensional poverty by exacerbating economic, health, education, and housing challenges. - Vulnerable groups face worsening living conditions, limited access to social services, and increased economic insecurity. 	<ul style="list-style-type: none"> - Uttarakhand's vulnerabilities deepen multidimensional poverty by limiting access to food, water, shelter, and livelihoods. - Climate impacts undermine efforts for poverty alleviation, particularly in rural and remote areas.

Summary-

- **Coastal Regions** face vulnerabilities primarily due to sea-level rise, flooding, and loss of ecosystems that affect both livelihoods and living standards, further exacerbating multidimensional poverty, especially for marginalized groups.
- **Uttarakhand** faces similar vulnerabilities (flooding, landslides, and agricultural disruptions) but also suffers from the effects of glacial retreat, leading to water scarcity and economic instability, particularly for rural communities dependent on agriculture and tourism.

Both regions require targeted adaptation strategies to mitigate the intersection of climate impacts and poverty, including building resilient infrastructure, improving access to education and healthcare, and enhancing adaptive capacity at the community level.

Case studies-

Case Study	Climate Vulnerability	Poverty Dimensions Affected	Key Long-term Consequences
The Sundarbans West Bengal (Coastal)	<ul style="list-style-type: none"> - Rising sea levels. - Increased frequency of cyclones. - Saltwater intrusion into freshwater sources. - Coastal erosion and flooding. 	Health: Waterborne diseases (diarrhea, cholera), respiratory issues from pollution. Livelihoods: Loss of fishing and agriculture due to salinity. Housing: Destruction of homes from flooding and erosion, displacement. Economic: Reduced income from fisheries, agriculture, and tourism.	- Displacement: Increased rural-to-urban migration due to loss of livelihoods. - Social Exclusion: Vulnerable groups (women, children) suffer disproportionately. - Cycle of Poverty: Economic instability, lack of access to basic services, and rising costs of living in urban slums.
Chamoli District Uttarakhand (Mountainous)	<ul style="list-style-type: none"> - Glacial retreat and water stress. - Landslides and flash floods. - Erratic 	Health: Increased waterborne diseases (due to contaminated water supply), injuries from landslides and floods. Livelihoods: Loss of crops, destruction of agricultural	- Migration: Loss of livelihoods leads to rural-urban migration. - Poverty Trap: Continued economic decline, with limited resources for rebuilding

	rainfall, leading to droughts and irregular crop cycles.	land. Education: School closures and disruptions due to floods and landslides. Economic: Loss of income from agriculture and tourism, reduced hydropower generation.	or adaptive measures. - Vulnerability: Reduced agricultural resilience and limited capacity for community-level adaptation.
Kosi Village Uttarakhan d (Mountainous)	- Landslides and flash floods. - River course shifts. - Increased frequency of extreme weather events (heavy rainfall).	Housing: Loss of homes and infrastructure due to floods and landslides. Livelihoods: Decreased agricultural productivity due to river alterations and climate stress. Social Inclusion: Marginalization due to displacement; migration to urban areas without support networks. Economic: Decline in income from agriculture, destruction of farm infrastructure.	- Displacement: Rising displacement due to recurrent floods and landslides. - Economic Vulnerability: Communities become increasingly dependent on external aid, leading to dependency and disempowerment. - Social Fragmentation: Weakening of community ties as rural-urban migration strains resources in urban areas.
Mumbai West Bengal (Coastal)	- Rising sea levels. - Urban flooding and storm surges. - Increased frequency and intensity of cyclones. - Coastal erosion and stormwater management issues.	Health: Respiratory problems from pollution, waterborne diseases during flooding. Livelihoods: Impact on informal sector workers (street vendors, fishermen) due to flooding and cyclones. Housing: Vulnerability of informal settlements to flooding and storm surges. Economic: Loss of tourism and informal sector income, job losses in vulnerable sectors.	- Inequality: Deepened socio-economic divides, with poor communities in informal settlements hit hardest. - Rural-Urban Migration: Influx of migrants into cities, exacerbating poverty and urban slum conditions. - Economic Instability: Prolonged disruption of tourism and local businesses, contributing to poverty.

Policy Recommendations-

Based on the findings of this study, the following policy recommendations are proposed to address the dual challenges of climate change and multidimensional poverty in coastal and mountainous regions of India:

- Develop Integrated Vulnerability Assessments: Conduct region-specific vulnerability assessments that address both climate change impacts and poverty dimensions (health, education, income) to guide policy interventions and resource allocation.

- Strengthen Disaster Risk Management: Invest in early warning systems, disaster preparedness, and climate-resilient infrastructure (such as flood barriers, cyclone shelters, and landslide prevention) to reduce vulnerability to climate-induced disasters in coastal and mountainous regions.
- Promote Climate-Resilient Livelihoods: Support livelihood diversification through climate-smart agriculture, sustainable fishing practices, and eco-tourism to reduce dependence on climate-sensitive sectors and enhance economic stability.
- Expand Social Protection Programs: Strengthen cash transfer schemes, food assistance, and employment programs (e.g., MGNREGA) to provide immediate relief to vulnerable communities impacted by climate change and poverty.
- Improve Healthcare Access: Strengthen healthcare infrastructure and expand access to climate-sensitive health services to address the growing burden of waterborne, vector-borne, and respiratory diseases in vulnerable regions.
- Enhance Educational Resilience: Implement measures to keep schools open during climate events, invest in climate education, and provide remote learning solutions to reduce the educational disruptions caused by extreme weather events.
- Support Migration and Urban Planning: Create policies to manage rural-urban migration, ensuring affordable housing, sustainable urban development, and job creation** in cities to avoid the exacerbation of urban poverty.
- Focus on Marginalized Communities: Prioritize interventions targeting women, children, elderly, and marginalized groups to ensure their active participation in decision-making processes and access to resources for climate adaptation.
- Promote Cross-Sectoral Policy Coordination: Ensure better coordination between government ministries (Environment, Health, Agriculture, Urban Development) to integrate climate adaptation, poverty reduction, and sustainable development into a cohesive framework.

Conclusion-

Climate change is a significant driver of multidimensional poverty in India, and its impacts are felt differently in various regions of the country. Coastal regions face the direct threats of rising sea levels, extreme weather events, and saltwater intrusion, while Uttarakhand is dealing with glacial melt, landslides, and flash floods. Both regions are facing a worsening of poverty, with the most vulnerable populations being those already marginalized by social and economic inequalities. A region-specific approach to adaptation and poverty alleviation is essential to address these challenges effectively. By investing in sustainable livelihoods, enhancing climate

resilience, and promoting equitable development, India can better equip its vulnerable populations to cope with the climate crisis and reduce multidimensional poverty.

References-

1. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2019). *Climate change and land: An IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems*. Intergovernmental Panel on Climate Change.
2. United Nations Development Programme (UNDP). (2020). *Human development report 2020: The next frontier—Human development and the Anthropocene*. United Nations Development Programme.
3. McCarthy, J. J., Canziani, O. F., Leary, N. A., Dokken, D. J., & White, K. S. (Eds.). (2001). *Climate change: Impacts, adaptation, and vulnerability: Contribution of working group II to the third assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press.
4. Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India. (2018). *Climate change and the vulnerable Indian coast*. Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India. Retrieved from <http://www.moef.gov.in/>
5. United Nations Development Programme (UNDP). (2023). *Human development report 2023*. <https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdp-document/2023mpireporten.pdf>
6. India Meteorological Department (IMD). (2022). *Annual report 2022*. https://mausam.imd.gov.in/imd_latest/contents/ar2022.pdf
7. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2021). *Summary for policymakers: IPCC sixth assessment report, synthesis report*. https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf
8. NITI Aayog. (2023). *India national multidimensional poverty index 2023*. <https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2023-08/India-National-Multidimensional-Poverty-Index-2023.pdf>
9. Tayal, M. A. (2022). *Impact of climate change on poverty*. International Journal of Public Sector Leadership, 12(1). https://ijpsl.in/wp-content/uploads/2022/01/Impact-of-Climate-Change-on-Poverty_Meghaa-Abhishek-Tayal.pdf

NOTES FOR AUTHORS,
The Equanimist...A peer reviewed Journal

1. Submissions

Authors should send all submissions and resubmissions to theequanimist@gmail.com. Some articles are dealt with by the editor immediately, but most are read by outside referees. For submissions that are sent to referees, we try to complete the evaluation process within three months. As a general rule, **The Equanimist** operates a double-blind peer review process in which the reviewer's name is withheld from the author and the author's name is withheld from the reviewer. Reviewers may at their own discretion opt to reveal their name to the author in their review, but our standard policy is for both identities to remain concealed. Absolute technical requirements in the first round are: ample line spacing throughout (1.5 or double), an abstract, adequate documentation using the author-date citation system and an alphabetical reference list, and a word count on the front page (include all elements in the word count). Regular articles are restricted to an absolute maximum of 10,000 words, including all elements (title page, abstract, notes, references, tables, biographical statement, etc.).

2. Types of articles

In addition to Regular Articles, **The Equanimist** publishes the Viewpoint column with research-based policy articles, Review Essays, Book Review and Special Data Features.

3. The manuscript

The final version of the manuscript should contain, in this order:

- (a) title page with name(s) of the author(s), affiliation
- (b) abstract
- (c) main text
- (d) list of references
- (e) biographical statement(s)
- (f) tables and figures in separate documents
- (g) notes (either footnotes or endnotes are acceptable)

Authors must check the final version of their manuscripts against these notes before sending it to us.

The text should be left justified, with an ample left margin. Avoid hyphenation. Throughout the manuscripts, set line spacing to 1.5 or double.

The final manuscript should be submitted in MS Word for Windows.

4. Language

The Equanimist is a Bilingual Journal,i.e. English and हिन्दी. The main objective of an academic journal is to communicate clearly with an international audience.

Elegance in style is a secondary aim: the basic criterion should be clarity of expression. We allow UK as well as US spelling, as long as there is consistency within the article. You are welcome to indicate on the front page whether you prefer UK or US spelling. For UK spelling we use -ize [standardize, normalize] but -yse [analyse, paralyse]. For US spelling,-ize/-yze are the standard [civilize/analyze]. Note also that with US standard we use the serial comma (red, white, and blue). We encourage gender-neutral language wherever possible. Numbers higher than ten should be expressed as figures (e.g. five, eight, ten, but 21, 99, 100); the % sign is used rather than the word 'percent' (0.3%, 3%, 30%).Underlining (for italics) should be used sparingly. Commonly used non-English expressions, like ad hoc and raison d'être, should not be italicized.

5. The abstract

The abstract should be in the range of 200–300 words. For very short articles, a shorter abstract may suffice. The abstract is an important part of the article. It should summarize the

actual content of the article, rather than merely relate what subject the article deals with. It is more important to state an interesting finding than to detail the kind of data used: instead of ‘the hypothesis was tested’, the outcome of the test should be stated. Abstracts should be

written in the present tense and in the third person (This article deals with...) or passive (... is discussed and rejected). Please consider carefully what terms to include in order to increase the visibility of the abstract in electronic searches.

6. Title and headings

The main title of the article should appear at the top of pg. 1, followed by the author’s name and institutional affiliation. The title should be short, but informative. All sections of the article (including the introduction) should have principal subheads. The sections are not numbered. This makes it all the more important to distinguish between levels of subheads in the manuscripts – preferably by typographical means.

7. Notes

Notes should be used only where substantive information is conveyed to the reader. Mere literature references should normally not necessitate separate notes; see the section on references below. Notes are numbered with Arabic numerals. Authors should insert notes by using the footnote/endnote function in MS Word.

8. Tables

Each Table should be self-explanatory as far as possible. The heading should be fairly brief, but additional explanatory material may be added in notes which will appear immediately below the Table. Such notes should be clearly set off from the rest of the text. The table should be numbered with a Roman numeral, and printed on a separate page.

9. Figures

The same comments apply, except that Figures are numbered with Arabic numerals. Figure headings are also placed below the Figure. Example: Figure 1.

10. References

References should be in a separate alphabetical list; they should not be incorporated in the notes. Use the APA form of reference

11. Biographical statement

The biosketch in **The Equanimist** appears immediately after the references. It should be brief and include year of birth, highest academic degree, year achieved, where obtained, position and current institutional affiliation. In addition authors may indicate their present main research interest or recent (co-)authored or edited books as well as other institutional affiliations which have occupied a major portion of their professional lives. But we are not asking for a complete CV.

12. Proofs and reprints

Author’s proofs will be e-mailed directly from the publishers, in pdf format. If the article is co-authored, the proofs will normally be sent to the author who submitted the manuscripts. (corresponding author). If the e-mail address of the corresponding author is likely to change within the next 6–9 months, it is in the author’s own interest (as well as ours) to inform us: editor’s queries, proofs and pdf reprints will be sent to this e-mail address. All authors (corresponding authors and their co-authors) will receive one PDF copy of their article by email.

13. Copyright

The responsibility for not violating copyright in the quotations of a published article rests with the author(s). It is not necessary to obtain permission for a brief quote from an academic article or book. However, with a long quote or a Figure or a Table, written permission must be obtained. The author must consult the original source to find out whether the copyright is held by the author, the journal or the publisher, and contact the appropriate person or institution. In the event that reprinting requires a fee, we must have written confirmation that the author is prepared to cover the expense. With literary quotations, conditions are much stricter. Even a single verse from a poem may require permission.

THE **Equanimator**

A peer reviewed refereed journal

SUBSCRIPTION ORDER FORM

1. NAME.....
2. ADDRESS.....

.....
.....
.....
TEL.....MOB.....EMAIL.....

3. TYPE OF SUBSCRIPTION: INDIVIDUAL/INSTITUTION

4. PERIOD OF SUBSCRIPTION: ANNUAL/FIVE YEARS

5. DD.....DATE.....

BANK.....

AMOUNT (IN WORD).....AMOUNT (IN NUMBERS).....

DEAR CHIEF EDITOR,

KINDLY ACNOWLEDGE THE RECEIPT OF MY SUBSCRIPTION AND START
SENDING THE ISSUE(S) AT FOLLOWING ADDRESS:

.....
.....
.....
THE SUBSCRIPTION RATES ARE AS FOLLOWS W.E.F. 01.04.2015

INDIA (RS.)

TYPE	INDIVIDUAL	INSTITUTION
ANNUAL	RS. 1000	RS. 1400
FIVE YEARS	RS. 4500	RS. 6500
LIFETIME	Rs. 18,000	Rs. 20,000

YOURS SINCERELY

SIGNATURE

NAME:

PLACE:

DATE:

Please Fill This Form and deposit the money through net banking. Details are BANK- STATE BANK OF INDIA Name SHREE KANT JAISWAL A/C – 32172975280.IFSC –SBIN0003717 Branch: SINDHORA BAZAR VARANASI. After depositing the money please e-mail the form and receipt at theequanimator@gmail.com

Published By

Oriental Human Development Institute

121/3B1 Mahaveerpuri, Shivkuti Road.

Allahabad-211004